द्वितीय माला, खण्ड ११ — अंक ८

१९ फरवरी, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ११ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न * संख्या २८० से २८५, २८८ से २९१, २९३, २९५ से २९८, ३१४, २९९, ३०१ ... ६६१-८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८६, २९२, २९४, ३००, ३०२ से ३१३, ३१५ से ३२१ ... ... ६८५-९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५९ से ३९० ... ६९४-७११

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ७११-१२

राज्य-सभा से संदेश ... ७१२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काश्मीर स्थित उड़ी में पांच पाकिस्तानी विध्वंसकारियों की गिरफ्तारी ... ७१२-१३

जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७१३-४४

श्री जवाहरलाल नेहरू ... ७१३-२१

श्री श्री० अ० डांगे ... ७२१-२४

आचार्य कृपालानी ... ७२५-२६

श्री रंगा ७२६-२७

श्री दासप्पा ७२८-२९

श्री मसानी ७२९-३१

श्री त्रि० ना० सिंह ७३१-३२

डा० सुशीला नायर ... ७३२-३४

श्री उ० च० पटनायक ७३४-३६

डा० कृष्णस्वामी ७३६-३८

श्री मुरारका ७३८-३९

श्री एन्थनी पिल्ले ७३९-४१

श्री थानू पिल्ले ७४१-४२

श्री जयपाल सिंह ७४२-४३

श्री खाडिलकर ७४३-४४

दैनिक संक्षेपिका ... ७४५-४८

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १९ फरवरी, १९५८

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली से कार्यालयों का बाहर भेजा जाना

†*२८०. **श्री राधा रमण :**
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री रामेश्वर टांटिया
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० च० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वि० चं० शुक्ल :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेडा :
श्री मधुसूदन राव :
श्री वाजपेयी :
श्री हाल्दर :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को बाहर भेजने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है;

†मूल अंग्रेजी में ।

M106LSD—1

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोई सिफारिशें की हैं;

(ग) उन सिफारिशों का विस्तृत विवरण क्या है;

(घ) क्या कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कौन-कौन से कार्यालय बाहर भेजे जायेंगे तथा वे कहां-कहां जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सिद्धान्त रूप से यह निश्चित कर लिया गया है कि विवरण में उल्लिखित कार्यालयों को, जिसकी एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४**], जब भी उनके लिये दूसरे स्थानों पर, कार्यालय व रिहायशी, स्थान उपलब्ध हो जाये तभी उनको बाहर भेज दिया जाना शुरू कर दिया जाये जिससे कि उनकी प्रशासकीय कार्यक्षमता में कोई अन्तर न आये । कुछ अन्य कार्यालयों को भी बाहर भेजने का प्रश्न अभी विचाराधीन है । नागपुर, ग्वालियर, मसूरी, जयपुर और गाजियाबाद में उपलब्ध स्थानों का अन्तिम सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे कि निश्चित रूप से ज्ञात हो जाये कि इन स्थानों पर कितनी-कितनी जगह मिल सकेगी । अन्य स्थानों पर भी कितनी जगह मिल सकती है । इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या ये सिफारिशें उन कार्यालयों अथवा मंत्रालयों के सामने रखी गई थीं जिनको कि बदलने का विचार है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : इन सिफारिशों पर एक बैठक में विचार किया गया था जिसमें सम्बन्धित कार्यालयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । ये सिफारिशें सम्बन्धित मंत्रियों से पूरी बातचीत करने के बाद की गई हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : विवरण से मालूम होता है कि पुनर्वास वित्त प्रशासन कार्यालय को कहीं नहीं भेजा जा रहा है । क्या इस बात को दृष्टि में रख कर कि इस कार्यालय को पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य करना है, इसे कलकत्ता भेजने के बारे में विचार किया गया था ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, हमने अनेक प्रस्तावों पर विचार किया है किन्तु उनमें इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं था जैसा कि माननीय सदस्या ने निर्देशित किया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो दफ्तर बदले जाने वाले हैं..........

†**एक माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में ।

†**श्री भक्त दर्शन** : यदि इन सब कार्यालयों को बाहर भेजा जाये तो इस निर्णय का प्रभाव कितने कार्यालयों पर पड़ेगा ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : विवरण में १२ कार्यालयों के नाम दिये गये हैं जिनको कि बदलने की सिफारिश की गई है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या दिल्ली स्थित समाचारपत्र पंजीकार कार्यालय के शिमले भेजे जाने की कोई सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : जिन कार्यालयों का इस विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है उनके बारे में प्रश्न पूछना व्यर्थ है क्योंकि उनके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं ।

श्री म० ला० द्विवेदी उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री डी० सी० शर्मा ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैंने इस प्रश्न की सूचना दी है । मैं इसके बारे में एक और अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक रखता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कई सदस्यों ने सूचना दी है । मैं सब को अवसर देना चाहता हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि सदस्य आपस में निश्चय क्यों नहीं कर लेते हैं कि उन्हें क्या पूछना है । पहले यह पूछा जाता रहा है कि कब दिल्ली दफ्तर जायेंगे और अब जब उनको बाहर भेजने का विचार है तो सदस्य यह पूछने लगे हैं कि उनको क्यों बाहर भेजा जा रहा है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं । कि उनको क्यों बाहर भेजा जा रहा है·····

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : श्रीमान् आप ने पहले मेरा नाम लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप का नाम बाद में पुकारूंगा ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या जिन स्थानों पर ये दफ्तर भेजे जा रहे हैं यदि उनमें से किसी जगह पानी तथा बिजली की दरें ज्यादा होंगी तो क्या कर्मचारियों को उसके लिये कुछ विशेष भत्ता दिया जायेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस सम्बन्ध में बाद में विचार किया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से पता चलता है कि १२ कार्यालय बाहर भेजे जा रहे हैं । इनके अलावा और कितने कार्यालयों को बाहर भेजने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा तो है १२ ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : सभी १२ कार्यालय बाहर भेजे जायेंगे जिनका कि विवरण में उल्लेख किया गया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : ये कार्यालय कब तक बाहर भेज दिये जायेंगे ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इसमें कई प्रशासकीय मामले अन्तर्ग्रस्त हैं । हमने सिद्धान्त रूप से यह निश्चय कर लिया है कि ये कार्यालय बाहर भेजे जायें । अब हमें इनके लिये व इनके कर्मचारियों के रहने के लिये आवश्यक स्थान देखना है । किसी स्थान पर हमारे पास कार्यालय का स्थान है तो किसी स्थान पर रिहायश के लिये । बहुत कम स्थानों पर दोनों के लिये स्थान उपलब्ध है । कई स्थानों पर हमें पट्टे पर इमारतें लेनी पड़ी हैं तथा कई स्थानों पर नई इमारतें बनानी पड़ेंगी । यह सब कार्य पूरा हो जाने पर ही कार्यालय बाहर भेजे जा सकेंगे ।

†**श्री त्यागी** : इन कार्यालयों के जाने से दिल्ली से कितने कर्मचारी चले जायेंगे व इन से दिल्ली में कितना स्थान खाली हो जायेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं इसका सही-सही उत्तर नहीं दे सकता । इसके लिये हिसाब लगाना पड़ेगा :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली

†*२८१. { श्री बर्मन :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली में इस समय कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक ।

†**श्री बर्मन** : क्या अब हम विदेशी सहायता के बिना एक अन्य डी० डी० टी० फैक्टरी खोल सकते हैं और इसे अपने ही कर्मचारियों द्वारा चला सकते हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : हम अलवाय में एक अन्य फैक्टरी खोल रहे हैं और इसमें अधिकतर भारतीय कर्मचारी ही लगे हुए हैं। किन्तु वहां भी हमें एक या दो ऊंचे स्थानों के लिय विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेना लाभदायक प्रतीत होता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : ये विशेषज्ञ कब तक डी० डी० टी० फैक्टरी में रहेगा तथा इसका क्या वेतन क्रम है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जब तक प्रबन्धक आवश्यक समझेंगे तब तक यह विशेषज्ञ यहां रहेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यह विदेशी विशेषज्ञ कब से डी० डी० टी० फैक्टरी में काम कर रहा है ? क्या अब हमारे भारतीय कर्मचारी इतने योग्य बन गये हैं कि वे अपने आप ऐसी फैक्टरी चला सकें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रश्न का मैं पहले उत्तर दे चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को पहले दिये गये उत्तरों को समझ कर प्रश्न पूछने चाहिए ।

सूडान के साथ व्यापार

*२८२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान के प्रतिनिधि मंडल और भारतीय उद्योगपतियों तथा सरकार के मध्य कपास के निर्यात और आयात के सम्बन्ध में हुई बातचीत का कुछ परिणाम निकला है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है;

(ग) सूडान के साथ भारत के व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या भारत से सूडान निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में कोई वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) . सूडान के प्रतिनिधि मंडल से हुई बातचीत के फलस्वरूप सरकार ने सुलभ मुद्रा क्षेत्र से जिस में सूडान भी शामिल है, १—३/१६ इंच और इससे अधिक लम्बे रेशे वाली रूई की ४०,००० गांठें आयात करने का कोटा मुक्त किया है ।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) १९५७ में प्लास्टिक की चीजों और चीनी जैसी कुछ वस्तुओं का सूडान को निर्यात किया गया जिनका पहले निर्यात नहीं होता था।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इस बातचीत के फलस्वरूप भारत को सूडान से कपास का आयात करने में कुछ लाभ हुए हैं ?

†**श्री कानूनगो :** : हम हमेशा से ही सूडानी के ग्राहक रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** मैं यह जानना चाहता था कि हम जिन शर्तों पर सूडान से कपास ले रहे हैं क्या उनमें किसी शर्त में हमारे हित में कोई परिवर्तन हो सका है ?

†**श्री कानूनगो :** इस करार में हम ४०,००० गांठें लेने पर सहमत हुए हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या यहसच है कि मिस्री कपास सूडानी कपास से सस्ती बिक रही है, और क्या यह भी सच है कि मिस्री प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और उसने भारत सरकार से इस विषय में चर्चा भी की है; यदि हां, तो फिर मिस्री कपास को छोड़कर इतनी भारी मात्रा में सूडानी कपास क्यों खरीदी गई है ?

†**श्री कानूनगो :** एक ही प्रकार की मिस्री और सूडानी कपास के लगभग एक ही जैसे दाम हैं बल्कि सूडानी कपास कभी-कभी सस्ती ही मिल जाती है ?

†**श्री तंगामणि :** विवरण से यह ज्ञात है कि सूडान को भेजी जाने वाली वस्तुओं में हम लोग विशेषकर १९५२ से सूती कपड़ा अधिक भेज रहे हैं क्या इन टुकड़ों में पांडिचेरी में व दक्षिण में हाथकरघों से तैयार किया गया कपड़ा भी होता है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ सका ?

†**श्री अन्सार हरवानी :** सूडान के साथ जो व्यापार हो रहा है उसमें कितने प्रतिशत व्यापार राज्य व्यापार बीमा निगम की मार्फत हो रहा है और कितने प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ?

†**श्री कानूनगो :** सरकारी क्षेत्र द्वारा कोई विशेष व्यापार नहीं हो रहा है। यह लगभग न के बराबर है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या सूडान से जो अधिक कपास का आयात किया गया है क्या उसके बदले अब वहां पर अधिक वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** हमारी कपास की ६.५ लाख गांठें आयात करने की परम्परा रही है। इसमें से ३ लाख गांठें सूडानी व मिश्री कपास की रहती हैं। अब हमने इसके आयात पर काफी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।

औद्योगिक मजदूरों में तपेदिक

+

†*२८३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक मजदूरों में तपेदिक का रोग बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) हमारे पास इस विषय पर बहुत कम आंकड़े हैं। इसलिये उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है।

(ख) औद्योगिक मजदूरों में तपेदिक के रोग को रोकने के लिये उन्हें जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६**]

†**श्री अ० क० गोपालन :** विवरण से यह पता चलता है कि मजदूरों में यह रोग बढ़ रहा है क्या यह काम बुरी परिस्थितियों के कारण बढ़ रहा है अथवा किन्हीं अन्य कारणों से ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** मुझे आश्चर्य है कि यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि मजदूरों में तपेदिक का रोग बढ़ रहा है ! यह विवरण बहुत कम स्थानों तथा बहुत कम मजदूरों तक ही सीमित है। इसीलिये यह उत्तर दिया गया है कि हम यह नहीं कह सकते कि यह रोग बढ़ रहा है अथवा नहीं।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अब तक कितने टी० बी० के मजदूरों का उपचार किया गया है और कितनों को हस्पतालों में भर्ती करने की प्रतीक्षक सूची पर रखा गया है ?

†**श्री आबिद अली :** इस के लिये मुझ पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या मंत्रालय नगरों में, जहां पर कि मजदूरों की काफी संख्या है। बड़ पैमाने पर मजदूरों का रेडियोग्राफी अथवा ट्यूबरकयूलिन द्वारा परीक्षण करने की कोई योजना बनाने का विचार रखता है ?

†**श्री आबिद अली :** इस समय जो व्यवस्था वर्तमान है उसका विवरण में उल्लेख कर दिया गया है।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या तपेदिक के मरीजों की संख्या जानने के लिये प्रत्येक उद्योग के मजदूरों का पृथक् पृथक् परीक्षण किया जा रहा है ?

†**श्री आबिद अली :** यह सूचना उन हस्पतालों में आने वाले मजदूरों के आधार पर ही दी गई है जो कि हमारे प्रबन्ध के अधीन हैं।

†**श्री आचार :** क्या यह सच है कि केवल मजदूरों में ही नहीं बल्कि अन्य लोगों में भी तपेदिक का रोग बढ़ रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न केवल औद्योगिक कर्मचारियों से सम्बन्धित है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा भारत में विभिन्न स्थानीय हस्पतालों में टी० बी० से पीड़ित मजदूरों के लिये कितनी शैयाएं सुरक्षित रखवाई गई हैं अथवा उसने मजदूरों के लिये कितनी शैयाओं की संख्या बढ़वाई है ?

†**श्री आबिद अली :** इसका विवरण में उल्लेख कर दिया गया है।

†**श्री तंगामणि :** कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में यह बताया गया है कि निगम केवल उन्हीं लोगों को सुविधा देता है जिन की लगातार तीन वर्ष से अधिक सेवा हो गई हो। विवरण में शयाओं वगैरह का कोई वर्णन नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री आबिद अली** : यदि और अधिक सूचना चाहिये तो उसके लिये पूर्व मुझे सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके लिये एक पृथक् प्रश्न पूछा जा सकता है ।

ढलाई तापकुट्टन्द्र कारखाना

+

†*२८४. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हेडा :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री जगन्नाथ राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ढलाई घर तापकुट्टन कारखाना बनाने के बारे में जो बातचीत चल रही थी वह पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो कौन सा सार्थ इस कार्य में सहयोग देगा और उसकी सेवाओं के लिये क्या शर्तें रखी गई हैं ;

(ग) यह कारखाना कहां चालू किया जायेगा;

(घ) इस कारखाने का पहला अंश कब पूरा हो जायेगा और कब तक यह कारखाना पूरे रूप से चालू हो जायेगा; और

(ङ) इस कारखाने पर कुल कितना व्यय आने का अनुमान लगाया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ) इस ढलाई तापकुट्टन कारखाने के लिये आयात किये जाने वाले उपकरण तथा सन्यन्त्र की कीमत के भुगतान के सम्बन्ध में जेकोस्लोवाकिया और भारत सरकार के बीच एक समझौता हो गया है जिसके अनुसार अप्रैल, १९६१ से पूर्व कोई भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया जायेगा । प्रविधिक तथा वित्तीय मामलों के बारे में जेकोस्लोवाकिया के मेसर्ज टेकनोएक्पोर्ट की सार्थ के प्रतिनिधियों के साथ बात चीत चल रही है ।

क्योंकि यह संयन्त्र केन्द्रीय भारी मशीन निर्माण कारखाने (जिस को रांची में स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है) के लिये ढलाई तथा तापकुट्टन का कार्य करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, इसलिये यह भी रांची के ही आस पास कहीं पर स्थापित किया जायेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस संयन्त्र पर अनुमानतः जो ३० करोड़ रुपय की लागत आयेगी उसका विदेशी मुद्रा में चुकाया जान वाला अंश कब और कितनी कालावधि के भीतर अदा किया जाना होगा ? क्या जकोस्लोवाकिया की सार्थ इस समय सारा व्यय सहन करगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह व्यय ऋण के रूप में ही वहन किया जायेगा और इसकी पहली किश्त अप्रैल, १९६१ में अदा की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या पश्चिमी जर्मनी और रूस से भी इस सम्बन्ध में कोई पशकश हुई है। यदि हां, तो क्या उनकी पेशकश पर विचार किया जायेगा अथवा नहीं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और जेकोस्लोवाकिया सभी देशों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद ही जेकोस्लोवाकिया से बात तय की गई है क्योंकि उसके प्रस्ताव की शर्तें अनुकूलतम थीं ।

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह कारखाना रांची के समीप बनाया जायेगा । क्या यह भारी मशीन कारखाने के पास ही बनाया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इसका भुगतान का कितना अंश अस्थापित भुगतान द्वारा होगा और कितना अभी देना पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** केवल ८० लाख रुपये की कुछ मद्दों को छोड़ कर शेष राशि अस्थापित भुगतान के आधार पर जेकोस्लावाकिया को दी जायेगी ।

†**श्री हेडा :** इस पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा पहले दो वर्ष में इस में कितना उत्पादन होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक वित्तीय पहलुओं का सवाल है, मैं पहले बता चुका हूं कि हम उनके बारे में जेकोस्लावाकिया के उस सार्थ के प्रतिनिधियों से अभी बातचीत कर रहे हैं। इसलिये अभी यह कहना कठिन है कि कुल कितना व्यय होगा किन्तु ऐसा अनुमान है कि भारतीय तथा विदेशी मुद्रा कुल मिला कर लगभग ३० करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

इसकी उत्पादन क्षमता के बारे में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस में ३०,००० टन ग्रे कांस्टिंग्स, २८,००० टन इस्पात के कांस्टिंग्स और २७,३०० टन स्टील फारिंजग्स बना करेंगे ।

†**श्री पी० रा० रामकृष्ण :** इससे देश की आवश्यकता कहां तक पूरी हो सकेगी ? क्या इसके साथ कोई और तापकुट्टन का सन्यन्त्र लगाने का भी प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसे फिलहाल केवल केन्द्रीय भारी मशीन निर्माण कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाया गया है । इसके अलावा यह देश की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी, चाहे यह सब बातों में पूर्णतः आत्म निर्भर न हो ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या सरकार दक्षिण भारत में कोई अन्य तापकुट्टन सन्यन्त्र लगाने का विचार रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** : जी, नहीं ।

दिल्ली में कोयले से गैस तैयार करने का कारखाना

†*२८५. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली नगर की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राजधानी में कोई कोयले से गैस तैयार करने का कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यह कारखाना कब तक स्थापित हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली राज्य के औद्योगिक सलाहकार बोर्ड ने इस बात की सिफारिश की थी कि दिल्ली में जो फयूअल की कमी है, उसे दूर करने के लिये इस तरह का प्लान्ट स्थापित किया जाये ? उसे क्यों रिजेक्ट किया गया ?

श्री मनुभाई शाह : कई दफे इस बात का सोचा गया और देखा गया । पहले जो स्कीम आई थी वह बिल्कुल अनएकानमिक थी । दूसरी बार जो स्कीम आई वह दिल्ली शहर के लिये भी काफी नहीं थी । इसलिये कमेटी ने आखीर में जो राय दी वह यह थी कि ऐसी स्कीम बनाई जाय जो सारी दिल्ली को सर्वे कर सके और प्राफिटेबल हो । ऐसी स्कीम बनेगी तो गवर्नमेंट उसे देखेगी ।

अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

*२८८. +**श्री भक्त दर्शन** :
श्री रा० चं० सामन्त :
श्री गजेन्द्रप्रसाद सिन्हा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री सोहन स्वरूप :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वोडयार :
श्री वाजपेयी :
श्री कुन्हन :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५७ के अन्तिम सप्ताह में काहिरा में हुए अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिनिधियों के नामों की सूची सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) सम्मेलन में भाग लेने के लिये इन व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें तथा सहायता दी गई थीं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). सम्मेलन का गैर-सरकारी स्वरूप होने के कारण, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं हुआ । ऐसा समझा जाता है कि श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के नेतृत्व में लगभग २५ सदस्यों के एक गैर-सरकारी शिष्टमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया । भारत सरकार के पास प्रतिनिधियों के नामों की पूरी सूची नहीं है ।

(ग) भारत सरकार से किसी भी समय कोई विशेष सहायता या सुविधाएं नहीं मांगी गई और न कोई दी गई।

†**कुछ माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में भी

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि यह सम्मेलन अफ्रीका और एशिया की एकता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, बल्कि इसी कारण इसको गैर-सरकारी बांडुंग सम्मेलन का नाम दिया गया था, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इसमें उचित प्रकार के प्रतिनिधि जा सकें इसलिए क्या सरकार ने हाथ बांटने के लिये कोई कदम उठाया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं, इसलिए कि इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई दस-बीस आदमी अगर कोई कानफरेंस करें, भले काम के लिए करें, मुबारक हो उनको, लेकिन उसमें गवर्नमेंट तो नहीं दौड़ जाती और वहां जाकर बैठ जाती।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को विदित है कि काहिरा में जो गैर-सरकारी तौर पर, जैसा कि सभा सचिव ने कहा है, हुए सम्मेलन में बांडुंग पैक्ट के देशों और सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का मत वैभिन्य बहुत बढ़ गया और यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि वहां हमारे प्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा रहा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उनके व्यवहार के बारे में हमें प्रतिवेदन मिले हैं और यह स्वाभाविक ही था।

†**श्री हेम बरुआ :** वहां हमारे प्रतिनिधियों का बर्ताव कैसा था ?

†**श्री तिरुमल राव :** सभा-सचिव ने बताया कि इस शिष्टमंडल को कोई विशेष सहायता नहीं दी गई थी। क्या इन प्रतिनिधियों को यात्रा अथवा विदेशी विनिमय के रूप में कोई सामान्य सुविधायें दी गई थीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक मुझे मालूम है 'विजा' तथा पारपत्र आदि की सुविधाएं दी गई थीं। जब कभी हमारे नागरिक, विशेषकर संसद सदस्य वहां जाते हैं, तो हम विदेशों में अपने मिशनों को सूचित कर देते हैं कि वे आ रहे हैं और बिना यह सोचे कि वे किस प्रयोजन से गये हैं। उनकी सहायता करें।

जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है मुझे स्मरण है कि हम से इसकी कोई मांग नहीं की गई थी।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या इस सम्मेलन का एफ्रो-एशियन ग्रुप स भी कोई सम्बन्ध था जो संयुक्त राष्ट्र संघ में दो वर्ष पूर्व बनाया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं।

†**श्री राधा रमण :** क्या इस गैर-एफ्रो-एशियन सम्मेलन में किसी सरकार ने औपचारिक रूप से भाग लिया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्य किसी सरकार ने।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं यह तो नहीं जानता कि किसी सरकार ने औपचारिक रूप से भाग लिया था या नहीं परन्तु इतना जानता हूं कि उसमें अन्य देशों के कुछ मंत्रियों ने भाग लिया था। जो कि अपनी सरकारों के ही अंग हैं।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि कर्नल नासर ने इस सम्मेलन के समक्ष भाषण दिया था ?

†**श्री च० द० पांडे :** इस बात को देखते हुये कि सभी यथाकथित प्रतिनिधि एक ही विचार-धारा के थे क्या यह उचित न होगा कि उन लोगों ने जो विचार व्यक्त किये सरकार उनसे मत-वैभिन्य व्यक्त कर दे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति नासर ने सम्मेलन का उद्घाटन नहीं किया था उन्होंने सम्मेलन में गये प्रतिनिधियों को एक गार्डन पार्टी दी थी ।

दूसरे माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि सहमति अथवा असहमति प्रकट करने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । सम्मेलन में बहुत सी बातें ऐसी कही गईं जो हम भी कहते और करते हैं; कुछ एक ऐसी होंगी जिन से हम सहमत नहीं हैं । परन्तु असहमति प्रकट करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** क्या सरकार को एफ्रो-एशियन सम्मेलन द्वारा पारित किये गये संकल्प की प्रतियां मिली हैं और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या राय हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** संकल्प के बारे में ? शायद हमें मिल गये हैं । सब तो नहीं लेकिन उनमें से मुख्य-मुख्य मिल गये हैं । इतने अधिक संकल्पों के बारे में मैं इस प्रकार उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु सच तो यह है कि कई बातें हमारी विचारधारा के अनुकूल हैं और कई नहीं हैं ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या योरुप के छोटे-छोटे देश इस बात को पसन्द करते हैं कि एशियाई और अफ्रीकी देशों की एक सन्था बनाई जाये ? इस बारे में प्रधान मंत्री का क्या विचार है ? शायद वे देश इसका विरोध करते होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तथ्यों सम्बन्धी प्रश्न पूछें ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** इस बारे में प्रधान मंत्री का क्या विचार है कि क्या योरुप में छोटे-छोटे देश एशिया और अफ्रीका के लोगों के इस सम्मेलन को पसन्द करते हैं ? सम्भव है कि वे इसके खिलाफ हों । परन्तु मैं ने विश्व संघ का जो प्रस्ताव रखा है उस से यह सब संगठित हो जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किसी का क्या विचार है इस विषय में यहां प्रश्न नहीं पूछे जाते ।

सीमेंट का वितरण

†*२८९. {
श्री राम कृष्ण :
श्री राधा रमण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेडा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ राव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दामानी :
श्री शोभा राम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट के वितरण के लिये सरकार ने एक नई योजना बनाई है; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेषतायें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सीमेंट का देशीय उत्पादन बढ़ जाने से क्योंकि सीमेंट अब पहले से अधिक मिलने लगा है इसलिये राज्य सरकारों से कहा गया है कि जहां तक हो सके जनता को दिया जाने वाला सीमेंट का अभ्यंश बढ़ा दिया जाये और स्टाकिस्ट द्वारा उपभोक्ताओं के पास विक्रय करने के लिये जो परमिट लेना पड़ता था वह भी हटा दिया जाये ।

†**श्री राम कृष्ण** : नई योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य का पुनरीक्षित अभ्यंश कितना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि मैं राज्य-वार जानकारी दूं तो वह बड़ी लम्बी सूची हो जायेगी । अब यह ८,६६,००० टन त्रैमासिक है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : केन्द्रीय सरकार ने परमिट को हटाने के लिये जो निदेश दिया था क्या सभी राज्य सरकारों ने उस पर अमल किया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि असैनिक सम्भरण का विषय राज्य सरकारों के हाथ में है और सामान्यतः हमारी मंत्रणा को राज्य सरकार महत्व देती हैं । कई राज्य सरकारें इस पर कार्यवाही कर चुकी हैं । हो सकता है कि परमिट को बिल्कुल न हटाया गया हो ।

†**श्री विश्वनाथ राव** : क्या सार्वजनिक संस्थाओं को सीमेंट देने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध किया जा रहा है क्योंकि अन्य संस्थाओं द्वारा कुछ असाधारण तरीकों का प्रयोग करने के कारण इन्हें सीमेंट प्राप्त करने में कठिनाई होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सार्वजनिक संस्थाओं के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है । मेरा ख्याल है कि सीमेंट के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उनकी आवश्यकता आसानी से पूरी हो सकती है ।

†**श्री दामानी** : क्या उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के पास सीमेंट बेच सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार ने सीमेंट के चोर बाजार को रोकने के लिये कोई योजना बनाई है जिस से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सीमेंट मिल सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न में बहुत सी बातों की कल्पना कर ली गई है ।

†**श्री रंगा** : कल्पना तो नहीं है । सीमेंट के वितरण में जो चोर बाजार होता है उसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सीमट के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने से जनता को इसे प्राप्त करने में अधिक असुविधा नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हेडा** : विभिन्न राज्यों के लिये सीमेंट का अभ्यंश निर्धारित करते समय किन-किन बातों का ख्याल रखा गया था? क्या यह ख्याल किया गया था कि उसमें कितनी परियोजनायें चल रही हैं अथवा उसका क्षेत्र कितना है अथवा वहां सरकार का कितना निर्माण कार्य हो रहा है और क्या राज्यों से कहा गया था कि वे सहकारी संस्थाओं अथवा सार्वजनिक संस्थाओं को प्राथमिकता दें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा में कई बार बता चुका हूं कि प्राथमिकतायें स्पष्ट रूप से निर्धारित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं, सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं, रेलवे के निर्माण कार्य और राज्य सरकारों के विकास कार्यों को प्रथम प्राथमिकता क्रम में रखा गया है। इसके बाद नागरिकों और सार्वजनिक संस्थाओं को देने के लिये पर्याप्त मात्रा में सम्भरण किया जाता है। केन्द्रीय सरकार प्रायः यह सिफारिश करती रहती है कि जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता जाये उपभोक्ताओं और सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक मात्रा में सीमेंट दिया जाये।

पाकिस्तान में धार्मिक पावनस्थान

†*२९०. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वाजपेयी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के हिन्दू और सिख धार्मिक पावनस्थानों की सूचियां तैयार करने, उनसे संलग्न सम्पत्तियों की रक्षा करने और उनकी पवित्रता की परिरक्षा करने के लिये जो समिति बनायी गयी थी क्या उसकी कोई बैठक बुलायी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किये गये हैं।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां। कराची में २४ और २५ जनवरी, १९५८ को एक बैठक हुई थी।

(ख) उसमें यह अस्थायी निश्चय किये गये थे :

(१) जिन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों के परिरक्षण और देख-रेख के काम की विशेष जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ने का विचार हो, प्रत्येक देश में उनकी संख्या २०० निर्धारित कर दी जाये। तीर्थ स्थानों की सूचियों को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस संख्या का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(२) प्रत्येक देश दूसरे देश में स्थित पावनस्थानों की, जिन्हें उस देश की सरकार की विशेष देख-रेख में रखा जायेगा, अन्तिम सूचियां तैयार करने के लिये जिम्मेदार होगा। लेकिन फिर भी प्रत्येक देश को अपने राज्य-क्षेत्र के भीतर स्थित सभी महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थानों की सूची परिवीक्षा और मिलान के प्रयोजन के लिये दूसरे देश देनी होगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस संयुक्त समिति की चर्चा में किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया ? यह बैठक सचिवालय के स्तर पर या मंत्रालय के स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर हुई थी ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह जानकारी अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन इसका पता लगा कर मैं उसे सहर्ष माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : धार्मिक पूजन के २०० स्थानों के बारे में जो निर्णय किया जा रहा है क्या उसमें सम्पत्तियों की रक्षा और इनकी धार्मिक पवित्रता के परिरक्षण की बात भी शामिल है ? यदि हां, तो इन दोनों समस्याओं के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : धार्मिक वातावरण को कायम रखना, यही न ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इसमें तीन बातें हैं। सबसे पहले रक्षा की बात है। फिर इन पावनस्थानों की सम्पत्तियों की रक्षा की बात है; और फिर धार्मिक पवित्रता की रक्षा की बात है। इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सम्भवतः मेरे सहयोगी, पुनर्वास मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं ।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : मेरी कराची की पिछली यात्रा के समय यह प्रश्न चर्चा के लिये अवश्य आया था। लेकिन चर्चा कमोबेश अनौपचारिक आधार पर हुई ।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने सभी न्यास-सम्पत्तियों को मुक्त कर दिया है, क्योंकि अल्प-संख्यक जातियों के लोग अब भी यहां मौजूद हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, मुख्य कठिनाई पंजाब, बहावलपुर आदि के विषय में है जहां से सभी हिन्दू और सिख आदि चले आये हैं। लेकिन सिंध के विषय में पाकिस्तान के अल्प-संख्यक मंत्री का दृष्टिकोण यह था कि यह प्रश्न तो अल्प-संख्यकों और सरकार के बीच का है और वह वहां इनमें से कुछ सम्पत्तियों को वहां के अल्प-संख्यकों के उपयोग के लिये मुक्त कर देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : करार के अनुसार पावनस्थानों के सम्बन्ध में कुछ चुने हुए क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाना था। उस सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : सम्भवतः यह प्रश्न केवल चुने हुए क्षेत्रों तक ही नहीं रहेगा । लेकिन दोनों ओर के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों को चुन लिया जायेगा——इनकी संख्या १०० और २०० के बीच में हो सकती है ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : इस प्रस्ताव के प्रति पाकिस्तान सरकार का क्या रुख था कि इन पावन-स्थानों की आय से महाअभिरक्षक ने वहां जो विशाल राशि जमा कर रखी है उसमें से कम से कम उन स्वयंसेवकों का खर्च तो निकल ही आना चाहिये जिन्हें वहां के कुछ तीर्थ-स्थानों की रक्षा और देख-रेख के लिये रखा गया है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : स्थिति यह है कि हमारी ही तरह उन्होंने इन सम्पत्तियों को निष्क्राम्य सम्पत्तियां नहीं घोषित किया है। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार का यह प्रायः निश्चित मत था कि यह मसला बिल्कुल पाकिस्तान सरकार और वहां के अल्प-संख्यकों के बीच का है ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : लेकिन, क्या यह सच है कि इन पावनस्थानों से होने वाली समस्त आय पाकिस्तान के महाअभिरक्षक द्वारा ही जमा कर ली जाती है ? क्या पाकिस्तान के प्रतिनिधि

---

†मूल अंग्रेजी में ।

को यह सुझाया गया था कि कम से कम उन स्वयंसेवकों के निर्वाह पर तो इस राशि में से व्यय किया ही जाना चाहिये जिन्हें कुछ तीर्थ-स्थानों में रखा जाता है; और उन्होंने इन स्वयंसेवकों के निर्वाह के लिये भेजे गये धन के लिये अनुमति दे दी है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं यह जानकारी गृह-कार्य मंत्रालय को भेज दूंगा । मैं केवल निष्क्राम्य सम्पत्तियों के विषय में काम कर रहा हूं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या हिन्दुओं और सिखों के पूजन के उन स्थानों की पवित्रता पूजा आदि के द्वारा परिरक्षित करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गयी है जो पंजाब, बहावलपुर और सीमा-प्रान्त में स्थित हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : इस पूरे प्रश्न पर औपचारिक ढंग से चर्चा नहीं की गयी थी । इस पर केवल अनौपचारिक बातचीत हुई थी । कुछ विशेष बातों पर चर्चा हुई थी, लेकिन ब्योरेवार चर्चा नहीं हुई ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दी ही एक और बैठक होने वाली है । इस बैठक की कार्यावलि क्या है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : ऐसी मदों की संख्या काफी बड़ी है जिन पर क्रियान्विति समिति की अगली बैठक में चर्चा होने वाली है । लेकिन जहां तक तीर्थ स्थानों का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि इसे शामिल नहीं किया गया है । लेकिन पावनस्थानों के बारे में हमारी और पाकिस्तान की एक बैठक हुई थी । और, जैसा कि मैं बता चुका हूं, विचार यह है कि भारत और पाकिस्तान स्थित सभी पावनस्थानों की देख-रेख करने के स्थान पर केवल कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थानों के प्रश्न पर ही विचार किया जाये और उनकी पवित्रता की परिरक्षा की जाये ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : धार्मिक स्थानों की पवित्रता की परिरक्षा के लिये किये गये समझौते की मदें क्या हैं ? यह परिरक्षण तभी हो सकता है जब कि वहां पूजन करने की अनुमति दे दी जाये । मैं यह पूछता हूं कि जो तीर्थस्थान वहां छूट गये हैं क्या उनमें पूजन की अनुमति देकर उनकी पवित्रता की परिरक्षा के बारे में कोई बात हुई थी ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : जैसा मैं अभी ही उत्तर दे चुका हूं कि हिन्दुओं और सिखों द्वारा छोड़े गये पावनस्थानों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण विचार यह था कि सभी स्थानों की देख-रेख करने के स्थान पर, और यह काम प्रशासनिक दृष्टि से उन स्थानों पर सहज होगा भी नहीं जिन में हिन्दू अथवा सिख आबादी बिल्कुल नहीं है, दोनों ओर के लगभग २०० महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थानों को छांट लिया जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस विषय में मेरे सहयोगी ने मेरी जो सहायता की है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । जैसा कि सभा को मालूम है, इस विषय से सम्बन्धित कार्य कई मंत्रालयों द्वारा किया जाता है । मेरे सहयोगी का मंत्रालय पुनर्वास के लिये उत्तरदायी है; निष्क्राम्य सम्पत्ति के लिये गृह-कार्य मंत्रालय जिम्मेदार है और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय पाकिस्तान से सामान्य सम्बन्धों के बारे में उत्तरदायी हैं । फिर भी, २४ और २५ मार्च को जो अगली बैठक होने वाली है उसकी अस्थायी कार्यावलि इस प्रकार है :

(१) प्रत्येक देश के पावनस्थानों की आय का एक पृथक् खाते में संग्रह करना और इस खाते के धन का पावनस्थानों की देख-रेख और मरम्मत के लिये उपयोग करना;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) दोनों देशों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों की देख-रेख के लिये खादिमों, सेवादारों और पुजारियों को नियुक्त करना और तीर्थस्थानों की आय में से उनका खर्च पूरा करना; और

(३) दोनों देशों के पावनस्थानों को जाने वाले तीर्थयात्रियों और जत्थों के लिये यात्रा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाओं को और भी व्यापक बनाना।

मेरा ख्याल है कि इससे पूछे जा सकने वाले अनेक अन्य प्रश्नों का उत्तर मिल जायेगा।

चाय के पौधों का पुनारोपण

†*२९१. **डा० क० ब० मेनन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय के पौधों के पुनरारोपण पर १९४७ के बाद से हर वर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है;

(ख) इस अवधि में कितने क्षेत्र में पुनरारोपण किया गया; और

(ग) इस समय कुल कितने क्षेत्र में पुनरारोपण की आवश्यकता है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ग) चाय के बगीचे में सभी झाड़ियां एक ही उम्र की नहीं होतीं। कुछ झाड़ियों के स्थान पर दूसरे पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है लेकिन उस समय समस्त बगीचे में पुनारोपण की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। कितने क्षेत्र में पुनरारोपण करना पड़ेगा इसके बारे में निश्चित सूचना देना सम्भव नहीं है।

†**डा० क० ब० मेनन** : एक संकल्प के सम्बन्ध में बोलते समय मंत्री महोदय ने बागान जांच समिति के सिफारिश के बारे में कहा था कि वे एक उत्पादन निदेशालय की स्थापना करने वाले हैं। क्या उन्होंने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है?

†**श्री कानूनगो** : हम एक उत्पादन-निदेशक को भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं।

†**डा० क० ब० मेनन** : क्या मंत्री का ध्यान विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के कथित टुकड़े करने और छोटे-छोटे हिस्सों में उनकी बिक्री करने के सम्बन्ध में केरल राज्य विधान सभा में हुए वाद-विवाद की ओर आकृष्ट किया गया है और क्या उनके पास उसके बारे में कोई जानकारी है?

†**श्री कानूनगो** : केरल विधान सभा के वाद-विवाद के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसकी जांच करूंगा। केरल या अन्य कहीं भी बागानों के टुकड़े करने की कोई गम्भीर शिकायत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री तंगामणि : विवरण से हमें पता चलता है कि गत दस वर्षों में ३६,८६७ एकड़ क्षेत्र में पुनारोपण किया गया है। उत्तर पूर्वी भारत के बागान-मालिकों से भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इससे क्या मैं यह समझूं कि उपासी प्लैन्टर्स एसोसियेशन आफ इंडिया के अधीन पड़ने वाले दक्षिणी क्षेत्र में कुछ भी पुनारोपण नहीं किया गया है ?

†श्री कानूनगो : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, पुनारोपण एक प्रविधिक शब्द है। इसका तात्पर्य एक विशेष प्रकार के पुनारोपण से है। पुनारोपण के तीन तरीके होते हैं। जहां तक दक्षिण भारत का सम्बन्ध है, हमें अभी ताजी जानकारी नहीं मिली है।

†श्री रामेश्वर टांटिया : कछार, दुआर और तराई आदि स्थानों में भारत के साधारणतया बागानों की स्थिति लाभकारी न होने के कारण क्या उन क्षेत्रों में पुनारोपण अत्यन्त छोटे पैमाने पर किया जाता है ?

†श्री कानूनगो : केवल कुछ अच्छे प्रबन्ध वाले बागानों में लगातार पुनारोपण और अन्तः पूरण का काम किया जाता है, अन्य में नहीं।

†श्री पुन्नूस : क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर गया है कि विशेषरूप से योरोपीय बागान मालिक पुनारोपण के काम में ढील रखते हैं ? क्या सरकार के पास इस बात के कोई आंकड़े हैं कि वर्ष में कितना पुनारोपण किया जाता है या उत्पादन का स्तर ऊंचा रखने के लिये कितना पुनारोपण किया जाता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसे बताया जाता है। उपज निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। वह ५,३०० लाख पौंड से बढ़कर ६,७०० लाख पौंड हो गयी है। इसलिये यह कहना निराधार है कि पुनारोपण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, या यह कि पुनारोपण की गति से फसल घटिया दर्जे की हो गयी है।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि ४० से ६० मन प्रति एकड़ की पैदावार करने वाले क्लोन किस्म के चाय के बीजों का दक्षिण अफ्रीका को बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया है जिसका इस देश में बागान लगाने के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

†श्री मोरारजी देसाई : हम इन बीजों के निर्यात की अनुमति नहीं देते हैं।

भारत-जापान व्यापार करार

†*२९३. { श्री रघुनाथ सिंह +:
श्री जगन्नाथ राव :
श्री स० चं० सामन्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और जापान सरकार के बीच कोई व्यापार करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें और निबन्धन क्या हैं।

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) भारत और जापान के बीच एक व्यापार-करार पर ४ फरवरी, १९५८ को टोकियो में हस्ताक्षर किये गये और यह दोनों सरकारों द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद कार्यान्वित होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस करार में दोनों देशों द्वारा प्रत्येक के प्रति, माल पर सीमा-शुल्क, आयात-निर्यात सम्बन्धी विनियमों, राज्य-व्यापार उपक्रमों के कार्यों, निवास और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों और नौवहन सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में, परमानुग्रहित राज्य के से व्यवहार का उपबन्ध किया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : आपने यह कहा है कि शिपिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वे बराबर-बराबर होने जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो बराबर-बराबर होने जा रही हैं ?

श्री सतीशचन्द्र : एग्रीमेंट में इसका कोई विवरण नहीं है। इसमें इतना ही दिया हुआ है कि एक दूसरे को जो-जो सहूलियत दी जायेंगी, वे बराबर की होंगी। जो सहूलियत वे हमें देंगे वही सहूलियत हम उन्हें देंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरे पूछने का अर्थ यह है कि जहां तक फारेन शिपिंग का सम्बन्ध है वह ५०:५० की रेशो से होता है। जापान और भारत के बीच भी क्या यह रेशो ५०:५० की होगी या कुछ कम होगी ?

श्री सतीशचन्द्र : यह तो हिन्दुस्तान के पास कितने जहाज हैं, उस पर निर्भर होगा। लेकिन यह सवाल ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री से पूछना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं कारगो की बात कर रहा हूं। उसमें ५०:५० की रेशो क्या होगी ?

श्री सतीशचन्द्र : अगर हमारे पास जहाज हैं तो उतनी हो सकती है। वह बराबर होगी बशर्ते हमारे पास उतनी शिपिंग स्पेस हो।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा एग्रीमेंट क्या किसी और देश के साथ भी हुआ है या पहले पहल जापान के साथ ही हुआ है ? अगर और देशों के साथ भी हुआ है तो वे कौन-कौन से देश हैं ?

श्री सतीशचन्द्र : बहुत से देशों के साथ एग्रीमेंट हुए हैं और उनकी कापीज़ पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। इसका पैटर्न भी करीब-करीब वही है जो और देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स का है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि हम जापान के साथ परमानुगृहीत राष्ट्र का सा व्यवहार कर रहे हैं। यह बात पिछले करार में भी शामिल थी। इसके अलावा व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के अधीन जापान को और क्या-क्या रियायतें दी गयी हैं ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : कुछ विशेष रियायतें नहीं दी गयी हैं। यह एक पारस्परिक समझौता है जिसमें दोनों पक्षों को सुविधायें मिलती हैं। माल पर सीमा-शुल्क, आयात और निर्यात सम्बन्धी विनियमों, निवास और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों, आदि के विषय में हम जैसा व्यवहार उसके साथ करते हैं जापान से वैसा ही व्यवहार हमें मिलता है।

†**श्री० ब० स० मूर्त्ति** : क्या यह सच है कि जापान से जिन मशीनों का आयात होगा उनमें से अधिकांश आस्थगित भुगतान के आधार पर आयेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री सतीशचन्द्र : कुछ व्यक्तियों ने ऐसे समझौते किये हैं जिनके अधीन मशीनों का आयात आस्थगित भुगतान के आधार पर किया जायेगा। हाल ही में जापान लगभग २४ करोड़ रुपये का सामान उधार देने के लिये राजी हो गया है। इसका उपयोग अगले तीन वर्षों में भारत में पूंजी वस्तुओं का आयात करने के लिये किया जायेगा।

पशमीना उद्योग

†*२९५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कच्चे माल की अत्यधिक कमी की वजह से काश्मीर के पश्चिमी उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): सरकार को इस आशय की कोई जानकारी नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक पशमीना इंडस्ट्री का ताल्लुक है, यह काश्मीर से बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। अगर आप काश्मीर जायें तो यह चीज आप को मालूम हो जायेगी। लेकिन इसकी कमी के कारण वहां के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप रामैटीरियल को बाहर से इम्पोर्ट करके वहां देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री कानूनगो : लद्दाख से तथा कुल्लू से तकरीबन १,००० मन पशमीना आता है जब कि काश्मीर में उसकी मांग केवल ३५० मन के करीब है।

श्री हेमराज : यह जो चीगो गोट्स की ऊन है, यह बाहर से आती है, हिन्दुस्तान में नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन चीगो गोट्स को पालने का प्रबन्ध हिन्दुस्तान में ही, काश्मीर के इलाके में या स्पित्ति के इलाके में या चीनी तहसील में किया जायेगा ?

श्री कानूनगो : यह सवाल एग्रिकलचर मिनिस्टर से अगर पूछा जाये तो मालूम हो जायेगा। जहां तक मुझे मालूम है, इस जानवर को यहां पाला नहीं जा सकता है, यह यहां पनप नहीं सकता है।

†श्री तिरुमल राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कुटीरोद्योग विभाग का काश्मीर सरकार के कुटीरोद्योग विभाग से कोई सम्पर्क नहीं है ?

†श्री कानूनगो : जी, हां। है क्यों नहीं।

†श्री तिरुमल राव : तब क्या उस विभाग को कुछ भी जानकारी नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

†श्री कानूनगो : मेरा उत्तर यह है। वहां कभी नहीं थी। मैंने तो यह बात और भी बतायी थी कि काश्मीर में जो १,००० मन उपलब्ध हैं उसमें से उसकी मांग सिर्फ ३५० मन की है।

श्री हेमराज : मैं जानना चाहता हूं कि जो ट्रेड एग्रीमेंट आपका चीन के साथ हो रहा है, उसमें क्या यह चीज भी रखी जायेगी कि वहां से जो पशमीना आ रहा है, वह और अधिक मात्रा में हिन्दुस्तान में आये ?

श्री कानूनगो : अब तो कुछ रुकावट नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सोला हैटों का निर्यात

†*२९६. **श्री विश्वनाथ राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सोला हैटों के निर्यात के सम्बन्ध में निर्बाध लाइसेंस देने के सरकारी निश्चय के बाद से उनके निर्यात में वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : पिछले पांच वर्षों में खनिज-खाकी कपड़े के सोला हैटों के अलावा अन्य सभी प्रकार के सोला हैटों के निर्यात के लिये निर्बाध रूप से लाइसेंस दिये गये हैं। जनवरी, १९५७ से खनिज-खाकी कपड़े से बने सोला हैटों के निर्यात के लिये भी निर्बाध लाइसेंस दिये जाने लगे हैं। १९५७ से पहले देश के व्यापारिक वर्गीकरण में सोला हैटों का निर्यात अलग से दर्ज नहीं किया जाता था। १९५७ की जवनरी से "पिथ हैट्स, हैल्मेट्स एण्ड हैटर्स वेयर" को जिस वर्गीकरण में सोला हैट भी आते हैं, अलग से दर्ज किया जाता है और १९५७ में उनका निर्यात ३९५२ दर्जन का रहा। १९५७ के पहले सोला हैटों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों के न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि उसमें वृद्धि हुई है या नहीं।

†**श्री विश्वनाथ राव** : क्या १९५६ की तुलना में पिछले वर्ष के निर्यात में कुछ भी वृद्धि हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : पिछले वर्षों के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या सोला हैटों के इस निर्बाध निर्यात ने इस देश में टीन के हैटों की किस्म में किसी प्रकार की कमी की है ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : सरकार ने सोला हैटों के निर्यात के लिये किन-किन व्यक्तियों को निर्बाध-निर्यात के लाइसेंस दिये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : इस पर कोई रोक नहीं है और कोई भी इनका निर्यात कर सकता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात का ध्यान रखते हुए कि सोला हैटों का निर्यात अधिकांशत: बर्मा और अफ्रीका जैसे गर्म मुल्कों को ही किया जा सकता है, इन देशों को इसके निर्यात में वृद्धि के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : यह एक बड़ी छोटी सी मद है और हमारा ख्याल है कि इसके लिये कोई विशेष कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इतनी छोटी सी मद है कि इस पर तीन से अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : बंगाल के हजारों व्यक्ति अपनी जीविका के लिये इसी उद्योग पर निर्भर करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

नारियल-जटा के फर्श और पट्टियां

†*२९७. **श्री वारियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के नारियल-जटा के फर्श और पट्टियों (मैट्स एण्ड मैटिंग्स) के उद्योग की गिरती हुई दशा की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकार को पता है कि नारियल-जटा के निर्यात में कुछ कमी हुई है। लेकिन फर्श और पट्टी (मैट्स एण्ड मैटिंग्स) उद्योग की स्थिति साधारणतया सन्तोषप्रद है।

(ख) नारियल-जटा बोर्ड भारत के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर नारियल-जटा की वस्तुओं की खपत बढ़ाने के लिये प्रत्येक सम्भव कार्यवाही कर रहा है।

†**श्री वारियार** : नारियल-जटा के फर्शों और पट्टियों के उत्पादन में १९५६ की तुलना में १९५७ में कितनी कमी हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १९५५-५६-५७ में नारियल-जटा के फर्शों का निर्यात २,१७,००० हंडरवेट से बढ़कर २,३१,०००० हंडरवेट हो गया और पट्टियों, फर्शों (रग्स) और कालीनों का निर्यात १,७०,००० हंडरवेट से घट कर १,२२,००० हंडरवेट रह गया।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार को केरल सरकार से ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया हो कि नारियल-जटा को अत्यावश्यक पण्य घोषित कर दिया जाये ताकि उसकी कीमत निश्चित की जा सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, हमें कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में इसे अत्यावश्यक पण्य घोषित करने की दिशा में कुछ भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी उन्नति के लिये जो भी कार्यवाही की जा रही है उसका उद्देश्य यही है कि प्रारम्भिक उत्पादक को अधिक मूल्य मिल सके।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच नहीं है कि नारियल-जटा की वस्तुओं का कच्चे माल की अवस्था में ही बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप नारियल-जटा के फर्शों और पट्टियों के लिये बाजार नहीं मिलता, और सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा मैंने बताया था, फर्श आदि तैयार चीजों के निर्यात में वृद्धि हो रही है। यह सच है कि अभी भी पर्याप्त प्रगति की जा सकती है और नारियल-जटा का रेशा जो बाहर भेजा जाता है उसका देश के भीतर ही बुनाई के कार्य में उपयोग किया जा सकता है। इसीलिये नारियल-जटा बोर्ड प्रारम्भिक और द्वितीय अवस्था में 'कच्चे' माल के स्थान पर 'तैयार' माल लेने के लिये पूरी कार्यवाही कर रहा है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : भारत में नारियल-जटा उद्योग का सुधार करने के लिये क्या कदम उठाय जा रहे हैं; क्या प्रशिक्षण के लिये किन्हीं व्यक्तियों को विदेश भेजा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक लोगों को बाहर भेजने का प्रश्न है, नारियल-जटा से बनी चीजों के लिये विदेशों में बाजार स्थापित करने के लिये एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही बाहर जाने वाला है। इसकी किस्म सुधारने के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि नारियल-जटा बोर्ड राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि रेशे की किस्म समुन्नत हो और देश में विविध प्रकार के नवीन उत्पादन किये जा सक।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न श्री डामर।

†**श्री डामर** : प्रश्न संख्या २९८।

†**श्री जयपाल सिंह** : श्रीमान मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या ३१४ भी इसी के साथ ले लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री इसका उत्तर साथ ही देने के लिये तैयार हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या २९८ और ३१४ को एक साथ ही ले लिया जाये।

ताड़-गुड़

*२९८. **श्री डामर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ताड़-गुड़ के उत्पादन के लिये अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के लिये जो योजना बनाई गई है उसका व्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से लेकर १५ जनवरी, १९५८ तक निम्न राशि मंजूर की गयी है:—

अनुदान ...	२,४१,९८६ रु० ७ आ०
ऋण ...	९३,९०० रु०
योग	३,३५,८८६ रु० ७ आ०

(ख) झाबुआ जिले में अधिकतर आदिवासी रहते हैं। मध्यभारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने एक योजना चालू की है, जिसका उद्देश्य नशाबन्दी लागू किये जाने से प्रभावित हुए आदिवासी ताड़ी उत्पादकों का पुनर्वास करना और उन्हें ताड़ का रस निकालने तथा ताड़-गुड़ बनाने के सुधरे हुए तरीकों की ट्रेनिंग देना है। इस काम पर खर्च करने के लिये १९५६-५७ से प्रति वर्ष ३५,००० रुपया निश्चित किया गया है। प्रतिवर्ष ३० आदिवासियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको सुधरे हुए औजार मुफ्त दिये जाते हैं। आदिवासियों द्वारा बनाये गये ताड़-गुड़ पर ५ रु० प्रति मन आर्थिक सहायता भी मिलती है।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

*३१४. **श्री डामर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से ताड़-गुड़ बनाने की योजना देश में क्रियान्वित की जा रही है तब से इसके उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या उस राज्य को, जो ताड़-गुड़ के उत्पादन में सबसे आगे है, कोई विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) मद्रास ।

(ख) जी, नहीं ।

श्री अमर सिंह डामर : क्या मैं जान सकता हूं कि झाबुआ तहसील के किन-किन जिलों में योजना लागू है ?

श्री कानूनगो : मेरे पास तहसील की फेहरिस्त नहीं है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अभी तक जिस समय के लिये यह रकम मंजूर की गई थी उस समय में हमारे मध्य प्रदेश में कितना गुड़ तैयार किया गया और इस गुड़ के तैयार करने में अब तक कितना रुपया कुल खर्च हुआ ?

श्री कानूनगो : उत्तर में खर्च का हिसाब दिया हुआ है ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं ऐक्चुएल एक्सपेंसेज (वास्तविक व्यय) जानना चाहता था ।

श्री कानूनगो : ऐकुचएल एक्सपेंसेज का हिसाब मेरे पास नहीं है और कितना गुड़ साल व साल हुआ है उसका भी हिसाब नहीं है ।

†**श्री सूपकार** : ताड़-गुड़ के उत्पादन लागत और गन्ने से उत्पन्न गुड़ की लागत में क्या उत्तर है ?

†**श्री कानूनगो** : उत्पादन-लागत प्रत्येक स्थान पर भिन्न-भिन्न है । मद्रास में यह बहुत कम है और अन्य स्थानों में कुछ अधिक है ।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने प्रश्न संख्या ३१४ के उत्तर में यह बताया कि मद्रास राज्य में ताड़-गुड़ का उत्पादन सर्वाधिक है । ताड़-गुड़ उत्पादन करने वाली सहकारी समितियों को क्या विशेष सहायता दी जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : समितियों की सम्पूर्ण आवश्यकताएं प्राय पूरी की जा रही हैं । उन्हें विशेष सुविधाएं देने का प्रश्न है । विशेष सुविधाएं कुछ नहीं दी गई हैं ।

श्री मा० ला० वर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन से गुड़ निकाला जाता है उन दरख्तों में से कितने जिन्दा रहते हैं और कितने सूख जाते हैं ?

श्री कानूनगो : दो किस्म के पेड़ों से खजूर और ताड़ दोनों से, रस निकाला जाता है । पेड़ों को कोई खतरा नहीं होता ।

श्री मा० ला० वर्मा : मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसकी जांच कराई है कि सूखते नहीं ह ? क्या आप यह बिलकुल विश्वासपूर्वक कह सकते हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मुझे मालूम है कि नहीं सूखते हैं ।

श्री मा० ला० वर्मा : मैं मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में जांच करायें क्योंकि में बखूबी जानता हूं कि वे सूख जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री मोरारजी देसाई : रस निकालने से तो नहीं सूखते हैं और किसी वजह से सूख जाते हों तो सूख जाते हों ।

कोरापट में रेडियो स्टेशन

†*२९९. **श्री संगण्णा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, कटक, को सशक्त बनाने की दृष्टि से कोरापट जिला (उड़ीसा) में एक किलोवाट प्रसारण स्टेशन खोला जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खोला जायेगा ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

†**श्री संगण्णा :** : क्या कटक स्टेशन की प्रास्थिति में अब वृद्धि कर दी गई है ।

†**डा० केसकर :** एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि कटक स्टेशन को अधिक सशक्त बनाया जा रहा है और अब कटक में २० किलोवाट ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है ।

†**श्री संगण्णा :** क्या कोरापट में रेडियो स्टेशन खोलने की कोई सम्भावना नहीं है ? क्या आकाशवाणी के बैजवाड़ा स्टेशन के कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षिण से आदिमजाति कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये समय की व्यवस्था करने का विचार है ?

†**डा० केसकर :** जब कटक स्टेशन की शक्ति बढ़ जायेगी तो इस प्रश्न पर अवश्य ही विचार किया जायेगा ।

†**श्री पाणिग्रही :** कटक स्टेशन की शक्ति कब बढ़ेगी ?

†**डा० केसकर :** ट्रांसमीटर लगाने का कार्य प्रायः पूरा हो चुका है और आशा है कि मार्च के मध्य तक यह प्रसारण कार्य आरम्भ कर देगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** : क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि कोरापट में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति तेलुगु भाषी हैं अतः उन्हें एक पृथक् रेडियो स्टेशन की आवश्यकता है ?

†**डा० केसकर :** मैं इसे युक्तिसंगत नहीं समझता हूं कि कोरापट में तेलुगु भाषी लोगों के रहने से ही वहां एक पृथक् रेडियो स्टेशन बना दिया जाये ।

सीमावर्ती घटनायें

†*३०१. **श्री दशरथ देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में त्रिपुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों से पूर्वी पाकिस्तान में कितने ढोरों को उठाकर ले जाने का समाचार मिला है;

(ख) क्या उठाकर ले जाये गये ढोरों को प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) ढोरों को उठाकर ले जाने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १ जनवरी, १९५७ से १५ जनवरी, १९५८ तक ३३ ढोर उठाकर ले जाये गये ।

(ख) पाकिस्तान के सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कड़ा विरोध प्रकट कर ढोर लौटाने के लिये कहा गया ।

(ग) उठाये गये ढोर में से कोई भी नहीं लौटाया गया है । इस प्रश्न पर अभी पत्र-व्यवहार जारी है ।

(घ) पाकिस्तानियों द्वारा ढोरों को उठाने से रोकने के लिये सीमावर्ती पुलिस से अधिक सतर्कता रखने के लिये कहा गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

*२८६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १७ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को बस्तियों में बिजली, पानी और भूमिगत नालियां आदि बनाने की सब विकास योजनायें नियत समय में पूरी हो जायेंगी; और

(ख) अब तक हुए विकास कार्य का व्योरा क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों में अब तक किये गये डेवेलेपमेंट (विकास कार्य) के बारे में एक स्टेटमेंट (विवरण) सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८**]

रायपुर में रेडियो स्टेशन

†*२९२. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में हाल में उनकी यात्रा के दौरान में बहुत से लोगों की ओर से रायपुर में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रार्थना पर विचार किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश की विधान सभा के रायपुर के एक सदस्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । रायपुर और बिलासपुर की यात्रा क दौरान में भी मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । उस क्षेत्र की प्रतिनिधि जनता के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विभिन्न कारणों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं होगा । भोपाल में १० किलोवाट एस डब्ल्यू ट्रांसमीटर लगाने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया था । उसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ क्षेत्र समुचित रूप से इसके अन्तर्गत सम्मिलित हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दिल्ली दूकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम

†*२९४. **श्री वाजपेयी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम को दिल्ली के नवविकसित क्षेत्रों और बस्तियों में लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जायेगा; और

(ग) इसमें कौन-कौन सी बस्तियां और क्षेत्र सम्मिलित रहेंगे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली निगम की स्थापना के पश्चात् ।

(ग) जो क्षेत्र आजकल पश्चिमी और दक्षिणी नगर पालिकाओं के अन्तर्गत है ।

कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों का केन्द्रीय बोर्ड

†*३००. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की इस सिफारिश के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है कि सदस्यों को निम्नलिखित कार्यों के लिये भविष्य निधि में से ऋण स्वीकृत कर दिया जाये:—

(१) गृह-निर्माण;

(२) गम्भीर रोग; और

(३) पुत्री का विवाह;

(ख) यदि हां, तो यह कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). प्रश्न विचाराधीन है ।

बारूद की फैक्टरियां

†*३०२. { **श्री हेमराज** : **श्री पद्म देव** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बारूद के ऐसे कितने कारखान हैं जिन में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग स बारूद तैयार किया जाता है;

(ख) क्या वे सब विदेशियों अथवा भारतीयों से सम्बन्धित हैं;

(ग) यदि इन पर विदेशियों का स्वामित्व है तो भारतीयों को इन फैक्टरियों में प्रशिक्षित करने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध किया गया है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में भारतीय नवयुवकों के विदेशों में प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई व्यवस्थ विद्यमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) देश में ऐसी कोई फैक्टरियां नहीं हैं जिन में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से बारूद बनाया जाता हो ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

(घ) जी नहीं ।

अगरतला में दृष्टांक कार्यालय (वीसा आफिस)

†*३०३. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अगरतला नगर में स्थापित दृष्टांक कार्यालय (वीसा आफिस) बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा के अधिकांश व्यक्ति और विशेष रूप से विस्थापित व्यक्तियों को गहरी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस विषय में बातचीत की है जिस में उनसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†*३०४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना की निधि बढ़ाने के लिये हाल में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रार्थना पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं; और

(घ) उस कार्य के लिये पंजाब में कुल अतिरिक्त राशि कितनी दी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां । पंजाब सरकार ने प्रार्थना की है कि १९५७-५८ में ६६·७५ लाख रुपये के आवंटन को बढ़ाकर ९०·०० लाख रुपये कर दिया जाये ।

(ख) से (घ). राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार किया गया है । यदि राज्य सरकार १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष के बचे हुए महीनों में पर्याप्त रकम वितरित कर दे तो अन्य गृह-निर्माण योजनाओं में से बचाई गई राशि में से और आवंटन सम्भव हो सकता है । राज्य सरकार के पास दिसम्बर, १९५७ के अन्त में लगभग ३५·०० लाख रुपये की अतिरिक्त राशि थी ।

†मूल अंग्रेजी में ।

सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर

†*३०५. { **श्री रघुवीर सहाय :**
श्री खुशवक्त राय :
श्री सुशीला नायर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर स्थित सीमेंट फैक्टरी के विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयात लाइसेंस के लिये केन्द्र से कहा है;

(ख) यदि हां, तो कब कहा था; और

(ग) अभी तक लाइसेंस स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, १९५७।

(ग) अब लाइसेंस स्वीकार कर दिया गया है।

जूट मिलें

†*३०६. { **श्र० क० गोपालन :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और नवम्बर, १९५७ के अन्त तक कुल कितनी जूट मिलें बन्द हुई हैं; और

(ख) इन मिलों को चलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) छः।

(ख) एक मिल को छोड़कर बाकी सब मिलों के 'करघा घण्टे'[1] अन्य चालू मिलों के 'करघा घण्टों' में जोड़ दिये गये हैं; अतः सरकार का इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

खुला सामान्य लाइसेंस[2]

†*३०७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने देशी नावों के लिये खुले सामान्य लाइसेंस का नवीकरण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]. Loom Hours.

[2]. Open General Licence.

आसाम की सीमा पर पाकिस्तानी सेना

†*३०८ { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री पाणिग्रही :
श्री रघुनाथ सिंह
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री वाजपेयी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसाम सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का भारी जमाव हो रहा है; और

(ख) क्या सेनाओं के जमाव से सीमावर्ती व्यापार रुक गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) सरकार को मालूम है कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार के तस्कर व्यापार को रोकने के आन्दोलन में उस सरकार की सहायता करने के लिये आसाम-पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को नियोजित किया गया है।

(ख) जी, हां काफी सीमा तक।

विस्थापित व्यक्तियों को रियायतें

†*३०९. **श्री राधा रमण :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को किराये की बकाया राशि का भुगतान करने और रिजर्व कीमत पर जायदाद खरीदने के लिये कोई नई रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों का स्वरूप और ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन बाजारों के विस्थापित आवंटियों को कुछ रियायत देने पर विचार किया है जो अभी भी सरकारी सम्पत्ति हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) से (ग). जायदाद की रिजर्व कीमत का भुगतान करने और किराये की बकाया राशि को चुकाने के बारे में सरकार द्वारा १२ जून, २ जुलाई, २८ जुलाई और ३१ दिसम्बर, १९५७ को जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियों की प्रतियां लोक-सभा के पटल पर रखी जाती हैं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९**]

छोटे पैमाने के उद्योग

†*३१०. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वित्त निगमों के मार्फत छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये निर्दिष्ट राशि वितरण करने के लिये राज्य सरकारों को अनुदेश दिये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कितनी रकम निर्धारित की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**

विजय चौक

***३११. { श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय से भारत द्वार (इंडिया गेट) तक जाने वाली सड़क पर स्थित विजय चौक को और सुन्दर बनाने के उद्देश्य से अनेक फव्वारे और उपहार-गृह बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां। १९५६ में मन्जूर किये गये कार्यक्रम पर काम चालू है।

(ख) लगभग ६ लाख रुपये, जिस में सार्वजनिक सुविधायें देने की लागत भी शामिल है।

सीमावर्ती घटनाएं

†*३१२. **दी० चं० शर्मा** : : क्या **प्रधान मंत्री** ११ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ अक्तूबर, १९५७ को भारत में रजाकारों के प्रवेश के विरुद्ध किये गये विरोध के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** :(क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने विरोध पत्र के प्राप्त होने की सूचना दी है। उनका अन्तिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र मानचित्र

†*३१३. **{ श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **प्रधान मंत्री** १० दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३७७ के उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानचित्र में काश्मीर की स्थिति के बारे में भारत ने आपत्ति करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय को जो पत्र भेजा था उसका क्या उत्तर मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादल अली खां)** : अभी उस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय से लिखा-पढ़ी चल रही है। न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि को इस विषय में अन्तिम पत्र १०-२-५८ को भेजा गया था।

कोयला खानों में औद्योगिक स्वास्थ्य रक्षा सर्वेक्षण[1]

†*३१५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में औद्योगिक स्वास्थ्य रक्षण सर्वेक्षण की प्रस्थापना पर अन्तिम निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में यह प्रस्थापना कब कार्यान्वित की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) यह देखने के लिये सर्वेक्षण आरम्भ हो गया कि 'न्यूमोकोनियोसिस'[2] से कितने लोग पीड़ित हैं।

(ख) आशा है कि सर्वेक्षण १९५८ की समाप्ति तक पूरा हो जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मीटर प्रणाली के बाट और पैमाने

†*३१६. { **श्री वाजपेयी** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर प्रणाली के बाट और पैमानों की योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या कुछ ऐसे क्षेत्र चुनने का विचार है जहां यह योजना पहले कार्यान्वित की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए (१) उन राज्यों का विधान बनाना होगा जहां यह बाट और पैमाने प्रयोग में लाये जाने हैं (२) राज्य सरकारों ने इसे लागू करने के लिए एक संस्था बनानी होगी (३) जनता में प्रयोग के लिये बांटों और पैमानों का पर्याप्त संभरण करना होगा और (४) वार्णिज्यक बाट और पैमाने ठीक हैं या नहीं इसे देखने के लिये प्रमाप तैयार करने होंगे। इस विषय में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है इस लिये यह निश्चय किया गया है कि इस वर्ष अक्तूबर में कुछ एक क्षेत्रों में मीटर प्रणाली के बाट और पैमाने चालू कर दिये जायेंगे।

(ख) हां, श्रीमान्। एक विवरण, जिसमें उन क्षेत्रों के नाम बताये गये हैं जहां नये तोल और माप चालू किये जायेंगे, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]. Industrial Hygiene Survey.

[2]. Pneumoconiosis.

आशा है कि यह प्रणाली कुछ एक केन्द्रीय और राज्य विभागों में कुछ निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और कुछ बड़े उद्योगों में कच्चे माल की खरीद और तैयार माल के विक्रय के लिये चालू किये जायेंगे।

लंका में भारतीय

†*३१७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और लंका की सरकारों में भारतीयों के प्रत्यावर्तन सम्बन्धी योजना के बारे में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है; और

(ख) यदि हां तो किस प्रकार का पत्र-व्यवहार हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). लंका में भारतीय उच्चायुक्त और लंका सरकार में समय-समय पर उन भारतीयों के प्रत्यावर्तन के बारे में पत्र-व्यवहार होता रहा है जो रिहायश का अस्थायी परमिट प्राप्त करके लंका में रह रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्यावर्तन का कार्य धीरे-धीरे और लगातार होता रहे और साथ ही भारतीय प्राधिकारियों से भी परामर्श होता रहे जिससे कि वहां से आने वाले भारतीयों को भी कष्ट न हो और भारत सरकार के लिये उन्हें बसाने की समस्या भी न पैदा हो।

कराची में रोका गया भारतीय यात्री

†*३१८. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ४ जनवरी, १९५८ के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित यह समाचार सही है कि एक भारतीय यात्री श्री रुल्दा राम को, जो दिल्ली से लंदन जा रहे थे, पाकिस्तान पार-पत्र प्राधिकारियों ने कराची के हवाई अड्डे से इस आधार पर लौटा दिया कि उसका पार-पत्र असली नहीं था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान पार-पत्र प्राधिकारियों ने उक्त यात्री को कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त से भी बातचीत करने की आज्ञा नहीं दी;

(ग) क्या उन्हें इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उसी विमान में कराची से दिल्ली वापस आने के लिये मजबूर किया गया जिसमें वह गये थे;

(घ) क्या दिल्ली में उनका पार-पत्र ठीक पाया गया;

(ङ) क्या पाकिस्तान पार-पत्र प्राधिकारियों के इस बर्ताव के खिलाफ पाकिस्तान सरकार के पास कोई पत्र भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां।

(ख) श्री रुल्दा राम जब कराची से दिल्ली लौट आये तो उन से सफदर जंग हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क और सुरक्षा पुलिस पदाधिकारियों के पूछताछ करने पर पता चला कि कराची हवाई अड्डे के स्थानीय प्राधिकारियों ने उन्हें भारतीय उच्चायुक्त से बातचीत नहीं करने दी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां। हमने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि उन्हें भारतीय उच्चायुक्त से बातचीत करने अथवा मिलने नहीं दिया गया। उनका पार-पत्र ठीक था और इससे उन्हें बड़ी असुविधा हुई है।

(च) पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में खन्ना मार्केट

†*३१९. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री कोडियान :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की खन्ना मार्केट (तीस हजारी के निकट) गिरा दी जायेगी :

(ख) क्या खन्ना मार्केट के दूकानदारों को किसी दूसरे स्थान पर दूकानें दी जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन इस विषय पर विचार कर रहा है।

(ग) अभी स्थान नहीं चुना गया है।

खान अधिनियम, १९५२

†*३२०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान औद्योगिक समिति की अगस्त, १९५७ की बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार खान अधिनियम १९५२ में संशोधन करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो विधान में संशोधन कब किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां। अगस्त, १९५६ में हुई कोयला खान औद्योगिक समिति की बैठक में दी गई सिफारिशों के आधार पर संशोधन किया जायेगा।

(ख) संशोधनों की कुछ अन्य प्रस्थापनायें भी विचाराधीन हैं उन पर अन्तिम निर्णय होते ही संशोधनार्थ अधिनियम प्रस्तुत होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत और इटली में व्यापार करार

†*३२१. **श्री वाजपेयी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इटली के व्यापारिक करार की अवधि दिसम्बर, १९५८ तक बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हां तो क्या १९५४ के मूल करार में कोई परिवर्तन किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** :(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

विदेशी उच्चपदधारियों की भारत यात्रा

†३५९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में किन-किन विदेशी उच्चपदधारियों के भारत आने की सम्भावना है और उनके कार्यक्रम का ब्योरा क्या होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस वर्ष में अब तक जो विदेशी उच्चपदधारी भारत आये और जो १९५८ में आने वाले हैं उनके नाम और साथ ही उनके कार्यक्रम का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

१. चैकोस्लोवाकिया के प्रधान मंत्री ३ जनवरी से १५ जनवरी, १९५८ ।
२. इंडोनेशिया के प्रधान मंत्री ६ जनवरी से १२ जनवरी, १९५८ ।
३. संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक डा० फ्रैंक पी० ग्राहम १२ जनवरी से १७ जनवरी, २३ जनवरी से १ फरवरी, १९५८ और पुनः ७ फरवरी से १३ फरवरी, १९५८ ।
४. स्विटजरलैंड के सूचना और प्रसारण विभाग के प्रधान, श्री लेपोरी, २२ जनवरी से ४ फरवरी, १९५८ ।
५. संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, श्री डेविड ओवन, २३ जनवरी से २९ जनवरी, १९५८ ।
६. वियतनाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपति ५ फरवरी से १४ फरवरी, १९५८ ।
७. शाह अफगानिस्तान ११ फरवरी से २६ फरवरी, १९५८ ।
८. संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका के स्थायी प्रतिनिधि श्री कैबट लाज १२ फरवरी से १७ फरवरी, १९५८ ।
९. आस्ट्रिया के विदेश मंत्री २ मार्च से ९ मार्च, १९५८ ।
१०. रूमानिया के प्रधान मंत्री ७ मार्च से २१ मार्च, १९५८ ।
११. न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री १७ मार्च से २० मार्च, १९५८ ।

काश्मीर का मामला

†३६०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने काश्मीर के मामले पर अद्यावधिक जानकारी देने वाला एक श्वेत पत्र तैयार किया है और उसे जारी करने का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत के मित्र देश इसकी मांग कर रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) लोक-सभा में समय-समय पर काश्मीर के मामले पर भारत सरकार की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिये गये हैं। गत वर्ष सुरक्षा परिषद् की बैठकों में भी भारत के प्रतिनिधि ने इस प्रकार के वक्तव्य दिये हैं। ये वक्तव्य प्रकाशित किये गये हैं और १३ नवम्बर, १९५७ तक जो वक्तव्य दिये गये हैं उनकी प्रतियां लोक-सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। १८ नवम्बर, १९५७, २१ नवम्बर, १९५७ और २ दिसम्बर, १९५७ की सुरक्षा परिषद् की बैठकों में भारत के प्रतिनिधि द्वारा दिये गये वक्तव्य प्रकाशित कराये जा रहे हैं और उनकी प्रतियां सभा-पटल पर रख दी जायेंगी। इनके अतिरिक्त भारत सरकार और कोई श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहती।

(ख) ऊपर के भाग (क) में उल्लिखित वक्तव्यों में भारत सरकार की स्थिति का जो वर्णन किया गया है उसका अध्ययन विदेशी प्रेस ने किया है और भारत की सूचना सेवा ने उसमें से टिप्पणियां लेकर तीन खण्डों की एक पुस्तक जिसका नाम "काश्मीर-फारेन प्रैस कमैंट" है, तैयार की है। इसकी प्रतियां लोक-सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कामगरों का शिक्षण

३६१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामगरों के शिक्षण के सम्बन्ध में फोर्ड फाउन्डेशन के सहयोग से जो समिति नियुक्त की गई है उसके कौन-कौन सदस्य हैं; और

(ख) समिति द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) कामगर शिक्षा सम्बन्धी टीम में निम्नलिखित व्यक्ति थे :—

(१) मि० अंथनी लुचेक,
प्रोफेसर ऑफ इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स और डायरेक्टर, लेबर एजुकेशन सर्विस, दि पेन्सिल-वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी।

(२) मि० एमरी बैकन,
डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड स्टील वर्कर्स ऑफ अमेरिका।

(३) मि० नुट लार्सन,
स्वेडिश वुड वर्कर्स यूनियन के भूतपूर्व प्रेजिडेंट।

(४) मि० पर्सी नाइट,
ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, ब्रिटेन, और भूतपूर्व असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, नैशनल यूनियन ऑफ सीमन, यूनाइटेड किंगडम।

(५) सोशल इन्स्टिट्यूट, पूना के फादर ए० फैनसेका।

(६) श्री ए० एस० आयंगार,
बम्बई सरकार के रिटायर्ड लेबर कमिश्नर।

†मूल अंग्रेजी में।

(७) श्री पी० एस० ईश्वरन,
चीफ लेबर कमिश्नर, भारत सरकार ।

(८) श्री बी० एन दातार,
डाइरेक्टर, लेबर एंड एम्प्लायमेंट डिवीजन, योजना कमीशन ।

(ख) जब तक कि कार्यक्रम को टीम की सिफारिशों के अनुसार चलाने के लिये ट्रेड यूनियनों, मालिकों, सरकार और शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कामगर शिक्षा सम्बन्धी एक अर्ध-स्वायत केन्द्रीय बोर्ड स्थापित होता है, तब तक कार्यक्रम के पहले भाग के सम्बन्ध में कार्यवाई पूरी करने के लिये सरकार ने कामगर शिक्षा सम्बन्धी एक त्रिदलीय समिति बनाई है । ६० टीचर एडमिनिस्ट्रेटरों को बम्बई में छः महीने तक ट्रेनिंग देने का विचार है । इनमें १५ प्रशिक्षार्थियों को अखिल भारतीय कामगर संगठन नामजद करेंगे और ४५ प्रशिक्षार्थी देश के विभिन्न प्रदेशों से लिये जायेंगे । कामगरों की शिक्षा योजना के लिये एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जा चुकी है ।

गन्दी बस्तियों की सफाई

३६२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों से गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये अब तक राज्य-वार कितनी योजनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उन योजनाओं का व्योरा क्या है;

(ग) इनके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में से अलग-अलग कितना ऋण अथवा अनुदान दिया जा चुका है अथवा देने का विचार है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) से (ग). ब्योरा साथ लगे विवरण में दे दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५२]**

राष्ट्रीय इमारत संस्था

३६३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय इमारत संस्था ने आवास सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करने के लिये क्या काम किया है;

(ख) इन आंकड़ों को कौन-कौन से विभाग काम में ला रहे हैं; और

(ग) निर्माणोपयोगी सामग्री, दरवाजे और खिड़कियों आदि के प्रमापीकरण के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) इस क्षेत्र में राष्ट्रीय इमारत संस्था का कार्य मुख्यतः केन्द्रीय तथा राज्य संस्थाओं द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों की तुलनात्मक जांच करके उन्हें एकीकृत रूप में तैयार करना है । इस सम्बन्ध में इसने अब तक निम्नलिखित कार्य-वाही की है :—

(१) केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग तथा अन्य सरकारी निर्माण संस्थाओं के आवास और निर्माण कार्यों के आंकड़े जमा करने के लिये फार्मों का रूप निर्धारित किया है, और आंकड़े इकट्ठा करने के लिये कार्यवाहीं की जा रही है ।

(२) म्यूनिसिपल क्षेत्रों में गैर-सरकारी निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार आंकड़े इकट्ठा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(३) १९६१ में होने वाली जनगणना के साथ ही आवास-स्थिति के प्राथमिक आंकड़े भी इकट्ठा करने का निर्णय किया गया है ।

(४) राज्य सरकारों के अंक-शास्त्रीय कार्यालयों द्वारा आवास सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठा करने, तथा नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों के दो कमरे वाले मकानों में रहने वालों के निवास-व्यवहारों का न्यादर्श सर्वेक्षण करने की भी कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) राष्ट्रीय इमारत संस्था जो आंकड़े प्रकाशित कर रही है उनमें सेन्ट्रल बिल्डिन्ग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग, आदि को अभिरुचि होनी चाहिये, किन्तु इस समय यह मालूम नहीं है कि देश की विभिन्न निर्माण एवं अन्य संस्थाओं ने उन का कितना उपयोग किया है ।

(ग) (१) राष्ट्रीय इमारत संस्था ने दरवाजों व खिड़कियों के नमूनों के नक्शे तैयार किये हैं, और अच्छी निर्माण-रीतियों जैसे "मैसोनरी मार्टस" पर सूचना भी प्रकाशित की है । अन्य सम्बन्धित विषयों जैसे फर्श बनाना, पलस्तर करना, ईंटों की चुनाई आदि पर भी वैसी ही टिप्पनियां तैयार व प्रकाशित करने में प्रगति हो रही है ।

(२) चूना तथा जिप्सम से बनने वाली निर्माण सामग्रियों के प्रामाणिक विवरण राष्ट्रीय इमारत संस्था में तैयार किये जा रहे हैं ।

(३) विभिन्न प्रामाणिक विवरणों के तैयार करने में भारतीय मानक संस्था को राष्ट्रीय इमारत संस्था सहयोग तथा सहायता देती है । निर्माण कार्य के लिये ईंटों, चौके (टाइलों) व प्राकृतिक पत्थरों के प्रामाणिक विवरण बनाने में राष्ट्रीय इमारत संस्था ने भारतीय मानक संस्था के साथ काम किया है ।

बम्बई में सरकारी कार्यालयों के लिये स्थान

३६४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये १·०३ लाख वर्ग फुट स्थान की जो कमी है उसे पूरा करने के लिये क्या योजना बनाई गई है;

(ख) यह कमी कब तक पूरी हो जायेगी;

(ग) इस समय इस कमी को पूरा करने के लिये कितनी गैर-सरकारी इमारतें ली गई हैं; और

(घ) इन गैर-सरकारी इमारतों का प्रति वर्ष कितना किराया दिया जा रहा है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). इस समय वास्तव में १·१५ लाख वर्ग फुट की कमी है । क्वीन्स रोड पर केन्द्रीय कार्यालय भवन के विस्तार का कार्य कुछ महीनों में पूरा हो जाने पर ९०,००० वर्ग फुठ अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो जायेगा । किन्तु इसमें से ४०,००० वर्ग फुट कुछ ऐसे कार्यालयों के लिये आरक्षित रखना पड़ेगा जो कि अल्पकालिक इमारतों में हैं जिन्हें गिरा देना होगा । बम्बई में और भी कार्यालय भवन बनाने के प्रश्न पर विचार करना है ।

जब तक और भी नई इमारतें नहीं बन जातीं, सरकार को उपयुक्त अवसरों पर इमारतें किराये पर लेनी होंगी अथवा उनका अधिग्रहण करना होगा ।

(ग) और (घ). सरकार ने ऐसी किसी भी इमारत का अधिगमन नहीं किया है । किन्तु २५ इमारतें किराये पर ली गई हैं और १४ इमारतें अधिग्रहित हैं । इन ३९ इमारतों के लिये १०·६४ लाख रुपया वार्षिक किराया दिया जाता है ।

फास्फोरस

३६५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रो थर्मल प्रणाली द्वारा फास्फोरस बनाने और उससे थर्मल सुपर फास्फेट बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने निर्माताओं से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस प्रणाली द्वारा कितना थर्मल सुपर फास्फेट प्रति वर्ष तैयार किया जा सकेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). देश में फास्फोरस बनाने के लिए किसी गैर-सरकारी फर्म से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रस्ताव है कि कुछ विशेषज्ञों को विदेश भेजा जाय जिससे वे देश में इस तरह से फास्फोरस बनाने के आयोजन का अनुभव प्राप्त कर सकें ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

३६६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कुल कितने मकान कहां-कहां बनाये गये;

(ख) इन मकानों के बनान पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) मकानों के (एक) किराये और (दो) बिक्री से कुल कितनी आय हुई ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग). ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों से सम्बन्धित है । जो समय और मेहनत इस विस्तृत जानकारी को एकत्रित करने में लगेगी वह प्राप्त होने वाले परिणाम के बराबर नहीं होगी । यदि किसी विशेष राज्य के बारे में जानकारी मांगी जावे तो उसे एकत्रित करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

सिलाई की मशीनें

†३६७. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अब तक देश में कुल कितनी सिलाई की मशीनें तैयार की जा चुकी हैं; और

(ख) इनमें से कितनी देश में बेची गई हैं और कितनी निर्यात की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लगभग १,४०,००० ।

(ख) देश में बेची गई मशीनों की संख्या उपलब्ध नहीं है । अप्रैल-दिसम्बर, १९५७ में छोटे कारखानों ने ११,१०० मशीनें बेची हैं; १९५७ में कुल ४,५७५ मशीनें निर्यात की गईं ।

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

†३६८. **श्री ओंकार लाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा डिवीजन में कितने विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिकर के दावे मंजूर किये जा चुके हैं;

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के कितने आवेदन-पत्रों पर अभी निर्णय किया जाना है; और

(ग) उनका निबटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १९५० के दावा अधिनियम के अन्तर्गत जो दावे दायर किये गये थे उन्हें पाकिस्तान में सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार अभिलिखित किया गया था । इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया कि भारत में किस स्थान से दावा भेजा गया । इसके अतिरिक्त दावा पदाधिकारियों का अधिकार क्षेत्र भारत में प्रशासन-एककों के अनुसार नहीं था । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कोटा डिवीजन से कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों के क्लेम वसूल हुए ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में सड़कें

†३६९. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में इस समय कितने मील लम्बी एसी सड़कें हैं जहां जीप और मोटर गाड़ी चल सकती है; और

(ख) अभी इन सड़कों पर कितने पुल बनाये जाने हैं, और वे कब तक बन जायेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जीप योग्य सड़क ९०६ मील मोटर गाड़ी योग्य सड़क—४६६ मील ।

(ख) ६४ इनमें से ५८ के निर्माण का काम चालू पंचवर्षीय योजना में ही आरम्भ होने की आशा है और शेष तृतीय योजना काल में ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एकक

†३७०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में उत्तर प्रदेश में कुछ नये औद्योगिक एकक चालू किये जायेंगे; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो वे एकक किस प्रकार के होंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३**]

गन्दी बस्तियों की सफाई

†**३७१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों से गन्दी बस्तियों की सफाई की कोई योजनायें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं पर विचार किया गया है और उनके लिये निधि की स्वीकृति दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां। गन्दी बस्तियों की सफाई की चार योजनायें बिहार सरकार से और चार पश्चिमी बंगाल से प्राप्त हुई हैं।

(ख) बिहार की तीन परियोजनाओं पर, जिन पर ३२·२० लाख रुपये की लागत का अनुमान है, राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल की चार में से दो परियोजनाओं की स्वीकृति अक्तूबर, १६५७ में दी गई थीं और उन पर ७१·०४ लाख रुपयें की लागत अनुमोदित की गई थी। अनुमोदित लागत का २५ प्रतिशत संघ सरकार राज्य सहायता के रूप में और ५० प्रतिशत ऋण के रूप में देगी। तीसरी परियोजना पुनः पश्चिमी बंगाल सरकार को उसे फिर से तैयार करने के लिये भेज दी गई है। तीसरी, परियोजना, जो कलकत्ता निगम ने तैयार की थी और जिसपर २ करोड़ रुपए की लागत अनुमोदित की गई थी, के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रार्थना की थी कि उसके लिये उस २·८० करोड़ रुपये के आवंटन के अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की जाये जो द्वितीय योजना के अन्तर्गत गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के लिये किया गया है। भारत सरकार इस प्रार्थना का परीक्षण कर रही है।

काम दिलाऊ दफ्तर

३७२. { **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १६५७ तक देश में राज्य-वार कितने काम दिलाऊ दफ्तर खोले गये और १६५७-५८ की शेष अवधि में कितने काम दिलाऊ दफ्तर खोले जायेंगे; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक राज्य में कितने काम दिलाऊ दफ्तर खोले जायेंग ?

†मूल अंग्रजी में।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). सूचना नीचे लिखे अनुसार है :-

राज्य का नाम	३१-१२-५७ तक खोले गये नियोजन कार्यालयों की संख्या	जनवरी-मार्च १९५८ के दरम्यान खोले जाने वाले नियोजन की प्रस्तावित संख्या	दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में खोले जाने वाले नियोजन कार्यालयों की प्रस्तावित संख्या १९५६–६१
१. आन्ध्र प्रदेश	१५	१	६
२. असम	६	१	५
३. बिहार	१९	१	२
४. बम्बई	१७	८	१९
५. जम्मू व कश्मीर	—	—	२
६. केरल	६	—	२
७. मध्य प्रदेश	९	६	२१
८. मद्रास	१२	१	१
९. मैसूर	८	—	८
१०. उड़ीसा	६	१	६
११. पंजाब	१८	—	७
१२. राजस्थान	१०	२	११
१३. उत्तर प्रदेश	३२	१	२३
१४. पश्चिमी बंगाल	१३	४	६
१५. दिल्ली	१	—	—
१६. हिमाचल प्रदेश	२	१	३
१७. मणिपुर	१	—	१
१८. त्रिपुरा	१	—	१
१९. पांडिचेरी	१	—	१
कुल :	१७७	२७	१२५*

*इनमें चालू साल के बाकी भाग में खोले जाने वाले मंजूर शुदा २७ नियोजन कार्यालय, (जिन्हें कालम ३ में दिखाया गया है) और दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में खोले गये नये ४३ नियोजन कार्यालय (जिन्हें कालम १ में दिखाया गया है) भी शामिल है ।

हाथ करघा उद्योग

†३७३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में अब तक उड़ीसा राज्य में हाथ करघा उद्योग के विकास के लिये कितना रुपया व्यय किया गया है; और

(ख) यह किन-किन मद्दों पर व्यय किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४**]

पाकिस्तानी राष्ट्रजन द्वारा कत्ल

†३७४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू व काश्मीर राज्य में जम्मू से ४० मील की दूरी पर पालनवाला नामक एक ग्राम में एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन ने एक व्यक्ति २४-२५ दिसम्बर, १९५७, को मौत के घाट उतार दिया;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) तथा (ख). जी, हां । २४ और २५ दिसम्बर, १९५७ की रात्रि को कुछ लोगों ने, जिन्हें कि पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है, जम्मू से ४० मील की दूरी पर पालनवाला नामक ग्राम में एक झौंपड़ी पर हमला बोल दिया था । उस झौंपड़ी वासी को मार कर आक्रमणकारी उसकी भेड़ और बकरियां लेकर भाग गये ।

प्रारम्भिक जांच से यह विदित हुआ है कि वे लोग सीमा की तरफ भागे थे । इस विषय में अभी आगे जांच जारी है ।

राजनयिक पारपत्र

†३७५. { **श्री मुरारका :**
 श्री नथवानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से अब तक कितने राजनयिक पारपत्र जारी किये गये हैं;

(ख) उनमें से इस समय कितने पारपत्र वैध हैं; और

(ग) ये पारपत्र किस अर्हता के व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) तथा (ख). राजनयिक पारपत्र सामान्यतया वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं । विदेशों में भारतीय दूतावासों के मुख्याधिकारीयों को भी कुछ विशष वर्गों के व्यक्तियों को ऐसे पारपत्र जारी करने का अधिकार है तथा वे इन की मुनियाद भी बढ़ा सकते हैं । बहुत प्रयत्न करने पर भी सभी भारतीय मिशनों से यह सूचना मांग सकना कि उन्होंने १९४७ से कितने राजनयिक पारपत्र जारी किये हैं बड़ा कठिन होगा और यह बता सकना कि उनमें से अब कितने वैध हैं और भी कठिन होगा क्योंकि प्रत्येक पारपत्र की वैधता की अवधि भिन्न-भिन्न होती है ।

(ग) राजनयिक पारपत्र मंत्रिमण्डल के सदस्यों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सरकारी कार्य से विदेशों में जाने वाले अन्य मंत्रियों व उपमंत्रियों को जारी किये जाते हैं । इसी प्रकार सरकारी कार्य से जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी विदेश जाते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिये जो सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधि बाहर जाते हैं उनको भी ये पारपत्र दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों, उनकी पत्नियों और १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों, जोकि उनके साथ विदेशों में जाते हैं, के लिये भी राजनयिक पारपत्र जारी किये जाते हैं क्योंकि इन लोगों को विदेशों में प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है ।

गृह-निर्माण योजना

†३७६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ के दौरान में विभिन्न राज्यों को भिन्न-भिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत कितना-कितना ऋण तथा कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) इसमें से वास्तव में उन राज्यों को कितनी राशि दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५**]

विदेशी पारितोषिक

†३७७. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नागरिकों के लिये विदेशी पारितोषिकों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं;

(ख) स्वतन्त्रता के पश्चात् किन-किन भारतीयों ने ऐसे पारितोषिक प्राप्त किये हैं; और

(ग) वे किस प्रकार के पारितोषिक थे व किन-किन राष्ट्रों से प्राप्त हुए हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को विदेशों से ऐसे सम्मानार्थ पदक व पारितोषिक लेने का निषेध नहीं करता है जो कि विदेशी सरकारों द्वारा दिये गये खिताब न हों । किन्तु सरकारी कर्मचारियों को सरकार की अनुमति के बिना ऐसे पदक व पारितोषिक लेने की आज्ञा नहीं है । सामान्यतया धार्मिक कार्यों के लिये अथवा शूरवीरता व सामाजिक सेवाओं के उपलक्ष्य में दिये जाने वाले पारितोषिक लेने में, जिनके साथ राजनीति का कोई सम्बन्ध नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं की जाती है ।

(ख) तथा (ग). क्योंकि गैर-सरकारी सदस्यों पर इस प्रकार के पारितोषिक आदि लेने में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है और लोग प्रायः विदेशों से एसे पारितोषिक प्राप्त करते रहते हैं इसलिये ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी देना कठिन है और न ही इस सम्बन्ध में उनकी कोई सूची रखी जाती है । इसी प्रकार उनको क्या-क्या पारितोषिक मिले हैं व किन-किन देशों से मिले हैं इस बात की कोई सूची नहीं रखी गई है ।

अम्बर चर्खा कार्यक्रम

†३७८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से अम्बर चर्खा योजना चालू हुई है तब से पंजाब राज्य को इसे कार्यान्वित करने के लिये कितना अनुदान व ऋण दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उसने इसमें से अब तक कितनी राशि व्यय की है; और

(ग) इस कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९५७ तक पंजाब राज्य को (राज्य पुनर्गठन के बाद १९५६ से) अम्बर चर्खा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित अनुदान व ऋण दिये गये हैं :—

अनुदान	१८,८५,५८२ रुपये
ऋण	३७,२१,६०० रुपये

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इसके निम्नलिखित परिणाम रहे हैं :—

मद	३१ दिसम्बर, १९५७ तक का परिणाम
(१) परिश्रमालयों (कातने वालों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र) की संख्या	३३१
(२) विद्यालयों (प्रशिक्षकों व बढ़इयों के प्रशिक्षण के केन्द्र) की संख्या	८
(३) सरंजाम कार्यालयों (विकेन्द्रीकृत वर्कशापों) की संख्या	५
(५) प्रशिक्षित व्यक्तियों (प्रशिक्षक, बढ़ई व कातने वाले) की संख्या	८,५०२
(६) चर्खों की संख्या	
(१) बनाये गये	१७,२९३
(२) कातने वालों को बांटे गये	७,२०१
(७) उत्पादन :	
(१) सूत का (दस लाख पौंडों में)	०·२०४
(२) कपड़े का (दस लाख वर्ग गजों में)	०·४०२

काम दिलाऊ दफ्तरों के निदेशालय

†३७९. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तरों के निदेशालय के जनशक्ति डिवीजन (मेनपॉवर डिवीजन) ने स्नातकों में बेरोजगारी के विषय में जो अध्ययन कार्य शुरू किया था क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश में स्नातकों के लिये नौकरियों की क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है

†मूल अंग्रेजी में।

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां, । यह सर्वेक्षण केवल उन स्नातकों तक ही सीमित था जोकि काम दिलाऊ दफ्तरों की मार्फत नौकरी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ख) क्योंकि यह सर्वेक्षण केवल उपर्युक्त प्रकार के स्नातकों तक ही सीमित था, इसलिए इससे स्नातकों में सामान्य रूप से बेरोजगारी के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । इस सर्वेक्षण से निम्नलिखित मुख्य-मुख्य बातों का पता चला है :

(१) पंजीबद्ध बेरोजगार स्नातकों में से ७३ प्रतिशत स्नातक ऐसे हैं जोकि तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं;

(२) ६० प्रतिशत स्नातक क्लर्क की नौकरी चाहते हैं और ऐसे लोगों में से ९५ प्रतिशत स्नातक कला, विज्ञान अथवा कामर्स के विषयों के स्नातक हैं ।

(३) ६५ प्रतिशत स्नातक २५ वर्ष की कम आयु के हैं तथा ३१ प्रतिशत २५ और ३५ वर्ष की आयु के ।

(४) ७७ प्रतिशत स्नातकों ने यह कहा है कि वे पहली बार नौकरी ढूंढ रहे हैं ।

(ग) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनसे स्नातकों में तथा अन्य लोगों में भी रोजगार की स्थिति सुधरने की आशा है । स्कूलों, कालिजों और काम दिलाऊ दफ्तरों में व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि रोजगारों और काम करने वाले लोगों का सही अनुमान लगाया जा सके तथा रोजगार के लिये अधिक अवसर प्रदान किये जा सकें ।

हिमाचल प्रदेश में रेशम के केन्द्र

३८०. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में रेशम पैदा करने वाले कितने केन्द्र हैं;

(ख) ये केन्द्र कहां-कहां हैं;

(ग) इन केन्द्रों में कितना रेशम पैदा किया जाता है;

(घ) सरकारी केन्द्रों और गैर-सरकारी केन्द्रों द्वारा क्रमशः कितना-कितना रेशम पैदा किया जाता है;

(ङ) उससे प्रति वर्ष कितना कपड़ा तैयार किया जाता है; और

(च) सरकारी केन्द्रों की आय तथा व्यय का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक ।

(ख) मंडी में ।

(ग) १९५५-५६ में १८० पौंड कच्चा रेशम पैदा किया गया और १९५६-५७ में ४०० पौण्ड ।

(घ) इस समय हिमाचल प्रदेश में कच्चा रेशम पैदा करने वाला कोई भी गैर-सरकारी कारखाना नहीं है । (ग) भाग में रेशम के जिन परिमाणों का उल्लेख है, वे सरकारी केन्द्र में पैदा किये गये हैं ।

(ङ) अभी हिमाचल प्रदेश में रेशम से कपड़ा बुनना शुरू नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(च) हिसाब-किताब का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है लेकिन इसका वार्षिक खर्च लगभग ९,००० रुपए तथा ग्रामदनी लगभग ९,५०० रुपए है ।

विभिन्न उद्योगों के लिये न्यूनतम मजूरी

†३८१. **श्री साधन गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन के बाद, जो कि जुलाई १९४७ में हुआ था, सरकार ने विभिन्न उद्योगों के लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और यदि हां, तो क्या;

(ख) यदि सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे कितने उद्योग हैं जिनके लिये कि १५वें भारतीय मजदूर सम्मेलन से पहले से न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी गई थी तथा इस सम्मेलन के बाद से कितने और कौन-कौन से उद्योगों में न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई है और प्रत्येक उद्योग में कितनी न्यूनतम मजूरी निश्चित की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) तथा (ख). न्यूनतम मजूरी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर दिये गये हैं । ये संशोधन १७ सितम्बर, १९५७ से लागू हुए हैं । इसके अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें, जहां कहीं भी आवश्यक है, न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं ।

(ग) इससे सम्बन्धित सूचना १ मार्च, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९० के सम्बन्ध में लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । इसमें इस समय उससे अधिक और कोई नई बात नहीं बतायी जा सकती है ।

पंजीबद्ध संयुक्त स्कन्ध समवाय

†३८२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मराठवाड़ा क्षेत्र में पंजीबद्ध समवायों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनमें से कुछ समवायों ने अपने आपको दिवालिया घोषित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने आय-कर का भुगतान कर दिया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १६ ।

(ख) मराठवाड़ा क्षेत्र में किसी समवाय ने अपने आप को दिवालिया नहीं घोषित किया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत के सड़क परिवहन कर्मचारियों का राष्ट्रीय फेडरेशन

†३८३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सड़क परिवहन कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन के दूसरे सम्मेलन में पास किये गये संकल्पों की प्रतियां मिल गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या अब तक कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय फेडरेशन द्वारा पास किये गये संकल्पों में से निम्नलिखित संकल्पों से सम्बन्धित है :

(१) सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिये समरूप केन्द्रीय विधान बनाना;

(२) एक मजूरी बोर्ड की स्थापना करना;

(३) हिमाचल प्रदेश में एक मजदूर सम्बन्ध संस्था (लेबर रिलेशन्स मशीनरी) की स्थापना करना ।

जहां तक उपरोक्त (१) का सम्बन्ध है, आवश्यक विधान बनाने के बारे में उपयुक्त कार्यवाही करने के प्रश्न पर सरकार उस समय विचार करेगी जबकि उसे त्रिपक्षीय समिति की, जिसकी कि स्थापना उसने उक्त सम्मेलन की रिपोर्ट के बाद की थी, इस विषय में रिपोर्ट मिल जायेगी ।

उपरोक्त संख्या (२) के बारे में सरकार का अभी सड़क परिवहन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है ।

उपरोक्त संख्या (३) के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश का उद्योग विभाग परिवहन कर्मचारियों के सम्बन्धों की देखभाल का काम करता है । उसके पास श्रमिकों सम्बन्धी विधियों व औद्योगिक विधियों को कार्यान्वित करने के लिये जितने कर्मचारी हैं उनकी संख्या पर्याप्त समझी जाती है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना, त्रिपुरा

†३८४. **श्री दशरथ देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) इसमें से कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(ग) यदि यह सारा नहीं व्यय हुआ है तो इसके पूरा न व्यय हो सकने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि इस रुपये का अधिकतर भाग इसलिये व्यय नहीं हो सका है कि इसके लिये केन्द्र से ठीक समय पर स्वीकृति नहीं मिल सकी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) १२९·८२ लाख रुपये का बजट उपबन्ध किया गया था ।

(ख) वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं । प्रारम्भिक पुनरीक्षित व्यय का प्राक्कलन लगभग २२१·१५ लाख रुपये का है । बजट में उपबन्धित राशि से जितना अधिक व्यय हुआ है उसका ब्योरा इस प्रकार है :

	(लाख रुपयों में)
१. कृषि तथा सम्बन्धित विषय	+१·८४
२. सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा	+९·११
३. उद्योग	+६·०१
४. परिवहन	+६५·००
५. समाज सेवा	+१५·७६

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) इस बारे में कोई खास शिकायत नहीं हुई है ।

उद्योगों के लिये तालिकाएं

†३८५. **श्री झुनझुनवाला :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्ष-किरण उपकरणों, चीड़-फाड़ के औजारों व उपकरणों, विद्युदणुओं और बेतार के उपकरणों, ऊष्मसह (रिफ्रेक्टरी) उद्योग, तथा कागज और गूदा उद्योगों की निर्माण क्षमता के बारे में जांच करने के लिये तालिकाएं (पैनल) बनाई जा चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनी तालिकाओं ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा उनकी क्या-क्या मुख्य बातें हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां ।

(ख) क्ष-किरण उपकरण सम्बन्धी तालिका की रिपोर्ट १३ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८५ के उत्तर में लोक-सभा के पटल पर रखी गई थी ।

अन्य तालिकाओं से अभी रिपोर्टें नहीं मिली हैं । किन्तु वे प्रायः उसी प्रकार कार्य कर रही हैं जैसे कि विकास परिषद् कार्य करती है । वे अपनी बैठकें लगातार कर रही हैं ।

मट्टी हटाने वाली भारी मशीनों सम्बन्धी समिति

†३८६. **श्री झुनझुनवाला :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मट्टी हटाने वाली भारी मशीनों तथा नदी घाटी परियोजनाओं सम्बन्धी अन्य उपकरणों के सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की जा चुकी है ।

(ख) इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इनमें से कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). मट्टी हटाने वाली भारी मशीनों व द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नदी घाटी परियोजनाओं के लिये अन्य आवश्यक संयंत्रों व मशीनरी के निर्माण सम्बन्धी आवश्यकता किस सीमा तक पूरी की जा सकेगी, इस बात की जांच करने के लिये १९५५ में एक समिति नियुक्त की गई थी । इसके निर्देश पद नीचे दिये जाते हैं :—

"(१) विभिन्न प्रकार के उपकरण निम्नलिखित अभिकरणों द्वारा किस सीमा तक निर्मित किये जा सकते हैं :

(क) जो एकक पहले से ही इस प्रकार के उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) ऐसे एकक जिनके पास कर्मशाला सम्बन्धी सामान्य सुविधाएं हैं;

(२) जो उपकरण उपरोक्त (१) में उल्लिखित अभिकरणों द्वारा नहीं बनाये जा सकेंगे उनके निर्माण के लिये पृथक् एकक स्थापित करने की कहां तक आवश्यकता है ।

समिति जिन विदेशी सार्थों के डिजाइनों और ब्योरों के अनुसार इन वस्तुओं का देश में निर्माण किया जायगा उनसे सहयोग प्राप्त करने की सम्भावनाओं के बारे में भी जांच करेगी ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इसकी रिपोर्ट हमें अगस्त १९५७ में मिली थी। इसने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं :—

१. द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मुख्यतया जिस प्रकार की मट्टी हटाने के भारी उपकरण की आवश्यकता होगी तथा उनमें से प्रत्येक के लिये कम-से-कम जितनी आवश्यकता होगी उनका ब्योरा नीचे दिया जाता है :

		मात्राएं
(१)	क्रॉलर ट्रैक्टर ११० डी० बी० एच० पी०	१५० (सी० टी० ओ०) २०० (अन्य)
(२)	क्रॉलर ट्रैक्टर १५० डी० बी० एच० पी०	५०० (सिंचाई परियोजनाएं) ३० (सी० टी० ओ०) १२५ (अन्य)
(३)	मोटराइज्ड स्क्रेपर ९ क्यूबिक मीटर	३०० (केवल इंटेग्रल किस्म के मोटराइज्ड व्हील स्क्रेपरों की आवश्यकता है)
(४)	टोड स्क्रेपर	२००
(५)	मोटराइज्ड डम्पर (साइड और रीअर) ७·५ क्यूबिक मीटर	१००
(६)	बॉटम डम्पर ७·५ क्यूबिक मीटर	१००
(७)	एक्स्केवटर शावल्स २ क्यूबिक मीटर ड्रेगलाइन क्रेन क्लामशेल	१२०

२. हमारे लिये यह बेहतर है कि हम उन विदेशी निर्माताओं के साथ मिल कर देश में उत्पादन करें जिनके उपकरण भारतीय स्थितियों में अधिक लाभदायक पाये गये हैं। क्योंकि क्रॉलर ट्रैक्टरों की सब से अधिक मात्रा में आवश्यकता है तथा उनका सब से अधिक मूल्य है इसलिये यह बेहतर समझा गया है कि सब से पहले इन्हीं के निर्माण पर बल दिया जाये। इसके साथ ही जो उपकरण, जैसे बुलडोजर, रोड स्क्रेपर, शीपफुट रोलर, आदि इन ट्रैक्टरों के भागों में अधिक उपयुक्त होते हैं तथा उनसे अधिक मिलते जुलते हैं तथा जो आसानी से बनाये जा सकते हैं उनको भी देश में बनाया जाना शुरू कर दिया जायेगा।

३. हमारा यह उद्देश्य है कि हम एक ही कम्पनी के छोटे व बड़े दोनों प्रकार के ट्रैक्टर साथ-साथ बना पायें। किन्तु यदि इस प्रकार का ठेका करने के लिये कोई भी व्यक्ति नहीं तैयार होगा तो हम यह चाहेंगे कि पहले हम मध्यम प्रकार के ट्रैक्टर बनावें।

४. ट्रेक्टरों की छोटे तथा बड़े साइजों में जितनी सीमित आवश्यकता है उस को छोड़ कर देश के विकास के लिये अन्य जितने भी ट्रेक्टर चाहिये उन्हें अपने ही देश में बनाया जायेगा। परन्तु यह तभी सम्भव हो सकेगा यदि हम उनके लिये पर्याप्त मात्रा तक आवश्यक हिस्से व अन्य स्वदेश निर्मित पुर्जे मिल सकेंगे। इसके लिये इन उद्योगों में दूसरों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।

५. क्योंकि हमारे देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन बहुत सीमित है, इसलिये ट्रेक्टर निर्माताओं को ही बुलडोजर और स्क्रेपर बनाने के लिये कहा गया है जिससे यह कार्य कम खर्चे में हो सके।

†मूल अंग्रेजी में।

६. विदेशी निर्माताओं द्वारा भेजी गई निर्माण योजनाओं की छानबीन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रोग्राम यथाससम्भव यहीं पर किया जा सके और देश में केवल पुर्जों को जोड़ने का ही काम भर न रह जाये। उस वस्तु का वास्तव में हमारे देश में ही उत्पादन होना चाहिये। अन्य कार्यों के लिये मशीनें बनाने के साथ-साथ ही हमारा यह भी प्रयत्न होना चाहिये कि हम मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों के लिये भी आवश्यक पुर्जों का देश में ही निर्माण कर सकें। केवल बाहर से ही मशीनों के पुर्जे मंगवा कर उन्हें इस देश में जोड़ देने भर से हमारा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है और न ही इस प्रकार से देश की विदेशी मुद्रा में कोई बचत ही हो सकती है।

७. मिट्टी हटाने वाली भारी उपकरणों के देश में निर्माण करने से पहले यह आवश्यक है कि हमारे यहां इंजीनियरी सम्बन्धी बड़ी-बड़ी वर्कशापें हों और अब जब कि सरकार देश में इंजीनियरी की बड़ी-बड़ी वस्तुएं और भारी मशीनें बनाने का विचार कर रही है हमें इस प्रश्न पर भी गौर करना होगा कि मिट्टी हटाने वाले उपकरणों के निर्माण के कार्यक्रम का सरकारी क्षेत्र की अन्य योजनाओं के साथ समुचित समन्वय किया जाये।

८. क्योंकि हमें मिट्टी हटाने वाले उपकरणों का देश में निर्माण विदेशों के साथ मिल कर ही करना होगा, इसलिये समिति की यह राय थी कि पहले तथा दूसरे निर्देश पदों की तभी जांच की जा सकती है जबकि हमें विदेशी सार्थों द्वारा उपलब्ध सहयोग के बारे में सूचना प्राप्त हो जाये। इसके लिये हमें यह पता लगाना आवश्यक है कि वे किन शर्तों पर हमारे देश में इन उपकरणों को तैयार करने के लिये सहमत हैं।

सरकार ने उन मुख्य सिफारिशों पर विचार किया है। सम्बन्धित पक्षों से मार्च, १९५८ तक देशी निर्माण के लिये पूर्ण योजनाएं भेजने के लिये कहा गया है।

पंजाब में गृह-निर्माण

†३८७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से १९५७ तक के वर्षों में पंजाब में विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कुल कितनी राशि स्वीकार की गई है।

(ख) इस अवधि में वास्तव में पंजाब सरकार को कितनी राशि दी गई है; और

(ग) इस अवधि में कुल कितनी राशि व्यपगत हुई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) से (ग). १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ के वित्तीय वर्षों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

मध्य प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति

†३८८. **श्री वाजपेयी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री १४ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकितान के शरणार्थियों को मध्य-प्रदेश में बसाने के बारे में कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) तथा (ख). १२४२ परिवारों को धर्मजयगढ़ और अम्बिकापुर, मध्यप्रदेश, में बसाने की एक योजना स्वीकृत की गई है। ८१४ परिवार इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। शेष भी शीघ्र ही पहुंच जायेंगे।

प्रलेखीय चलचित्र व समाचार चित्र

†३८६. **श्री मधुसूदन राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) फिल्म्स डिवीजन ने १६५६ में और १६५७ में कितने प्रलेखीय चलचित्र व कितने समाचार चित्र तैयार किये हैं;

(ख) इस अवधि में इनमें से कितनों को प्रदर्शित किया गया है;

(ग) इनमें अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, बंगला और तेलुगू के कितने-कितने चित्र हैं; और

(घ) क्या १६५७ में बनाये गये चित्रों में से किसी चित्र को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७**]

(घ) १६५६ में जो फिल्में बनाई गई थीं उनमें से कुछ को १६५७ में कुछ पारितोषिक मिले थे। उनका निर्देश विवरण में कर दिया गया है। १६५७ में निर्मित चित्रों को १६५८ की प्रतियोगिताओं में ही भेजा जा सकता है।

प्याज

†३६०. **श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५७ में नासिक जिले में निम्नलिखित प्याज की किस्मों का कितना-कितना उत्पादन हुआ :

(१) पोल;

(२) उनहली; और

(३) रंगडी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी संकलित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र लोक-सभा के पटल पर रखा दी जायेगी।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

ऐसे मामलों का विवरण जिनमें भारत भाण्डार विभाग, लन्दन, द्वारा न्यूनतम टेण्डर स्वीकार नहीं किए गए

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं ३१ दिसम्बर, १६५७ को समाप्त होने वाली छमाही में ऐसे मामलों के विवरण की, जिनमें भारत भाण्डार विभाग, लन्दन, द्वारा न्यूनतम टेण्डर स्वीकार नहीं किये गये, एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५३५/५८**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : मैं समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५६-५७ के लिये हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे सहित, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५३६/५८]

समवाय अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री सतीशचन्द्र** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची ५ के भाग १ में कुछ परिवर्तन करने वाली दिनांक ४ जनवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५३७/५८]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा ११ फरवरी, १९५८ को पारित अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को राज्य-सभा ने अपनी १८ फरवरी, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

काश्मीर स्थित उड़ी में पांच पाकिस्तानी विध्वंसकारियों की गिरफ्तारी

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"काश्मीर स्थित उड़ी में पांच पाकिस्तानी विध्वंसकारियों की गिरफ्तारी"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ११ फरवरी, १९५८ को उड़ी में जम्मू तथा काश्मीर पुलिस ने पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था । इन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति युद्ध-विराम रेखा के दूसरी ओर रहने वाले प्रसिद्ध पाकिस्तानी एजेन्ट का सहोदर है । गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने यह मान लिया है कि वह पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग के साथ सम्पर्क बनाये रख कर काम करते हैं । क्योंकि इन व्यक्तियों से पूछताछ जारी है इसलिए इस समय इसके सम्बन्ध में और कुछ बताना असम्भव है ।

मैंने गत वर्ष १३ सितम्बर को पाकिस्तानी सहायता प्राप्त तथा पाकिस्तान द्वारा निर्देशित बम विस्फोटों तथा विध्वंसक, हिंसक, और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के बारे में सभा को कुछ ब्यौरे बताये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

गत वर्ष जून महीने के मध्य से बम विस्फोटों के ३८ मामले हुए हैं। इनमें से १३ काश्मीर में तथा २५ जम्मू में हुए हैं। इसके अतिरिक्त २० मामलों में हथगोले तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ पाये गये।

प्राधिकारियों की सतर्कता तथा प्राधिकारियों और जनता के बीच सहयोग परिणामस्वरूप, विध्वंसकारियों द्वारा की गई गड़बड़ों का क्षेत्र बड़ा सीमित रहा जिससे बहुत कम लोग मरे। इन ३८ विस्फोटों के परिणामस्वरूप छ० व्यक्ति मारे गये तथा १७ घायल हुए।

विध्वंसक कार्यों तथा बम फेंकने के सम्बन्ध में ३५ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से दस व्यक्तियों पर श्रीनगर में श्रीनगर बम दुर्घटना के सम्बन्ध में मुकदमा चलाया जा रहा है। जम्मू प्रान्त में तीन व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है तथा अन्य दो व्यक्तियों पर शीघ्र ही मुकदमा चलाया जायेगा।

उड़ी में की गई अन्तिम गिरफ्तारियों से पता लगता है कि यद्यपि पाकिस्तानी एजेन्ट तथा विध्वंसकारी अभी भी क्रियाशील है परन्तु उनके विध्वंसक तथा तोड़-फोड़ के प्रयत्नों को प्राधिकारियों द्वारा जनता के सहयोग से काफी हद तक रोका जा रहा है।

जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, लगभग दो मास पूर्व इस मामले की भनक मेरे कानों में उस समय पड़ी जब इसको पहले-पहल इस सभा में उठाया गया। उस समय में सभा में, अथवा दिल्ली में उपस्थित नहीं था। उस समय से हम सब लोगों का ध्यान इसी मामले की ओर लगा रहा और हम लोग दिन-प्रतिदिन इस विषय पर अत्यधिक उत्सुकता से ध्यान देते रहे। यह हमारे लिए एक बड़ा ही दुख का विषय रहा और इन दो महीनों में हमें पर्याप्त अनुभव हुए जिनके कारण हमें बहुत कष्ट पहुंचा और सम्भवतया हमारी कुछ आंखें खुलीं और हमें कुछ अक्ल आई। परन्तु हमें यह अनुभव बड़ा महंगा पड़ा क्योंकि इसके कारण हमारे बीच से एक योग्य तथा विद्वान वित्त मंत्री अलग हो गया, जिसकी सेवाओं की हमें इस समय बहुत जरूरत थी।

प्रारम्भ में, मैं यह कह देना चाहता हूं कि यद्यपि हमें इस सिलसिले में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और बहुत त्याग करना पड़ा तथापि इस जांच से समस्त विश्व को तथा भारत की जनता को पता चल गया है कि हम लोकतन्त्र पद्धति का पालन सही रूप में कर रहे हैं। इससे संसद् की प्रतिष्ठा तथा म दा स्थापित हो गई है और जन शक्ति तथा प्रशासन के लिए उच्चादर्शों की नींव पड़ गई है। यह बड़ा लाभ है तथा हम भारतवासियों को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए।

संसदीय प्रक्रिया के अनुसार इस सभा ने कल श्री ति० त० कृष्णामाचारी से उनके त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य सुना। उन्होंने पद-त्याग कर दिया तथा जो कुछ हुआ उसका दंड भुगता। इसके अतिरिक्त जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, यहां पर कुछ और कहना शेष नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस जांच के दौरान में गैर-सरकारी उपक्रम की तुलना में सरकारी उपक्रम, गैर-सरकारी बीमा समवायों की तुलना में राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम और व्यापारियों अथवा सरकारी कर्मचारियों के इन उपक्रमों के प्रभारी होने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। केवल गवाहों ने ही नहीं अपितु समाचारपत्रों ने इन मामलों की चर्चा की तथा कुछ व्यक्तियों ने राष्ट्रीयकरण की असफलता के बारे में अपना मत व्यक्त किया। यह आयोग के समक्ष जांच का प्रश्न नहीं था। फिर भी मेरे विचार से यह ठीक ही हुआ कि समस्त तथ्य जनता के सामने आ गए।

मुझे याद नहीं है कि बड़ी-बड़ी गैर-सरकारी बीमा समवायों की गंभीर गड़बड़ियों की इस प्रकार कभी आलोचना की गई हो। गैर-सरकारी संस्थाओं में इस प्रकार की गड़बड़ियों में लोग अधिक रुचि नहीं रखते तथा इनके सम्बन्ध में कोई विशेष आलोचना नहीं की जाती। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण इन्हीं गड़बड़ियों तथा इन समवायों की दुर्व्यवस्था के कारण हुआ था। इनका प्रबन्ध तथा नियंत्रण सरकारी कर्मचारियों के हाथों में नहीं था, व्यापारी ही इनकी देख-भाल करते थे। मैं यह इसलिये बता रहा हूं जिससे हम इस मामले पर उचित दृष्टिकोण रख कर विचार कर सकें, मुख्य विषय को छिपाने या दबाने के ख्याल से नहीं या मैं जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये शेयरों से जिनके कारण यह जांच हुई, सम्बन्धित घटनाओं का महत्व कम करने के विचार से ऐसा नहीं कह रहा हूं।

मैं एक बात यह भी बता देना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम कुछ महीनों से अपना काम सुचारू रूप से कर रहा था और पहले से कहीं अधिक व्यापार कर रहा है। प्रारम्भिक कुछ महीनों के पश्चात् जिनमें पुनर्गठन सम्बन्धी समस्यायें सुलझाई गई थीं, जिसके कारण धंधे में कुछ कमी आ गई थी, इसके व्यवसाय में पर्याप्त प्रगति हुई है। १६५५ में निगम के अब अधीन आने वाले विभिन्न जीवन बीमा समवायों ने २५८ करोड़ रुपये का व्यवसाय किया था। इसके पश्चात् यह परिवर्तन हुआ जिसके कारण बड़ी गड़बड़ी हुई। इसलिये १६५६ में, यह व्यवसाय २०० करोड़ रुपये रह गया था अर्थात् ५८ करोड़ रुपये कम हो गया था। १६५७ में अर्थात् गत वर्ष यह २७३ करोड़ रुपये हो गया, जिसका अर्थ हुआ कि असंगठन के कारण हुई हानि को ही पूरा नहीं किया गया अपितु पहले अधिकतम आंकड़ों से भी बहुत आगे बढ़ गया।

इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवन बीमा निगम ने संतोषजनक काम किया है और इसलिए इसका संचालन करने वाले पदाधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनकी गलतियों पर हम कोई ध्यान न दें अथवा इन अच्छे कार्यों के कारण गलतियों को दबा दिया जाये। परन्तु हमें इससे यह सहायता मिल जाती है कि हम इस मामले पर सही दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं और एक विशिष्ट मामले को उसी के गुणावगुणों के आधार पर देख सकते हैं और राष्ट्रीय-करण के सामान्य और व्यापक प्रश्न को इससे अलग रख सकते हैं।

इससे पहले म आगे कुछ कहूं, मैं सरकार की ओर से अभी बता देना चाहता हूं कि हमारी यह राय है कि छः समवायों के शेयरों की खरीददारी का यह सौदा व्यावसायिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं हुआ है। और भी कई कारणों से मैं इसके औचित्य का विरोधी हूं। इसलिए इस सौदे के सम्बन्ध में आयोग द्वारा बताई गई बातों को हम स्वीकार करते हैं। आयोग के प्रतिवेदन का अधिकांश भाग इसी मामले से सम्बन्धित है।

जैसा कि जांच आयोग के सभापति ने भी कहा है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जांच में बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिनके सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता और

इस जांच से भी हमें सभी तथ्यों का पता नहीं लगा है जिसके कारण कई बातों पर हम अपनी स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कर सकते। मैं नहीं समझ सका हूं कि किन कारणों से शेयर खरीदने तथा मूल्य निश्चित करने में सामान्य सावधानी नहीं बरती गई तथा विनियोजन समिति का परामर्श क्यों नहीं लिया गया और सौदे की कीमतों का विरोध क्यों नहीं किया गया। इसका अभी तक पता नहीं लगा है। हम नहीं जानते कि और अधिक जानकारी अभी अथवा भविष्य में, प्राप्त करना सम्भव होगा या नहीं। परन्तु इसके लिये प्रयत्न अवश्य किया जायेगा और सम्भवतया तब ही हम इस अजीब से सौदे को समझने की स्थिति में हो सकेंगे।

इन सौदों से किसी न किसी रूप में सरकार के तथा निगम के कितने ही पदाधिकारी सम्बन्धित हैं। हमारा विचार है कि जिन पदाधिकारियों का इस सौदे को पूरा करने में हाथ रहा है, उनके विरुद्ध आयोग द्वारा बताई गई बातों के आधार पर उचित कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

परन्तु मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि ऐसा किया जाना आवश्यक है, लेकिन हमारे लिए यह उचित नहीं होगा कि हम ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णम करलें, जो अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है और उसका पालन किया जाना चाहिए। इस सभा की यह प्रथा रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई भी निर्णय नहीं किया जाये तथा किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाये जायें जिसको अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया हो। ऐसा विशेषतया सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया गया है।

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि यदि एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाये तो इसका यह अर्थ नहीं हो जाता है कि सभी कर्मचारी वर्ग दोषी हैं अथवा भर्त्सना के पात्र हैं। एक मामले को लेकर सामान्य रूप देना उचित नहीं होगा, विशेषतया प्रशासनिक अधिकारियों के मामले को लेकर ऐसा करना गलत होगा।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारत में काम करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें मैं अत्यधिक योग्य और ईमानदार समझता हूं जिन्होंने देश की बहुत सेवा की है। सरकार का कार्य संभालने के समय से मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत से अधिकारियों के साथ सम्बन्ध रहा है। पहले मैं यह नहीं कह सकता कि इनमें से प्रत्येक अधिकारी बहुत योग्य तथा कार्यकुशल है। परन्तु मुझे विश्वास है कि एक वर्ग के रूप में यदि उनकी तुलना विश्व के किसी देश के ऐसे ही वर्ग से की जाये तो हमारे अधिकारियों का पलड़ा भारी रहेगा। उनके द्वारा किए गए कामों के लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्हें नई स्थिति तथा नये प्रकार के काम करने पड़े। उन्होंने नई स्थिति में अपने आपको अक्सर बड़ी सफलता के साथ डाला है। हमारे काम बहुत बढ़ गए हैं तथा कार्यक्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया है। हमारे देश में सामाजिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक काम होता है। मैं नहीं कह सकता कि हर स्थान पर सब काम ठीक हो रहे हैं परन्तु हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक कार्यक्षमता आये तथा काम का उच्चस्तर बनाया जाये।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि जांच के दौरान में, हालांकि प्रतिवेदन में नहीं, ऐसे कुछ व्यक्तियों का जिक्र किया गया है जो इन सौदों से एकदम अलग रहे और ऐसा करना उनके स्वयं के और उनके पदों के हित में नहीं था। इस सिलसिले में रिजर्व बक के गवर्नर का नाम आया है। इस खरीददारी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था और मुझे खेद है कि इतने प्रतिष्ठित तथा योग्य व्यक्ति पर आक्षेप किया गगा है जो कि एक महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण पद को संभाले हुए हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस जांच में एक प्रश्न उठाया गया है जो राष्ट्रीयकृत उपक्रमों तथा बड़ी परियोजनाओं में सरकारी सेवा के पदाधिकारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में है। यह सुझाव दिया गया है कि अनुभवी व्यापारी इन पदों के लिये उपयुक्त होंगे। मैं व्यापारियों अथवा अन्य गैर-सरकारी लोगों का स्वागत करूंगा यदि उनमें इतनी योग्यता अथवा विद्वता हो जितनी ऐसे जिम्मेदार पदों के लिए अपेक्षित है। परन्तु हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा और वह यह है कि जो व्यक्ति राष्ट्रीयकृत उपक्रम में नियुक्त हों, उनको राष्ट्रीयकरण तथा राज्य नियंत्रण के उद्देश्यों को स्वीकार करना होगा। जो इनका विरोधी होगा उनसे काम नहीं चल सकेगा। यह भी हमें नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारे कितने ही वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को सेवा से निवृत्त होने के बाद अथवा निवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर गैर-सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों के प्रस्ताव भेजे गये हैं और उन्होंने ये पद स्वीकार किये हैं। इसलिये उन्हें अनुभवी व्यापारी भी माना गया है। उनको जो वेतन सरकारी सेवा में मिलता था, उससे कहीं अधिक वेतन उनको वहां दिया जाता है।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : यह तो उनको उन सेवाओं के लिये मिलता है जो वे सरकारी नौकरी में रहते हुए करते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सामने बैठे माननीय सदस्यों के जानकारी हासिल करने के विशेष साधन हैं। वह कल्पनालोक में रहते हैं और निराधार बातें कहते हैं। यदि कोई बात है तो उसके तथ्य प्रस्तुत करने चाहिएं। सामान्य रूप से बातें कहना ठीक नहीं है। मैं पूछता हूं कि फिर सेवा-निवृत्ति वरिष्ठ अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत में, योरोप में, अमेरिका में और अन्य सभी जगह क्यों रखा जाता है। इसलिये क्योंकि उनको अच्छा समझा जाता है।

खैर, मैं तर्कों में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि यह बातें मुख्य बात से अलग हैं। परन्तु फिर भी ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गई हैं क्योंकि दुर्भाग्य से समाचारपत्रों में और संसद् के सभा-कक्षों में अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते रहे हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मेरा औचित्य प्रश्न है कि क्या सभा के नेता द्वारा सभा-कक्षों में कही गई बातों को यहां बताना उचित है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सभा-कक्षों में इतना नहीं जाता जितना अन्य सदस्य जाते हैं। परन्तु मुझे समाचार मिलते रहते हैं। जिस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं उन्हें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यह बड़े खेद की बात है कि इस प्रकार की अफवाहें बाहर फैलाई जाती हैं।

जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि विनियोजन से जिस व्यक्ति का मुख्यतः सम्बन्ध था, वे एक पुराने अनुभवी व्यवसायी समझे जाते थे तथा अब भी समझे जाते हैं। वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनका एक बहुत बड़े जीवन बीमा समवाय से बहुत अरसे से सम्बन्ध रहा है और वह एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं।

मेरे विचार से जिस प्रकार सरकारी अधिकारियों और व्यवसाय कर्त्ताओं के प्रश्न पर विचार किया गया है उससे इसकी कहीं अधिक जांच करने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति चुनें चाहे वे सरकारी पदाधिकारी हों या गैर-सरकारी व्यक्ति हों अथवा व्यवसायकर्त्ता हों, जो सब प्रकार से योग्य हों। ज्यों-ज्यों हमारा काम बढ़ रहा है तथा अधिक अनुभवी तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग बढ़ रही है त्यों-त्यों हमें उपयुक्त व्यक्ति मिलने कठिन हो रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस मामले पर योजना आयोग बराबर विचार करता रहा है । यदि माननीय सदस्य द्वितीय योजना के प्रतिवेदन को पढ़ें तो उनको पता लगेगा कि इस बारे में उसमें बहुत कुछ कहा गया है कि हमें इन उच्च पदों के लिये व्यक्तियों का प्रशिक्षण किस प्रकार करना है । उसी में, हमने यह बताया है कि यह लोगों को प्रशिक्षित करने का ही मामला नहीं है अपितु यह प्रश्न नवयुवक और योग्य व्यापारियों को सेवा में नियुक्त करके विशेष प्रशिक्षण देने अथवा प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का है । हम लोगों को भरती कर रहे हैं और उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं जिससे वह भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों को वहन करने के लिये तैयार रहें ।

अब यह प्रश्न उठाया गया कि सरकार को स्वायत्तशासी निगमों के कार्य संचालन में क्या करना चाहिये । इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना है । आयोग ने कुछ सिद्धान्तों की सिफारिश की है । हम निश्चित रूप से इन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में दी गई सिफारिशों की जांच करेंगे । खुलासा तौर पर, हम इससे सहमत हैं कि स्वायत्तशासी निगमों को, निर्धारित नियंत्रणों के अलावा, अन्य सभी प्रकार से स्वाधीन रखना चाहिए ।

अब आप जीवन बीमा निगम अधिनियम को देखिये । यह याद रखना चाहिए कि निगम की सारी पूंजी सरकार ने लगाई है । अधिनियम के अनुसार सरकार को पूर्ण बोर्ड नियुक्त करने, नियम निर्धारित करने और निगम द्वारा बनाये गये नियमों का अनुमोदन करने तथा निगम को समाप्त करने का अधिकार है । इस प्रकार यद्यपि दैनिक कार्यों के लिए निगम को एक स्वतन्त्र और स्वशासी निकाय बना दिया गया था परन्तु उसके मार्गदर्शन के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी । संसद् ने एक निगम द्वारा इस व्यापार को ठीक प्रकार से चलाने और आवश्यकता पड़ने पर उचित निदेश देने का उत्तरदायित्व सरकार को सौंप दिया था ।

१८ मई, १९५६ को श्री सी० डी० देशमुख न बताया था कि एक परित्राण यह भी है कि विनियोजन के मामले में निगम को निदेश देने का अधिकार सरकार को है । विनियोजन का अर्थ केवल सामान्य विनियोजन से नहीं है, विशेष विनियोजन से भी है । अतः सिद्धान्त की दृष्टि से यह कहना कि सरकार को निगम से बिल्कुल अलग रहना चाहिए संसद् के निर्णय को चुनौती देना है ।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्वायत्तशासी निगम के कामों में सामान्यतया दखल देना ठीक नहीं है । कुछ परित्राणों के अधीन रहते हुए शक्ति का और अधिकारों का प्रत्यायोजन अवश्य होना चाहिए । यदि अति केन्द्रीकरण हो जायेगा तो कोई सरकार नहीं चल सकती । हम अन्य विभागों में भी विकेन्द्रीकरण की नीति अपना रहे हैं ।

इस जांच ने नये-नये प्रश्न पैदा कर दिये हैं । भारत में ही नहीं ब्रिटेन में भी हाल ही में बैंक दर जांच के सम्बन्ध में ऐसे ही प्रश्न पैदा हुए हैं । उस जांच के समाप्त होने के बाद कई प्रकार की शंकायें उठाई गईं कि ऐसे मामलों में उचित रूप से किस प्रकार जांच की जानी चाहिए । इंगलैंड में जांच ी प्रणाली यह है कि वहां मामला सरकारी वकील (ट्रेजरी सालीसिटर) को सौंप दिया जाता है और पुलिस विभाग का प्रधान (पुलिस चीफ) उसकी सहायता करता है । जांच और छानबीन पूरी हो जाने के बाद सारी जानकारी जांच आयोग के सामने रखी जाती है । आयोग गवाहों के बयान नहीं लेता; बयान लेने का काम महान्यायवादी का होता है जिसके पास सरकारी वकील द्वारा भेजी गई सारी जानकारी भेज दी जाती है । महान्यायवादी गवाह की जांच करता है और बहस करता है और ऐसा करते समय उसका उद्देश्य होता है तथ्यों का पता लगाना ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस सम्बन्ध में **लन्दन टाइम्स** में प्रकाशित एक लेखा का उद्धरण पढ़ कर सुनाऊंगा। वास्तव में इस मामले पर कई लेख प्रकाशित हुए थे क्योंकि इस सम्बन्ध में इंगलैंड के लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे थे जैसा कि इस मामले में भारत के लोग भी दिलचस्पी ले रहे हैं और अपने मत व्यक्त करते हैं। यह बात ध्यान में रहे कि ये दोनों जांच एक प्रकार की नहीं हैं और न इनमें मामला एक-सा है। पर दोनों में कुछ साम्य अवश्य है और एक से सवाल पैदा हुए हैं।

यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि भविष्य में हम इसका लाभ उठा सकें। अभी उस दिन मैंने कहा था कि जांच का ढंग संतोषजनक नहीं था। कुछ लोगों ने उसका अर्थ निकाला कि मैं आयोग के सभापति की आलोचना कर रहा हूं। पर ऐसी बात नहीं थी। मैं तो उस ढंग की आलोचना कर रहा था जिससे यह जांच की गई। वास्तव में दोष हमारा है कि हमने इन सब बातों पर पहले विचार नहीं किया। सच तो यह है कि हम जल्दीबाजी में आ गये। संसद् इसके बारे में बहुत आतुर थी--जो वास्तव में उचित ही थी। हम से पूछा जाता है और शायद अब भी कार्यसूची में कुछ प्रश्न हैं कि क्या मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य इस जांच में विलम्ब करना चाहते थे? या विरोध करना चाहते थे? ऐसी स्थिति में तुरन्त कार्यवाही करना हमारे लिए जरूरी था। शुरू के दिन से ही हम सारे तथ्यों को जानने के लिए और कार्यवाही करने के लिए इच्छुक थे। पर हम यह नहीं समझ पाये कि इस काम को अच्छी तरह कैसे किया जाये। अच्छी तरह विचार किये बिना हमने काम शुरू कर दिया इसी कारण कठिनाइयां पैदा हुईं। अतः मैंने जो आलोचना की थी वह मान्य न्यायाधीश की कदापि नहीं थी। हमें तो अब यह विचार करना चाहिए कि जांच के सम्बन्ध में हमें किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

अब उस अखबार के उद्धरण लीजिए उसमें कहा गया है---"न्यायाधिकरण प्रक्रिया के औचित्य का सारा प्रश्न, जिसका जन्म संसद् से हुआ, आज हमारे सामने है और क्या ढंग अपनाया गया और जो ढंग चला आ रहा है उससे कई प्रकार की गलतफहमियां पैदा हो गई हैं।" और आगे कहा गया है कि "संदेह सब से पहले उन प्रश्नों के बारे में हुए जो एक विशेष व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछे गये थे। मि० विल्सन और सर लेसली पामर द्वारा दिये गये स्पष्ट वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न उन पर आरोप या लांछन लगाने के लिए नहीं पूछे गये थे, यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या जिस ढंग से प्रश्न पूछे गये थे वह ढंग उचित था, खास तौर पर ......" इसके बाद एक विशेष प्रश्न के बारे में कहा गया है कि क्या मि० थार्नीक्रोट ने ऐसा किया या नहीं ......"क्या संसद् में इस प्रकार के लांछन लगाने वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिएं।"

आगे कहा गया है कि "प्रश्न यह भी पैदा होता है कि क्या संसद् के सदस्यों के विशेषाधिकार पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए" पर इस फैसले पर पहुंचा गया है कि "ऐसा करना अनुचित होगा। चाहे विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हो पर विशेषाधिकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए।" मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं "यह संसद् का कर्त्तव्य है कि वह सदस्यों को इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग न करने दे।"

आगे उसमें कहा गया है---"सम्भव है हाल में हुई इस घटना के कारण संसद् के दोनों पक्षों के सदस्य दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिये इस प्रकार के लांछन लगाने के रवैये को अख्तियार करें।"

एक और कठिन प्रश्न पैदा हुआ कि "मामले को एक निमित जांच आयोग को सौंपने से पहले क्या उसकी जांच एक छोटे स्तर पर की जानी चाहिए? यदि हां, तो क्या यह छोटे स्तर की जांच खुले तौर पर हो या बन्द हो?" तरह-तरह के प्रश्नों पर विचार किया गया है। "यदि सार्वजनिक रूप से जांच करने का निश्चय किया जाता है तो क्या न्यायाधिकरण, जोकि १९२१ के अधिनियम के

फलस्वरूप बना है, इस कार्य के लिए उचित संस्था होगी ? स्पष्ट है कि संसद् इस प्रकार की जांच नहीं कर सकती। दूसरा विकल्प प्रवर समिति हो सकता है। पहले इसी प्रकार के एक मामले में प्रवर समिति नियुक्त की गई थी पर संसद् के सदस्य दल के आधार पर व्यवहार करने लगे जिसके परिणामस्वरूप १९२१ का अधिनियम पारित किया गया। यद्यपि यह अधिनियम जल्दी में पारित किया गया था पर इसमें यह जो बात कही गयी है कि इस प्रकार के मामलों को एक न्यायिक संस्था को सौंपा जाये जिमे उच्च न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हों, बिल्कुल ठीक है।"

"१९२१ के अधिनियम में न्यायाधिकरण की सदस्यता और उसकी कार्यवाही के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था और यह दोनों बातें बाद में अनुभव के आधार पर बनाई गई हैं।" १९२८ में संसद् के दो सदस्यों ने न्यायाधिकरण के सदस्यों की हैसियत से एक दूसरे के विरुद्ध मत अपनाये थे, इसलिये उसके बाद न्यायपालिका के लोगों को ही न्यायाधिकरण का सदस्य बनाया जाने लगा। इससे काम में सुविधा हो गई।"

"१९३६ में आय-व्ययक का भेद खुल जाने की जांच के समय तक प्रक्रिया यह थी कि न्यायाधिकरण स्वयं जांच करता था। महान्यायवादी गवाही संक्षिप्त रूप में इकट्ठी करता था। और गवाहों से बहस न्यायाधिकरण स्वयं करता था।" "१९३६ में न्यायाधिकरण ने शिकायत की कि गवाहों की न्यायाधिकरण द्वारा जो जांच की जाती है उसके सम्बन्ध में यह धारणा बनाई जा सकती है कि न्यायाधिकरण के सामने जो गवाह उपस्थित होते हैं उनमें से किसी गवाह के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण के विचार पहले से ही खिलाफ हों। उस समय से प्रक्रिया यह हो गयी कि महान्यायवादी स्वयं ही गवाहों की जांच करने लगा। पर इस परिवर्तन के अनुचित दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लोगों की नजर में, महान्यायवादी अपना काम खिलाफ होकर ही शुरू करता है। चूंकि वह सरकारी पक्ष का व्यक्ति होता है और उसे निष्पक्ष व्यक्ति की हैसियत से काम करना होता है अतः वह सोचता है या उससे आशा की जाती है कि वह किसी के प्रति कड़ाई बरतने में कोई लिहाज नहीं करेगा। यह कड़ाई इस प्रकार बरती जाती है कि महान्यायाधीश एक लम्बा चौड़ा वक्तव्य देता है जिसका आधार किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातें होती हैं और उस व्यक्ति के वकील आदि की ओर से शुरू में कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता। मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील लगाने में बड़ा खर्च होता है और थोड़े ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतना खर्च बरदाश्त कर सकते हैं।"

मैं सारा भाग पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं समझता। पहली बात तो यह है कि बिना पर्याप्त कारण व पर्याप्त आरम्भिक जांच किये ऐसा जांच आयोग नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। मैंने तो यह सब पढ़ कर केवल इसलिए सुनाया कि कसे जटिल प्रश्न ऐसे मामलों में अन्य स्थानों पर पैदा हुए हैं जैसे कि हमारे यहां भी हुए हैं। यह किसी विशेष प्रक्रिया की आलोचना करने का सवाल नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि इस मामले में या अन्य किसी मामले में हमें ब्रिटेन की इस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। पर चूंकि बहुत से मामलों में हम ब्रिटिश संसद् की प्रक्रिया को मानते हैं अतः हमें उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। अन्य बातों का ध्यान रखते हुए, यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई मामला आये तो उसके सम्बन्ध में पहले कुछ आरम्भिक जांच अवश्य कर लेनी चाहिए और उसके बाद सारी जानकारी न्यायाधिकरण के सामने रख दी जानी चाहिये; इससे न्यायाधिकरण को सहायता मिलेगी।

ऐसी जांच का एक और पहलू है। यह जांच एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर गौरवपूर्ण ढंग पर की जानी चाहिए और इसमें कोई सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में स्वाभाविक तथा उचित है कि जनता काफी दिलचस्पी ले; मेरा अपना भी यही ख्याल है कि आमतौर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर खुली जांच बन्द जांच से अच्छी होती है। पर यदि न्यायालय का सारा वातावरण सार्वजनिक उत्तेजना या सार्वजनिक हस्तक्षेप से भर जाता है तो न्यायालय का या किसी सामान्य जांच का वातावरण सामान्यतया जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रह जाता। सच तो यह है कि इस आयोग के सभापति, न्यायमूर्ति छागला, न्यायालय में होने वाली भीड़भाड़ से बहुत परेशान थे और उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी क्योंकि न्यायालय के सभापति या न्यायाधीश को न्यायालय में भीड़भाड़ बुरी लगती है। गवाहों को तो इससे और भी अधिक कठिनाई होती है अतः इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की सार्वजनिक उत्तेजना न्यायालय में न फैलने पावे।

इसके अलावा मंत्री पद के उत्तरदायित्व सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के प्रश्न भी हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों पर विचार करना जांच आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर है। संसद् ही इन प्रश्नों के सम्बन्ध में निर्णय करती है और ऐसे प्रश्न प्रायः परम्परा और प्रथा के प्रश्न होते हैं। मैं इस मामले में अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हम मंत्री के उत्तरदायित्व के मोटे सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि मंत्री के अधीन जो पदाधिकारी होते हैं उनके सभी कार्यों के लिये मंत्री उत्तरदायी हमेशा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस जांच का सरकार की नीति के मोटे-मोटे सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार की जांच का यह काम नहीं कि उसमें संसद् द्वारा निर्धारित नीतियों की आलोचना की जाये या उन में दोष बताये जायें। पर मैं जानता हूं कि इस मामले को लेकर सरकार की बीमे के बारे में ही नहीं सरकारी क्षेत्र के बारे में नीति सम्बन्धी बातों की निन्दा करने के अनेक प्रयत्न किये गये और समाचारपत्रों में भी इसका उल्लेख किया गया। इस बात को मैं दृढ़ता के साथ और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है, सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने के लिये, सरकार उस पर दृढ़ है और आगे भी सरकार उसी नीति पर मजबूती से चलेगी। हमें इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि यह नीति बिल्कुल सही है और इसका अनुसरण होना चाहिये। इस विशेष मामले का इस नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं पहले बता चुका हूं कि सरकार आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि ६ समवायों के अंशों के खरीदने का जो सौदा हुआ वह व्यापार के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं था और अन्य कई कारणों से भी अनुचित था। सरकार का विचार है कि आयोग के निष्कर्षों के आधार पर इस सौदे के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। और आयोग ने सरकार व निगम को अपनाने के लिए जिन सिद्धान्तों की सिफारिश की है उनकी छानबीन भी सरकार करायेगी।

मैं सभा के सामने एक संकल्प रख चुका हूं और यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन पर विचार किया जाये। पर आपकी अनुमति से, श्रीमान्, अब मैं एक स्थानापन्न संकल्प विचार करने के लिए तथा स्वीकृत करने के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह संकल्प इस प्रकार है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"यह सभा भारत के जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् सरकार की ओर से दिये गये वक्तव्यों का अनुमोदन करती है कि :

(१) सरकार आयोग की इस उपपत्ति को स्वीकार करती है कि ६ समवायों के अंशों के खरीदने का जो सौदा किया गया था वह व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं था और अन्य कई आधारों पर अनुपयुक्त भी था;

(२) आयोग की उपपत्तियों के आधार पर इस सौदे के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों के बारे में सरकार का उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है; और

(३) सरकार तथा निगम द्वारा अपनाये जाने के लिए आयोग ने जिन सिद्धान्तों की सिफारिश की है सरकार उनका परीक्षण सावधानीपूर्वक करना चाहती है।"

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या प्रधान मंत्री मूल प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मुझे १८ स्थानापन्न प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हो चुकी है। यह स्थानापन्न प्रस्ताव परिचालित कर दिया जायेगा और सभी स्थानापन्न प्रस्तावों को इस प्रस्ताव का स्थानापन्न प्रस्ताव माना जायेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रधान मंत्री ने अभी यह स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : मूल प्रस्ताव को वापस लेने के लिये उन्हें सभा की अनुमति लेनी चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आवश्यक नहीं है।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : क्या इस स्थानापन्न प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं क्योंकि हमने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव पिछले प्रस्ताव पर दिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां। यदि स्थानापन्न प्रस्तावों में कुछ हेर-फेर की जरूरत हो तो उनकी अनुमति दी जायेगी ताकि वे नये प्रस्ताव के अनुकूल हो जायें। यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो पहले वाले प्रस्ताव और इस स्थानापन्न प्रस्ताव दोनों प्रस्तावों पर प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्तावों को इस स्थानापन्न प्रस्ताव का स्थानापन्न प्रस्ताव मान लिया जाये। माननीय सदस्यों के लिए १५ मिनट और समूहों के नेताओं के लिए २० मिनट का समय होगा। माननीय सदस्यों को पता है कि आज सभा की बैठक ६ बजे तक होगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं जानना चाहती हूं कि क्या संशोधन अभी दे दिये जायें या कल दिये जा सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल नहीं, आज ही किसी समय।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर-मध्य) : प्रधान मंत्री ने जांच के बारे में जो बातें कही हैं उनसे जांच के निष्कर्ष का पता लगता है। इन बातों, मूल प्रस्तावों और उस के साथ ही तुरन्त प्रस्तुत किये गये संशोधन से पता लगता है कि सरकार इस उलझन में थी कि जांच का परिणाम लोगों के सामने लाने से उन्हें लाभ होगा अथवा नहीं। यह उलझन स्वाभाविक ही है अतः इसी लिए उन्होंने आत्मश्लाघा करते हुए कहा है कि हमारे अपराध दूसरे लोकतन्त्र देशों से कम हैं। किन्तु इस से हम ठीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।

प्रश्न यह नहीं कि सत्तारूढ़ दल अथवा सरकार की निन्दा की जाए वरन् यह है कि वास्तविक को देखा जाए। दिसम्बर में इस विषय पर चर्चा हुई थी और फिर सरकार को जांच आयोग नियुक्त करने में एक महीना लग गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है किन्तु माननीय सदस्य यह गलत कह रहे हैं कि एक महीना लग गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**कुछ माननीय सदस्य :** २० दिन ।

†**श्री श्री० अ० डांगे :** ठीक है बीस दिन सही । इस में कोई बहुत जल्दी नहीं करनी पड़ी । जिस दिन सभा ने इस की मांग की थी तो सरकार कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी । प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेसियों ने भी इस के लिए अनुरोध किया और सराकर न चाहती हुई भी विषय की गम्भीरता के कारण आखिर आयोग नियुक्त करने के लिए मान गई । श्री छागला जैसे सुयोग्य न्यायाधीश की अध्यक्षता आयोग की नियुक्ति के लिए सरकार बधाई की पात्र थी किन्तु जब जांच की कार्यवाही होने लगी तो सरकार ही उसके निष्कर्षों के प्रतिकूल मत प्रकट करने लगी और प्रधान मंत्री कहने लगे कि इस मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ । वे यह तो मानते हैं कि यह विनिमय गलत हुआ था किन्तु साथ ही यह कह रहे हैं कि इस में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पदाधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं ।

उन्होंने कह दिया कि रक्षित बैंक के गवर्नर का इस से कोई सम्बन्ध नहीं वित्त मंत्री का तो बिल्कुल ही सम्बन्ध नहीं । तो हम पूछते हैं कि आखिर इस से सम्बन्ध किस का था । क्या केवल मूंदड़ा का ही सम्बन्ध है ? वही केवल अपराधी हैं जो कहता है कि वह औद्योगिक क्षेत्र में एक साम्राज्य निर्माण करने के लिए प्रधान मंत्री के पद-चिन्हों पर चल रहा है ?

यहां जांच के निष्कर्ष का विरोध किया जा रहा है । जांच की कार्यवाही खुले आम करने पर आपत्ति की जा रही है । वस्तुतः हमें तो सार्वजनिक जांच को इस प्रकार करने के लिये श्री छागला को बधाई देनी चाहिए । और बम्बई के लोगों को भी बधाई देनी चाहिए जिन में इतनी राजनैतिक सजगता है कि वे हज़ारों की संख्या में उस जांच को सुनने के लिए आए । किन्तु इस सब का विरोध करते हुए भी कहा जाता है कि इस में श्री छागला की निन्दा नहीं है । इन परस्पर विरोधी वक्तव्यों में कितनी उलझन है ।

इस घोटाले का वर्णन इस रूप में किया जा रहा है जैसे यह पहली किस्म का मामला है । यहां तो कई घोटाले हुए हैं जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता । दबा दिया जाता रहा है । श्री कृष्णमाचारी ने ही उर्वरक के घोटाले का उल्लेख किया है और कहा है कि तत्कालीन मंत्री ने पद-त्याग नहीं किया था और वे अपने पद-त्याग का श्रेय लेना चाहते हैं । खैर यह चोट खूब लगाई है यद्यपि वह महानुभाव भी इन्हीं की तरह कांग्रेसी थे ।

औद्योगिक वित्त निगम का घोटाला हुआ तब भी किसी ने पद-त्याग कर दिया और मामला वहीं समाप्त हो गया । प्रतिरक्षा विभाग के लिए खराब गाड़ियां खरीदी गई और करोड़ों रुपयों का गोलमाल हुआ । उस समय भी एक मामूली कर्मचारी को पद-च्युत कर दिया गया और फिर पता नहीं कि उन गाड़ियों का क्या हुआ ।

इस प्रकार गड़बड़ चलती रही । सरकार सचाई बताने के लिए तैयार नहीं थी । लोग प्रश्न पूछते रहे । आखिर पापों का गट्ठर भारी हो गया और यह कहा गया अच्छा आप इतना कुछ कह रहे हैं तो हम इसकी जांच करवा देते हैं । किन्तु जांच के निष्कर्ष प्रतिकूल होने पर यह घबराहट फैल गई । अतः यह जांच लोकतन्त्रात्मक नीति का परिणाम नहीं वरन् गड़बड़ का बोझ इतना अधिक बढ़ गया था कि इस जांच द्वारा उन सब मामलों पर आवरण डालने का प्रयत्न किया गया । किन्तू वह सब असफल हो गया ।

जांच आयोग ने किस सत्य का उद्घाटन किया है ? इस का तो कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया । जब बीमा समवाय गैर-सरकारी थे तो बीमा निधियों में कुछ गड़बड़ का पता लगा था जिस पर डालमिया को गिरफ्तार किया गया था । फिर उन्हें राष्ट्रीयकृत करके उन्हीं लोगों को सौंप दिया गया जो राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे और उन्हें गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को ऋण देने का अधिकार दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

परिणाम यह हुआ कि डालमिया से निधि ले कर मूंदड़ा को दे दी गई। इससे प्रधान मंत्री की यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि यहां सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं है किन्तु एक बात अवश्य हैं कि सरकारी उद्योग क्षेत्र से गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को पैसा जाता तो है लेकिन उधर से आता नहीं।

क्या यह नीति ठीक है। उद्देश्य तो यह था गरीबों से धन इकट्ठा करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया जाए। इसी कारण लोगों के वेतन नहीं बढ़ाए जा रहे और उन्हें अधिकाधिक जमा करने के लिये कहा जाता है। किन्तु होता यह है कि कोई मंत्री, वित्त सचिव या बैंक का गवर्नर सारी नीति को बदल देता है और पैसा मूंदड़ा को दे दिया जाता है। हम सब को सरकार से यही प्रश्न पूछना चाहिए।

यह गड़बड़ इसी लिए तो हुई है कि राज्य की कार्य संचालन की व्यवस्था में ही कुछ गड़बड़ है। क्या इस घोटाले का पता हमें इन्हीं दिनों अकस्मात् लगा है? वस्तुतः सरकार के पास १९५४ से मूंडड़ा का इतिहास है। रक्षित बैंक ने भी मूंदड़ा के विरुद्ध विचार प्रकट किये थे। किन्तु सरकार ने दिसम्बर तक जब इस की चर्चा सभा में उठाई गई इस सम्बन्ध में क्या किया। वित्त मंत्रालय को मूंदड़ा के बारे में १९५४ से ही पता था। श्री कृष्णमाचारी को १९५५ से जब वह वाणिज्य मंत्री थे इस का पता था। रक्षित बैंक का गवर्नर भी इसे फरवरी १९५६ से जानता है। प्रधान मंत्री ने भी लिखा था कि इस व्यक्ति से सतर्क रहना चाहिए। किन्तु मंत्रालय सतर्क नहीं रहे वरन् उसी के चुंगल में फंस गये। सारी नौकरशाही ही इस मामले से सम्बन्धित है। सब मंत्रालयों को पता होते हुए भी किसी ने भी कुछ नहीं किया।

श्री भट्टाचार्य, श्री अय्यंगार, श्री कामत, श्री चतुर्वेदी आदि कई कर्मचारी इस मामले में हैं। मैं सब पर आरोप नहीं लगाता किन्तु यही लोग सरकार का शासन चलाते हैं।

आय-व्ययक के सम्बन्ध में ही देखिये। कृष्णमाचारी चले गये किन्तु आय-व्ययक तो तैयार पड़ा है। प्रधान मंत्री उसे पढ़ देंगे। सरकार तो भारतीय असैनिक सेवा पदाधिकारियों के हाथ में हैं। ये पदाधिकारी मूंदड़ा जैसे व्यक्तियों के हाथ में क्यों फंस जाते हैं? वस्तुतः वे एकाधिकारी पूंजीपतियों के पैसे की चकाचौंध में आ जाते हैं।

इस बुराई का वास्तविक स्रोत क्या है? वास्तविक कारण तो गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की बढ़ती हुई शक्ति है। इस का हल यह नहीं कि तुम सरकारी क्षेत्र के विकास को रोक दो बल्कि इसे और बढ़ाना चाहिए।

यदि आप इन लोगों के कपटपूर्ण कृत्यों से परिचय करना चाहते हैं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जेसप्स कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कीजिये। इसी कम्पनी से सब पूंजीपति अत्यधिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बहुत से घोटालों का तो पता ही नहीं चल रहा है। पता तब चलता है जब घोटाला करने वाले आपस में झगड़ पड़ते हैं।

इन सब बातों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि सरकार पर बड़े बड़े व्यापारियों तथा आई० सी० एस० पदाधिकारियों का प्रभाव है। मैंने छागला आयोग को लिखा था कि वे एक प्रश्न पूछें कि गत तीन वर्षों में कितने बेनामी सौदे हुए हैं किन्तु उन्होंने कहा था कि यह निर्देश की मदों से बाहर का विषय है। क्या अब सरकार यह काम करेगी?

[श्री श्री० अ० डांगे]

सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी विधियां बनाई हैं किन्तु क्या सरकार यह भी पता करेंगी कि गत दस वर्षों में कितने नये लोग करोड़पति बने हैं और कैसे बने हैं ?

हमारी सरकार आई० सी० एस० पदाधिकारियों पर बहुत भरोसा करती है । वास्तव में गैर-सरकारी समवायों वाले लोग सेवा निवृत्त आई० सी० एस० पदाधिकारियों को इस लिए अपने यहां रख लेते हैं ताकि वे अपने पुराने मित्रों अर्थात् सरकारी अफसरों से शीघ्र काम निकाल सकें । सरकार के केबिनेट में व्यापारी लोग नहीं रखने चाहिएं ।

छागला आयोग में यह प्रश्न उठा था कि इस सौदे में जल्दी करने की क्या आवश्यकता पड़ी । यह सभी जानते हैं कि मूंदडा को हानि होने वाली थी और अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल्दी क्यों की गई । श्री अ० कु० सेन २० अगस्त, १६५६ को जेसप्स समवाय के बोर्ड में प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने केन्द्रीय सरकार का मंत्री पद सम्भालने पर उस को छोड़ा । इस प्रकार सरकारी नौकर सेवा निवृत्ति के पश्चात् व्यापारिक समवायों में चले जाते हैं और सरकारी समवायों के लोग मंत्री बन जाते हैं ।

मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा किन्तु केवल यह कह रहा हूं कि सरकार गैर-सरकारी उद्योग पर काफी भरोसा करती है और समाजवाद की थोथी बातें करती है । इस प्रकार की बातों को देख कर मुझे फिर कार्ल मार्क्स का कथन याद आ जाता है कि आधुनिक पूंजीपति राज्य"में सरकार धनियों के कारो-बार का प्रबन्ध करती है । मूंदड़ा के बारे में भी ऐसा ही हुआ है । वह डूब रहा था और उसे दो करोड़ रुपया चाहिए था । इन्होंने लोगों का रुपया उस को दे दिया । जब बात खुली तो सब उस से छुटकारा पाने लगे ।

खैर मुझे अब खुशी है कि अब प्रधान मंत्री ने आयोग की मुख्य सिफारिशों को मान लिया है । क्या सरकार पटेल के बारे में उस राष्ट्रपतीय अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती जिसके अधीन सैंकड़ों रेलवे कर्मचारियों को पद-च्युत कर दिया जाता है । क्या एक आई० सी० एस० व्यक्ति पर यह बात लागू नहीं होती ।

अभी श्री मूंदड़ा ने बताया था कि उन्होंने एक लाख रुपया कांग्रेस को चंदा दिया है किन्तु अगले ही दिन वे जेल चले गये । हम सन्देह कर सकते हैं कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता करती है ।

यह भी गलत है कि राष्ट्रीयकरण बुरा है । यदि सरकारी क्षेत्र में घोटाला हो तो कम से कम जनता के समक्ष उसे रखा तो जा सकता है । यह भी एक बड़ा लाभ है और यह संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली का ही लाभ है । किन्तु लाभ तभी है जब ऊपर वाले लोगों की राय की अवहेलना न करें ।

मैं तो यही कहूंगा कि हमें इन सब चीज़ों की जांच करनी चाहिए, बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और जेसप्स का तो कुछ उपचार अवश्य ही करना चाहिए ।

श्री कृष्णमाचारी को अपने पापों का फल मिला किन्तु जाते समय उन्होंने एक सच्ची बात कही थी कि नरभक्षी तो पिंजरे से निकल चुका है । वास्तव में वे इसी नरभक्षी के साथ अमेरिका आदि देशों में गये थे । उस के मुंह खून लग चुका था और अंत में उस ने उन्हें ही दबोच लिया । इससे पता चलता है कि यह लोग किस तरह सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने पर तुले हुए हैं । सरकार का यह ख्याल गलत है कि ऐसे नरभक्षियों को समाजवाद के लिए पाला जा सकता है । श्रीमान्, नरभक्षी को तो अहिंसा के ढंग की गोली मारनी पड़ेगी । उसके पंजे तोड़ने पड़ेंगे उसके दांत निकालने पड़ेंगे । अन्यथा समाजवाद प्रगति नहीं कर सकता । सरकार को इन घोटालों के मामलों में विलम्ब नहीं करना चाहिए ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : श्रीमान्, मैं प्रधान मंत्री से सहमत हूं कि इस जांच का आदेश दे कर सरकार का सम्मान बढ़ा है । सरकार ने एक निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त करके बहुत ही अच्छा काम किया है ।

किन्तु इस जांच की एक त्रुटि रही है कि जैसे ही जांच आरम्भ हुई और बड़े पदाधिकारियों ने साक्ष्य दिया तो प्रधान मंत्री क्रुद्ध हो गये । उन्होंने उन लोगों की भी निन्दा की जो इस जांच में रुचि ले रहे थे । प्रधान मंत्री ने वहां लाउड स्पीकर लगाये जाने की भी आलोचना की । वास्तव में उन्हें इस के मनोवैज्ञानिक कारण जानने चाहिएं थे । लोग बहुत देर से यह अनुभव कर रहे हैं कि बड़े-बड़े लोगों के आचरण सन्दिग्ध हैं और सरकार में घोटाले हो रहे हैं । अतः लोगों ने जिस प्रकार का आचरण वहां किया वह ठीक ही था । सम्भवतः पश्चिम के किसी देश में लोग इस से भी बुरा व्यवहार करते ।

इतना ही नहीं आयोग का प्रतिवेदन आने के पश्चात् प्रधान मंत्री ने जांच के ढंग के प्रति भी असन्तोष प्रकट किया था । क्या प्रधान मंत्री का अभिप्राय यह था कि न्यायाधीश छागला का निर्णय साक्ष्य के आधार पर नहीं है । यह बात गलत है । वास्तव में आयोग के निर्देशपद समिति थे । किन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह न्यायिक जांच थी और निर्णय साक्ष्य पर आधारित है ।

श्रीमान्, यह ठीक है कि सारी सचाई का पता नहीं लगा है । इस का कारण यह है कि सरकारी साक्षियों ने सारी बातें सच-सच नहीं बताई हैं । ये लोग चतुर हैं और इस कारण बिना किसी प्रयोजन के ऐसा सौदा नहीं कर सकते किन्तु उस प्रयोजन का ही पता नहीं लगा । प्रधान मंत्री ने भी जांच की त्रुटियां नहीं बताई हैं और न्यायाधीश ने स्वतः कहा है कि न तो यह फौजदारी और न ही दीवानी दावा था । इस कारण जिरह इत्यादि न हो सकती और सचाई का भी उतना पता नहीं चल सका ।

किन्तु इस बात को सब मानते हैं कि कुछ अत्यन्त निन्दनीय बातें हुई हैं और निगम के रुपये का दुरुपयोग हुआ है । इस बात में भी संदेह नहीं कि निगम की प्रक्रिया के अनुसार काम नहीं किया गया और न ही विनियोजन समिति से सलाह ली गई । सौदा बहुत जल्दी किया गया ।

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सौदा ठीक था ? यह तो स्पष्ट है कि थोड़े ही दिनों पश्चात् निगम को ४० लाख रुपये की हानि हुई तब ऐसे अंश खरीदने का प्रयोजन क्या था ? क्या बाजार में वास्तव में संकट था । साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता । भूतपूर्व वित्त मंत्री पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे और उन्हें मूंदड़ा का पूरा पता था किन्तु वे वित्त मंत्री बनने पर सब कुछ भूल गये । वाणिज्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय आदि में कोई समन्वय ही नहीं है और न ही प्रधान मंत्री की जानकारी से कुछ लाभ उठाया जाता है ।

क्या मूल्यों के निर्धारण का भी कोई निश्चित आधार था ? आप लोग सरकारी कर्मचारियों की प्रशंसा करते हैं । उन लोगों ने मूंदड़ा के कुछ अंशों की उल्लिखित से भी अधिक कीमत दे दी । यह सौदा दलालों के द्वारा भी नहीं किया गया । यह तो सीधा ही चुपचाप श्री मूंदड़ा के साथ कर लिया गया । जब प्राधिकारियों से यह पूछा गया कि उन्होंने इन बातों को क्यों नहीं बताया तो उन्होंने विचित्र उत्तर दिये । उन्होंने कहा कि ऐसा करते तो बाज़ार में तेज़ी आ जाती । शेयर खरीदने वाला हर एक व्यक्ति यह चाहेगा कि शेयर के दाम बढ़ें । यहां ये दानवीर ये भी नहीं चाहते कि भाव बढ़ें । इस प्रकार की बातें अपने निजी जीवन में नहीं की जातीं और चूंकि ये रुपया गरीब बीमाधारियों का है, इसलिये इनके मामले में ऐसी बातें नहीं की जा सकतीं ।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि रक्षित बैंक के गवर्नर का इसमें कोई दोष नहीं है, मैं यह बात स्वीकार नहीं करता । २४ तारीख को जब सौदे का निर्णय हुआ था उस समय वह वहां मौजूद थे और फिर

†मूल अंग्रेजी में ।

[आचार्य कृपालानी]

मूंदड़ा के आचरण के सम्बन्ध में भी उन्हें जानकारी थी पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अतः उन्हें निर्दोष कहना, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, उचित नहीं है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैं आरम्भ से ही उनका आलोचक रहा हूं जब कि वह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री थे। मंत्री का उत्तरदायित्व ३ प्रकार का होता है—संसद् के प्रति, संवैधानिक और व्यक्तिगत। संसद् के प्रति मंत्री के कर्त्तव्य की चर्चा करते समय मैं यह कहूंगा कि ४ सितम्बर और २९ नवम्बर को डा० राम सुभग सिंह के प्रश्नों का उत्तर जो दिया गया उसमें तथ्यों के बारे में कुछ न बता कर उन्हें टाल दिया गया। माननीय मंत्री का यह कहना कि काम की अधिकता के कारण, वह प्रश्नों के उत्तरों की छानबीन नहीं कर सकते थे और उनके विभाग ने जो उत्तर तैयार किया था उसे ही उन्होंने दिया। पर जब सारी जनता इस मामले के सम्बन्ध में इच्छुक थी तो माननीय मंत्री को इस मामले को अवश्य ध्यानपूर्वक देखना चाहिए था।

संवैधानिक उत्तरदायित्व की बात लीजिए। वित्त मंत्री ने ठीक कहा कि मंत्री को प्रत्येक छोटी-मोटी बातों पर त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। पर ऐसी समस्या पैदा होने पर तो मंत्री को आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने से पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था। यदि वह पहले त्यागपत्र दे देते तो मूंदड़ा सौदे के बारे में तथ्यों का उद्घाटन काफी अच्छी तरह हो पाता जिसके लिए सारी जनता इच्छुक है।

मैं यह बात नहीं मान सकता कि वरिष्ठ पदाधिकारी अपने सहयोगी से भयभीत थे। पर यह मुख्य सचिव तो वित्त मंत्री के ही तो नाक के बाल थे। लोगों ने समझा कि मुख्य सचिव वित्त मंत्री के कहने के अनुसार ही काम कर रहे होंगे। एक बात यह भी कही गई कि आयोग ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को बहुत महत्व दिया है। ठीक है, ऐसा ही होता है क्योंकि प्रत्यक्ष साक्ष्य तो बहुत ही कम मिल पाते हैं। पर इस मामले में मि० रामन का ६ जुलाई का और ५ सितम्बर का पत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। इन पत्रों को देखने के बाद भी वित्त मंत्री सभा में वाद-विवाद के लिए तैयार होकर नहीं आये। उस समय भी वित्त मंत्री ने इस मामले पर कोई प्रकाश नहीं डाला।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कल उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात कही कि आयोग की जांच के पहले उन्हें कुछ भी पता नहीं था। मुझे खेद है कि वित्त मंत्री ने गैर-सरकारी क्षेत्र को 'नरभक्षी' कहा। पर यह क्षेत्र तो उन्हीं की दया पर पलता रहा है। अतः यह कहना उन्हें शोभा नहीं देता। वित्त मंत्री की बातों से तो ऐसा पता लगता है कि जैसे मूंदड़ा ने उन्हें शिकार बनाया हो पर बात ऐसी नहीं है। मूंदड़ा ने नहीं, मुख्य सचिव ने वित्त मंत्री को नीचा दिखाया है। अतः मूंदड़ा को बदनाम करना वित्त मंत्री के लिए शोभनीय नहीं है। और फिर इस मामले में तो जांच के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र की ही निन्दा की गई है सरकारी क्षेत्र की नहीं।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने संसद् की महानता का उल्लेख किया। ठीक है मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। साम्यवादी समूह के नेता ने सारा श्रेय स्वयं लेना चाहा है और उनका विचार है कि उनके कहने पर ही यह जांच आयोग नियुक्त किया गया था। सच पूछा जाय तो डा० राम सुभग सिंह ने इस बात को शुरू किया। उन्होंने दो बार दो प्रश्न भी पूछे। बाद में श्री फिरोज गांधी और श्री अशोक मेहता ने भी इस काम में काफ़ी मदद की। अतः वास्तव में हमारी संसद् को ही इस बात का श्रेय है।

†मूल अंग्रेजी में।

श्री आचार्य कृपालानी की बातों को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तिगत और कुछ सामान्य बातें कहीं। प्रधान स्वयं इस मामले में जांच आयोग नियुक्त करना चाहते थे अतः उन्हें भी समुचित श्रेय दिया जाना चाहिए। अन्य भी कई मामले होते हैं जिनमें इस प्रकार की जांच कराने की मांग की जाती है पर इस बार संसद् की इच्छा थी और हमारे प्रधान मंत्री भी चाहते थे कि जांच हो इसी कारण जांच आयोग बैठाया गया।

मैं श्री छागला को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बिना किसी भय या पक्षपात के इस मामले में निर्णय दिया। यह हमारे संविधान की न्याय व्यवस्था की विशेषता है अतः हमें अपने संविधान पर गर्व है। मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी को भी बधाई देना चाहता हूं। यह कहना गलत है कि उन्होंने त्यागपत्र काफी देर से दिया। वास्तव में उनका त्यागपत्र तो प्रधान मंत्री ने रोक रखा था। और प्रधान मंत्री आयोग के प्रतिवेदन का इन्तजार कर रहे थे। प्रतिवेदन आते ही उन्होंने त्यागपत्र मंजूर कर लिया।

मेरे माननीय मित्र ने श्री पटेल को कड़ी सजा देने की बात कही। पर केवल पटेल को ही क्यों? अन्य लोगों को क्यों नहीं? हमारे पदाधिकारी लोग मंत्री तथा संसद् को भी खबर नहीं देते और अन्दर ही अन्दर गोलमाल किया करते हैं? यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का दोष है। हमें इन बातों के बारे में सावधानीपूर्वक छानबीन करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि वित्त मंत्री ने स्वयं चुनकर श्री पटेल को मुख्य सचिव बनाया था। क्या यह सम्भव है। हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या गृह-कार्य मंत्रालय मंत्रियों की इच्छानुसार उन्हें सचिव देता है या अपनी इच्छानुसार सचिवों की नियुक्ति करता है। साथ ही इस बात पर भी विचार करना है कि राज्यों से जो पदाधिकारी केन्द्र में आते हैं वे कितने समय तक केन्द्र में रहते हैं। बहुत से पदाधिकारी तो एक बार राज्य से दिल्ली आ जाने के बाद फिर लौट कर जाते ही नहीं। दिल्ली में ही वह अपने हाथ पैर फैला कर जम जाते हैं और अपना इतना प्रभाव बढ़ा लेते हैं कि मंत्रियों पर भी प्रभाव डालने में समर्थ हो जाते हैं। इन बातों की भी छानबीन की जानी चाहिए। इन नौकरियों में भरती के सम्बन्ध में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस सम्बन्ध में श्री छागला ने जो सिफारिश की हैं उन पर विचार करना बहुत आवश्यक है।

एक समस्या और है कि इन अर्द्ध-सरकारी निगमों का प्रबन्ध कसे किया जाये। इन के प्रबन्ध के लिए या तो आई० सी० एस० या आई० ए० एस० पदाधिकारी होते हैं या गैर-सरकारी क्षेत्र में भरती किये गये लोग होते हैं। मैं इन दोनों प्रणालियों से असहमत हूं। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुकर्जी के समय में सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि एक आर्थिक सेवा का संगठन किया जायेगा पर अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया। अतः अब समय आ गया है जब ऐसी सेवा का संगठन किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे अर्द्ध-सरकारी या स्वशासी निगमों को स्वशासी अवश्य रखा जाये पर संसद् और मंत्री को इनके कामों के बारे में देखभाल करने या हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार रहना चाहिए।

'नरभक्षियों' की बातें कही गयीं। हमें इन से सावधान रहना चाहिए और जहां तक सम्भव हो इनको पकड़वाने की कोशिश की जानी चाहिए।

अन्त में मैं इस संकल्प के लिए सरकार को बधाई देता हूं। यह संकल्प छागला प्रतिवेदन के तथ्यों पर संसद् की इच्छा का प्रतीक है। यह कोई एक व्यक्ति या दल की इच्छा नहीं है। सभा को तथा अन्य लोगों को जो अन्य बातों की छानबीन के लिए इच्छुक हैं सरकार ने सान्त्वना तथा संतोष देने के लिए यह संकल्प पेश किया है। अतः मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं और अपने मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि वे भी इसका समर्थन करें।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): हमारे प्रधान मंत्री ने जो स्थानापन्न संकल्प रखा है इसमें जो बातें कही गयीं हैं उनसे कोई भी असहमत नहीं हो सकता और इसीलिए जिन माननीय सदस्यों को इन पर बोलने का मौका मिला है वे इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कह सके हैं। स्पष्ट है कि सरकार ने छागला आयोग के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है। इससे बढ़कर और क्या श्री डांगे या आचार्य कृपालानी चाहते हैं?

यदि इस सारे मामले को, इसकी जांच को बात की एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाये तो हम कह सकते हैं कि यह हमारी लोकतन्त्रवादिता की सबसे बड़ी सफलता है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि साम्यवादी दल के नेता ने सरकार की आलोचना की है। सरकार इससे अधिक और क्या कर सकती थी? श्री डांगे द्वारा कही गई बहुत सी बातें नितान्त अनुपयुक्त तथा अनावश्यक हैं। फिर श्री डांगे यह कह कर कि कांग्रेस दल जांच के पक्ष में नहीं था और उन्होंने जोर डाल कर जांच आयोग की नियुक्ति करवाई, सारा श्रेय अपने लिए लेना चाहते हैं। पर सभा को पता है कि इस मामले को श्री फिरोज गांधी ने शुरू किया था और डा० राम सुभग सिंह ने दो प्रश्न पूछ कर उसमें सहायता की।

फिर प्रधान मंत्री ने असैनिक सेवा की प्रशंसा जिस रूप में की है उसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी की खास प्रशंसा करना चाहते हैं। अतः श्री डांगे का यह कहना गलत है कि मूंदड़ा काण्ड के कुछ पदाधिकारियों को प्रधान मंत्री का समर्थन प्राप्त है। प्रधान मंत्री ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि यह सौदा गलत ढंग से हुआ है। अतः श्री डांगे का यह रवैया बहुत खराब है कि वह बातों का गलत मतलब लेते हैं।

इस जांच से हमें कई लाभ हुए हैं जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है। सभी लोग काफी सावधान हो गये हैं। मुझे आशा है कि इसके बाद प्रशासनिक सेवा के रवैये में काफ़ी अनुकूल परिवर्तन होगा। आयोग ने इस क्षेत्र की अनेक त्रुटियों के बारे में बताया है। केवल जीवन बीमा निगम को ही नहीं इस प्रकार के अन्य निगमों को भी इस जांच से लाभ होगा और वे इससे कुछ सीखेंगे।

अब मैं श्री कृपालानी द्वारा कही गई कुछ बातों का जिक्र करूंगा। उन्होंने छागला आयोग के निष्कर्षों के आधार पर कुछ तर्क उपस्थित किये। यह बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि मूंदड़ा जैसे व्यक्ति के साथ यह सौदा नहीं करना चाहिए था; विनियोजन मंत्रणा समिति से परामर्श कर लिया जाना चाहिए था; इस सौदे में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी और निगम की स्वच्छन्दता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। इन बातों को मानने से कौन इन्कार करता है? तो फिर स्पष्ट है कि सरकार के और आचार्य कृपालानी के दृष्टिकोणों में कोई मतभेद नहीं है।

सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इस जांच आयोग के निष्कर्षों से यह मिलती है कि ऐसे निगमों के धन के विनियोजन के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित कर लेना आवश्यक है। यह नीति क्या हो, इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं पर यह तो करना ही होगा। श्री सी० डी० देशमुख, भूतपूर्व वित्त मंत्री ने एक बार बताया था कि इन निगमों के धन को योजना के लिए लगाया जाये। अन्य देशों में इस प्रकार के निगमों के धन को कुछ सामाजिक कार्यों के लिए लगाया जाता है। मैसूर राज्य के अनुभव के आधार पर मैं भी कह सकता हूं कि इस प्रकार की संस्थाओं की राशि सामाजिक कार्यों में लगाई जा सकती है। अच्छा तो यह हो कि केन्द्र के बजाय राज्यों में जीवन बीमा निगम हों। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन संस्थाओं के धन के विनियोजन के सम्बन्ध में हमें कोई नीति अवश्य निश्चित करनी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प के बारे में सभा पूर्णतया सहमत होगी और उसे स्वीकार करेगी। श्री डांगे ने राष्ट्रीयकरण की बात कही। पर जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया कि सरकारी क्षेत्र के लिए प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का बहुत अभाव है अतः इतनी जल्दी राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाना राष्ट्र के लिए बड़ी खतरनाक बात होगी। श्री डांगे ने यह भी

†मूल अंग्रेजी में।

आरोप लगाया कि सरकार की सांठगांठ इन नरभक्षियों के साथ है। इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है। हमारे देश में लोकतन्त्र की नींव डाली जा रही है और हमारे सामने बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अतः हमें सहयोग से काम लेना चाहिए।

†**श्री मसानी** (रांची पूर्व) : मैं उस संशोधन का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं जो मैंने, श्री जयपाल सिंह ने तथा श्री बैरो ने आज रखा था। इसके द्वारा हम प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से कण्डिका ३ हटा देना चाहते हैं तथा यह रखवाना चाहते हैं कि सरकार आयोग की सिफारिशों में निहित सिद्धान्तों को स्वीकार करने में असमर्थ रही है।

प्रधान मंत्री ने आज प्रातः ठीक ही कहा कि यद्यपि यह एक दुःखद घटना हुई है परन्तु फिर भी हमें गर्व है क्योंकि इससे हमें पर्याप्त अनुभव हुए हैं। गरीब पालिसी होल्डरों की निधि का इस प्रकार दुरुपयोग होने से यह स्वाभाविक था कि जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाये। हम शान्त वातावरण के पक्ष में हैं, परन्तु जनता में इसके सम्बन्ध में शोरोगुल उठना स्वाभाविक ही था। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि लोकतन्त्र का उच्चादर्श बनाये रखने के लिए सरकार ने आयोग के निष्कर्षों पर वित्त मंत्री के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया तथा महान्यायवादी के व्यवहार का समर्थन किया।

आज सुना जाता है कि विश्व के अन्य देशों में भाव के बारे में कहा जाता है कि जापान के अलावा एशिया में भारत ही ऐसा देश है जहां लोकतन्त्र पद्धति के अनुसार काम होता है। इस के लिए हमारी सरकार तथा जनता ने बड़ा काम किया है। मेरे विचार से जो कुछ हुआ उसके लिए किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी रखना ठीक नहीं है अपितु मैं तो समझता हूं कि हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई ग़लत नीतियों का ही यह परिणाम हुआ। ग़लत नीति से मेरा यह अर्थ नहीं है कि किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की नीति ग़लत है परन्तु मेरा यह कहना है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों का प्रबन्ध जिस प्रकार किया जा रहा वह तरीका ग़लत है। हमें इस जांच से कुछ सीखना चाहिए। मेरा विचार है हमें प्रबन्ध सिद्धान्तों को लागू करना चाहिए क्योंकि मानव तो मानव ही रहता है चाहे वह सरकारी नौकरी में हो अथवा गैर-सरकारी में हो। मैं बताना चाहता हूं कि वह प्रबन्ध सिद्धान्त कौन से हैं जो जीवन बीमा निगम के मामले में लागू नहीं किए गए हैं।

प्रथमतः दायित्व स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए जिससे प्रबन्ध सुचारू रूप से हो सके। तीसरे पालिसी होल्डरों की निधि की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अब हमें इस पर विचार करना है कि जीवन बीमा निगम के प्रशासन में किस सीमा तक इन सिद्धान्तों का पालन किया गया। जांच के निष्कर्षों से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि सरकार के आदेश सामान्य नीतियों तक नियंत्रित हैं तथा शेयरों की खरीददारी आदि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में यदि ऐसे आदेश थे तो उनको अधिनियम के अनुसार अस्वीकार किया जा सकता था। परन्तु फिर भी आयोग ने मंत्री तथा मुख्य सचिव को दोषी ठहराया। मेरे विचार से ऐसा इसी कारण हुआ क्योंकि सरकार ने राज्य निगमों की स्वतन्त्रता को बड़ा सीमित कर दिया है। वित्त मंत्री ने भी इस पर गवाही के समय प्रकाश डाला है कि इन निगमों से सम्बन्धित निर्णय अधिकांश मंत्री तथा मुख्य सचिव ही करते थे। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में ठीक ही कहा है कि इस सौदे को निगम ने नहीं अपितु सरकार ने किया तथा सरकार द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप अनुचित था। आयोग ने आगे चल कर एक अन्य स्थान पर कहा है कि गवाही से पता लगता है कि वित्त-मंत्रालय जीवन बीमा निगम को अपने मंत्रालय की एक शाखा समझता था। इन उद्धरणों से हमें पता लग जाता है कि सरकार ने इन स्वायत्तशासी निगमों को अपने हाथ का खिलौना समझ रखा था तथा इनके प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप किया जाता था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मसानी]

दूसरा कारण यह है कि भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारी इन निगमों के पदासभापति नियुक्त किये जाते रहे हैं। मेरा सुझाव है तथा मैं आशा करता हूं कि अब इन सब को वापस बुला लिया जायेगा। अन्यथा संभव है कि इस प्रकार का कोई घोटाला फिर न हो जाए। हमें इन पदाधिकारियों पर दोष नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनका इसमें इसलिए कोई दोष नहीं है क्योंकि जब एक सचिव सभापति बनाया जाता है और उसको हटाकर दूसरा सभापति सरकारी कर्मचारी आता है तो दूसरा सभापति अपने को सचिव क अधीन ही मानकर काम करता है तथा स्वायत्तशासन नहीं करता है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही है।

एयर इंडिया इंटरनेशनल में कभी भी ऐसी गड़बड़ी न हुई न होगी क्योंकि वहां का सभापति एक गैर-सरकारी व्यवित है हमें प्रधान मंत्री ने बताया कि निगम का प्रबन्ध निदेशक एक गैर-सरकारी व्यक्ति है। मैं मानता हूं। परन्तु यदि हम उनकी गवाही देखें तो हमें उनकी हालत और भी प्रखर नज़र आती है उन्होंने अपनी गवाही में कहा है कि वह अपने से उच्चपदासीन व्यक्ति के प्रति वफादार रहें तथा निगम के प्रति वफादार नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि उनका परामर्श नहीं लिया गया। आयोग ने भी यही निर्णय किया कि इन दोनों पदाधिकारियों ने अपने से उच्च प्राधिकारियों के आदेशों का अक्षरश: पालन किया। इन सब बातों को देखकर मुझे श्री जयप्रकाश नारायण के वह वाक्यांश याद आ जाते हैं कि देश व्यक्ति पूजा का अड्डा बन गया है।

हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने आयोग के विनियोजन आदि से सम्बन्धित प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है। मेरे विचार से हमें जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय जनता की उस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि पालिसीहोल्डर निदेशकों के बोर्ड के एक चौथाई सदस्यों का नाम निर्देशन करें। यदि उस समय इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया होता तो आज ऐसी घटनायें नहीं हुई होतीं।

श्री देशमुख ने उस समय यह भी वायदा किया था कि इन निधियों के विनियोजन के बारे में सरकार आदेश देगी। परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है जीवन बीमा निगम के ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए। विनियोजन समिति बनाई गई परन्तु धारा २७क कभी भी लागू नहीं की गई। और अब से अन्त में, सरकार ने एक ओर तो जनता के धन का दुरुपयोग किया और दूसरी ओर ऐसा आय-व्ययक प्रस्तुत किया जिससे जनता का विश्वास खो दिया गया। यह सब सरकार की ग़लत नीतियों के कारण हुआ।

विनियोजनों के उद्देश्यों पर प्रकार डालते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि उद्देश्य बाजार को ठीक करना था। हमें इसकी और जांच करानी चाहिए क्योंकि मुझे यह उद्देश्य ठीक नहीं मालूम होता है। मुझे पता लगा है कि जीवन बीमा निगम ने और भी कुछ नीतियों को चालू किया है जिनके औचित्य पर सन्देह किया जा सकता है।

साम्यवादी दल के नेता ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं पूंजीवादी देशों की घटनायें हैं। मैं उनको बताता हूं कि यूगोस्लाविया के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। इसी पुस्तक के कारण वह आज दस वर्ष का कारावास भुगत रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि साम्यवादी पद्धति में चोरी तथा धन का दुरुपयोग निश्चित है। क्योंकि यहां सम्पत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती इसलिए चोरी अधिक होती है। अकेल यूगोस्लाविया में १९५४ में इस प्रकार की चोरी क २०,००० मामल हुए।

मैं तो इन सब मामलों को शक्ति क केन्द्रीकरण से सम्बन्धित मामले मानता हूं। राष्ट्रीयकरण करते हुए यह कहा गया था कि इन बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण इसी कारण किया जा रहा है क्योंकि इनमें शक्ति का केन्द्रीयकरण है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि जब १,००० निदेशक पालिसी-होल्डरों की निधि का विनियोजन करते थे उस समय या अब जब केवल दो तीन व्यक्ति इस निधि की देख-रेख करते हैं तब क्या शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं है।

अपने संशोधन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने प्रधान मंत्री के प्रस्ताव के पहले दो भागों का समर्थन किया है। परन्तु तीसरे भाग से जिसमें दिया है कि सरकार प्रतिवेदन में कथित सात सिद्धान्तों पर विचार करेगी, मैं सहमत नहीं हूं। मेरा तथा अन्य कुछ संसद् सदस्यों का मत है कि इनमें से अधिकांश शीघ्र लागू किए जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको लागू करने में कोई अड़चन हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि सदस्य मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (चन्दौली): मुझे प्रसन्नता है कि जांच से इस सभा की प्रभुता पूर्णतः स्थापित हो गई है। हमें राष्ट्रीय उपक्रमों तथा उनके प्रबन्धों के बारे में बहुत कुछ जानकारी इससे हासिल हुई है। और यदि हम इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं करते हैं कि इनका प्रबन्ध किस प्रकार किया जाये तो इस उच्चशक्ति प्राप्त आयोग का काम बेकार हो जाता है।

हमने इस सम्बन्ध में कितनी ही विधियां पारित कीं क्योंकि राष्ट्रीय उपक्रम कितने ही प्रकार के थे। परन्तु हमें इनसे सम्बन्धित बातों के बारे में यह भी देखना था कि अन्य देशों ने क्या किया और वहां पर इनसे हुई गड़बड़ियों से अनुभव हासिल करना था। अभी हाल में मैंने ब्रिटेन के राष्ट्रीयकृत उद्योगों पर हाउस आफ कामन्स की समिति का प्रतिवेदन पढ़ा। उन्होंने प्रारम्भ में ही बताया है कि सरकार अथवा सभा को इन उपक्रमों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें लगा धन करदाताओं का धन नहीं होता है। यह उनका तर्क है। उनका कहना है कि ये उपक्रम अपनी सम्पत्ति को गिरवी रख कर्ज़ के रूप में धन प्राप्त करते हैं। परन्तु भारत में ऐसा नहीं किया गया। सभा ने बराबर यही जाहिर किया है उसका नियंत्रण और अधीक्षण होना चाहिए। सभा की एकसमिति से मेरा सम्बन्ध है और इसी आधार पर मैं बता देना चाहता हूं कि हम राष्ट्रीयकृत उपक्रमों के बारे में बड़े सतर्क हैं। मैं समझता हूं कि हम में से कोई भी जब इनकी आलोचना करता है तो उन कमियों के लिए मैं उसको भी जिम्मेदार समझता हूं। यह एक राजनैतिक दल का दायित्व नहीं है। अपितु सभी दलों का है और सभी को इनमें रुचि लेनी चाहिए।

एक प्रश्न उठाया गया कि इनका विनियमन किस प्रकार किया जाये अथवा इन पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाये। प्रधान मंत्री ने भी यह ठीक ही कहा है कि ऐसे मामलों में व्यवहार में लाई जाने वाली प्रक्रिया पर अभी पूरी तरह से विचार नहीं हुआ है। ब्रिटेन में भी कई बार प्रश्न उठ चुका है कि सभा की स्थाई समिति होनी चाहिए और अन्त में उन्होंने एक समिति बना ली। अब रिपोर्ट तथा सुझाव समिति में आते हैं और उन पर विचार किया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस देश में भी सभा की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो इन पर पूरी निगरानी तथा अधीक्षण रखे। इस समिति में किसी दल का प्रभाव या गुटबन्दी नहीं होनी चाहिए तथा सभी दलों को इन औद्योगिक उपक्रमों की बढ़ोत्तरी के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे यहां संसद् प्रश्नोत्तरों और चर्चाओं द्वारा ऐसे मामलों पर नियंत्रण रखती है। यह सभा का अधिकार है। इस मामले विशेष में भी प्रश्नोत्तरों और विवाद के बाद ही जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी। और यदि ऐसी एक समिति बना दी जाये, तो शायद इस सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं जिस समिति का सदस्य हूं, उसने अपना कर्त्तव्य पूरा-पूरा निभाने का प्रयास किया है। उस समिति में सभी दलों के सदस्य सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए निष्पक्ष भाव से प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। समिति में दलगत भावनायें उभरती नहीं हैं।

इस आयोग के कई अन्य निर्णय बिलकुल ठीक हैं। उदाहरण के लिए आयोग की यह सिफारिश बिलकुल उचित है कि सरकार को स्वायत्त संविहित निगमों के कार्य-संचालन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन, साथ ही यह भी उतना ही सही है कि निगमों पर संसद् का नियंत्रण भी रहना चाहिए। फिर, इन दोनों अपेक्षाओं की पूर्त्ति किस प्रकार की जाये? संसदीय नियंत्रण के प्रश्न पर हमें अधिक गहराई से विचार करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

मेरा अपना सुझाव यह है कि सरकार को इन सबको कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय जल्दबाज़ी में नहीं करना चाहिए। यह एक बड़ी उलझी हुई समस्या है। हम कुछ ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने जा रहे हैं, जिन पर संसदीय नियंत्रण करना तो आवश्यक है, लेकिन यह नियंत्रण भी इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी पहलक़दमी पर कोई बुरा प्रभाव भी न पड़े।

इस सम्बन्ध में सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हमें अपनी ओर से तो कोई एक निश्चय कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिये, हमें अपनी ओर से तो इसके बारे में कोई निर्णय कर लेना चाहिए कि योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में कितना विनियोजन किया जायेगा और उसका अनुपात क्या रहेगा। हमें अपनी तो कोई एक स्पष्ट नीति तय कर लेनी चाहिए।

विनियोजनों से सम्बन्धित और भी कई प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में, आयोग की उपपत्तियां बिलकुल सही हैं।

इस मामले से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों ने जहां भी कोई ग़लती की हो उसके विरुद्ध कार्यवाही तो की ही जानी चाहिए, लेकिन उसमें यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कहीं हमारी कार्यवाही से सरकारी सेवकों का मनोबल न गिर जाये। मेरा अपना विचार तो यह है कि विभागों या विभागीय प्रधानों की आलोचना से सरकारी सेवकों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। अन्य देशों में तो ऐसा नहीं होता। अन्य देशों, जैसे इंगलैण्ड, की भांति हमारे उच्चाधिकारियों को भी अपना दायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हमारे रेलवे मंत्री और वित्त मंत्री ने अपने दायित्व के प्रति सजग रहने का अच्छा उदाहरण पेश किया है। कांग्रेस दल ने देश में बड़ी शानदार परम्परायें बनाई हैं। यदि हम इन्हीं परम्पराओं का अनुसरण करते रहेंगे और दलगत हितों से ऊपर उठ सकेंगे, तो देश प्रगति करता जायेगा।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : मैं माननीय प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। छागला आयोग का प्रतिवेदन हमारे देश में लोकतन्त्र की विजय का द्योतक है।

लोकतन्त्र में जनता, जनता के प्रतिनिधियों और सरकार के अपने-अपने दायित्व होते हैं। हमारी सरकार ने कभी भी जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है।

लेकिन, कठिनाई तो यह है कि विरोधी दल के सदस्य केवल अपन-आप को ही जनता के प्रतिनिधि मानते हैं। वे इसीलिये बहुमत दल की सरकार पर जब-तब कीचड़ उछालते रहते हैं।

विचित्र सी बात है कि श्री डांगे ने जांच आयोग की मांग करने का श्रेय स्वयं लेना चाहा है, जबकि सभी जानते हैं कि इसकी मांग कांग्रेस दल के ही एक माननीय सदस्य ने उठाई थी। कांग्रेस दल अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने से हिचकता नहीं है। वह अपने दायित्व के प्रति ईमानदार है।

जीप घुटाले के सम्बन्ध में इस सभा की राय से ही कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उर्वरक घुटाले में सरकार ने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की ही थी।

सब से महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि मंत्रियों का दायित्व कितना है। मैं यह मानती हूं कि मंत्री अपने विभाग की हर छोटी-छोटी बात की जानकारी नहीं रख सकते और इसीलिए किसी भी छोटी-मोटी ग़लती पर मंत्री द्वारा त्याग-पत्र देने की अपेक्षा करना, अति ही होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सामान्यत: दायित्व चार प्रकार के होते हैं । पहला तो वह है जिसमें मंत्री स्पष्ट तौर पर कोई लिखित आदेश देते हैं, उसके लिये मंत्री को पूरा दायित्व लेना ही चाहिए । दूसरे प्रकार का दायित्व वह होता है जिसमें अधीनस्थ अधिकारी सरकारी नीति के अनुसार कोई कार्यवाही करते हैं । इसका भी पूरा दायित्व मंत्री पर रहना चाहिए । तीसरे प्रकार का दायित्व वह होता है जिसमें अधीनस्थ अधिकारी किसी चीज़ को समझने में थोड़ी सी ग़लती कर देते हैं लेकिन जिससे कोई बड़ी हानि नहीं होती । ऐसी हालत में, मंत्री अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचा लेंगे । लेकिन, यदि कोई अधीनस्थ अधिकारी सरकारी नीति का उल्लंघन करके बेईमानी से कोई भ्रष्ट कार्यवाही करता है, तो उसके लिये मंत्री को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता ।

श्री क० मा० मुंशी के समय में कुछ अधीनस्थ अधिकारियों ने ऐसा ही भ्रष्ट आचरण किया था और उनको उसके लिये दण्ड भी दिया गया था ।

हमारे कई अधिकारियों ने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से स्वतन्त्र भारत की सेवा की है । हमें उनका सम्मान करना चाहिए ।

लेकिन साथ ही हमें सामान्य जनता से भी अपनी नीतियों के बारे में परामर्श करते रहना चाहिए । प्रधान मंत्री का यह कथन सर्वथा उचित है कि इस मामले में विनियोजन समिति से परामर्श किया जाना चाहिए था । हमारे यहां समितियां बहुधा केवल अनुमोदन कराने के लिये होती हैं, सलाह लेने के लिये नहीं । इसके लिये, समितियों के सदस्यों को भी अपनी ओर से कुछ करना चाहिए । उनके अधिक प्रभावशाली होने से हमें काफ़ी सहायता मिलेगी ।

यदि कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा निगम के इस मामले की आड़ में सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति को ग़लत ठहराने की कोशिश करे, तो वह हास्यास्पद होगा । हमने वह नीति काफ़ी सोच-विचार के बाद ही निर्धारित की है । सरकार को भी उसे कार्यान्वित करने में सावधानी से चलना चाहिए । सरकारी धन को जनता का धन समझ कर, उसकी उसी प्रकार देखभाल की जानी चाहिए जिस प्रकार कि एक निजी उद्योगपति अपने निजी धन की करता है ।

प्रधान मंत्री ने यह भी कहा है कि इन कार्यों के लिये कुछ कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है । मंत्री बहुधा अपने विभाग विशेष के विशेषज्ञ नहीं होते । सचिव भी उसके विशेषज्ञ नहीं होते । इसलिये, आवश्यक हो जाता है कि मंत्री या सचिव को अपने विभाग विशेष के विशेषज्ञ होना चाहिए । देश में इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम ऐसी योजनायें बनायें कि हमें किस प्रकार के कार्य के लिए कितने प्रशिक्षित कार्यकर्ता चाहिये ।

प्रधान मंत्री के संकल्प में यह तो स्वीकार किया ही गया है कि यह सौदा अनुचित था । वित्त मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है और उसे स्वीकार भी करना पड़ा है । वित्त मंत्री के जाने पर हमें बड़ा दु:ख है क्योंकि उन्होंने गत कुछ वर्षों में देश की कई समस्याओं का हल करने में बड़ी तत्परता दिखाई है ।

छागला प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि इस सौदे का दायित्व कुछ अधिकारियों पर भी है, और उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए । इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस सौदे को इतनी जल्दबाज़ी में और इतनी असावधानी के साथ करने का कितना दायित्व किस अधिकारी पर था । प्रधान मंत्री के संकल्प में इसका भी आश्वासन दिया गया है ।

विरोधी दल क कुछ सदस्यों न हम पर यह लांछन लगान का प्रयत्न किया था कि हम और आग जांच नहीं कराना चाहते । यह ग़लत है । असल बात यह है कि हम उचित प्रक्रिया के अनुसार ही आगे

[डा० सुशीला नायर]

कार्यवाही कर सकते हैं । उन अधिकारियों को भी अपनी सफ़ाई में सब कुछ कहने और प्रमाण जुटाने का अवसर देना पड़ेगा । प्रधान मंत्री ने स्पष्टीकरण कर ही दिया है कि पहले इस मामले में अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया निश्चित करने में कुछ कठिनाई थी । हमारा लोकतन्त्र अभी नया-नया ही है, इसलिये ऐसी प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां महसूस करना स्वाभाविक ही है । लेकिन, हम सचाई पर पहुंचने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं ।

मैं चाहती हूं कि मंत्री-परिषद् को एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि भविष्य में कोई भी निकाला हुआ सरकारी अधिकारी व्यावसायिक फर्मों द्वारा नहीं रखा जा सकता । 'टल्कों' के सम्बन्ध में जब चर्चा हुई थी, तब भी इसी प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आये थे । इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

इसी प्रकार, मेरा यह भी आग्रह है कि हमें इस तरह के भी नियम बनाने चाहिये कि राज्यपाल और मंत्रि-परिषद् के मंत्री अपना पद छोड़ने के बाद क्या-क्या कर सकते हैं और क्या नहीं । इस पर सार्वजनिक रूप से काफ़ी आलोचना हो चुकी है ।

निगमों को स्वायत्त बना देने के साथ ही, यह भी आवश्यक होगा कि उनके संचालनकर्त्ता अधिकारियों का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाये । जनता के प्रतिनिधियों को सरकारी नीतियां जनता को समझाने का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये ।

इसलिये, इन स्वायत्त निगमों को ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिये कि वे कठिनाइयों से बचकर कार्य-क्षमता के साथ कार्य कर सकें और राष्ट्रीयकरण की नीति को कार्यान्वित कर सकें ।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : सभी मानते हैं कि छागला जांच आयोग के सामने कुछ कठिनाइयां थीं । वह न कोई जांच कर सकते थे, और न प्रत्यायोजन । जो भी, आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । वित्त मंत्री ने त्याग-पत्र भी दे दिया है ।

मैं अधिकारियों के दायित्व का उल्लेख करना चाहता हूं । ये अधिकारीगण संसद् के प्रति उत्तरदायी होते हैं । उनका काम है कि वे मंत्रियों का पथ-प्रदर्शन करें और उन्हें उचित सलाह दें । इसलिये मंत्रियों के संवैधानिक दायित्व की आड़ में वे अपने को बचाये नहीं रख सकते ।

छागला आयोग ने प्रधान सचिव पर सौदे में जल्दबाज़ी करने का आरोप लगाया है । लोक लेखा समिति के नवें, चौदहवें और उन्नीसवें प्रतिवेदनों में भी इसी अधिकारी पर करोड़ों रुपये के मूल्य के घटिया किस्म के अस्त्र खरीदने की जिम्मेदारी रखी गई है । उसी अधिकारी ने यह सौदा भी जल्दबाज़ी से किया है ।

लोक लेखा समिति ने इस अधिकारी द्वारा किये गये जिन सौदों की आलोचना की है, उनमें और इस सौदे में कई समानतायें हैं । लोक लेखा समिति भी समय-समय पर उनकी जांच कराने के लिये कहती रही है ।

चूंकि इंगलैण्ड की भांति हमारे देश में समितियों के सामने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता और उसे प्रकाशित नहीं कराया जाता, इसलिये हमारे यहां सचिव ही समितियों के सामने उपस्थित हो कर कुछ विवरण पेश कर देते हैं, और उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होने पाती ।

†मूल अंग्रेजी में ।

हमारे यहां समितियों के सामने प्रस्तुत किया गया साक्ष्य गुप्त रखा जाता है। यदि उसे प्रकाशित किया जाये, तो मंत्री और सामान्य जनता भी उस पर कुछ विचार कर सकते हैं। इसीलिये, हमारी संसदीय समितियां सरकार पर उचित नियंत्रण नहीं कर पातीं।

गत कुछ वर्षों में इसी प्रकार के कुछ सौदों से देश को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है। देश में इसी प्रकार के कई सौदे किये गए हैं।

ये सभी सौदे बड़ी जल्दबाज़ी में किये गये हैं। ये सभी सौदे ऐसे व्यक्तियों के साथ किये गए हैं जिनकी साख बिगड़ी है और जो संदिग्ध हैं। इन सभी सौदों में एक ही अधिकारी ने इस बात की बिलकुल परवाह नहीं की है कि सरकार को मूल्य क्या देना पड़ता है।

इन सभी सौदों का पूरा ब्यौरा, पूरा रिकार्ड नहीं रखा गया है। इन सभी सौदों की ये सभी समानतायें क्या केवल संयोगवश ही हैं? इसकी गहराई से जांच कराई जानी चाहिए।

इसका एक उदाहरण भी लीजिए। हमें १९५१ में 'स्ट्रिम ग्रैनेड' की आवश्यकता थी। उसका मूल मूल्य ४ पौंड था। लेकिन, सौदा इस प्रकार किया गया कि सरकार को ७ पौंड १० शिलिंग प्रति 'ग्रैनेड' देने पड़े, अर्थात् ८ या १० लाख पौंड की हानि उठानी पड़ी। इन सौदों की एक विशेषता यह भी है कि यह सभी सौदे बिचौलियों के ज़रिये किये गये हैं। शस्त्रों के इस सौदे को करने का दायित्व भी इसी अधिकारी पर था, वही शस्त्रों को देखने यूरोप भी गये थे। इन सौदों की दूसरी विशेषता यह रही है कि सभी सौदों में पहले आर्डर मौखिक रूप में ही दिये गये थे।

शस्त्रों के सौदे के समय, हमारे फ्रांस-स्थित राजदूत ने यह भी कहा था कि वे उन शस्त्रों को १० प्रतिशत कम मूल्य पर दिला सकते थे। उस समय इसी सचिव ने कह दिया था कि वे शस्त्र एक साथ एक बड़ी तादाद में नहीं खरीदे जायेंगे। यदि बिचौलियों के ज़रिये खरीदने होते, तो एक साथ बड़ी तादाद में खरीदने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।

इसी प्रकार, बिचौलियों के ज़रिये एक और भी शस्त्र का सौदा किया गया था। उन शस्त्रों के बारे में हमारे यहां के प्राविधिक विकास विभाग ने आपत्ति की थी कि वे त्रुटिपूर्ण थे; उनमें दरार थी। इस पर प्राविधिक विकास निदेशक को पदावनत करके दूसरे स्थान पर बदल दिया गया था। उसके स्थान पर आने वाले दूसरे अधिकारी ने उन शस्त्रों को ठीक बता दिया था।

इसी प्रकार, फ्रांस में भी जाकर कुछ विमान खरीदे गए थे। वे भी इसी प्रकार के सौदे थे। उनके सम्बन्ध में हमारे फ्रांस-स्थित राजदूत से परामर्श तक नहीं किया गया था।

स्विटजरलैण्ड में जाकर भी इसी प्रकार के कुछ सौदे किये गये थे। वहां कुछ फैक्टरियों के निर्माण के करोड़ों रुपयों के ठेके दिये गये थे।

और, इन सौदों के बारे में एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ निवृत्त अंग्रेज़ अधिकारी ही हर जगह जाकर कोई समवाय खड़ा कर लेते थे और यह सारे सौदे उन्हीं के ज़रिये किये गये हैं।

इसी समवाय से कुछ गोला-बारूद का सौदा भी किया गया था। हमें बताया गया है है कि भारत सरकार ने इस प्रश्न की जांच के लिये एक उच्चस्तरीय समिति भी नियुक्त की थी। पता नहीं उस समिति ने क्या प्रतिवेदन दिया था। एक समिति ने तीन-चार महीने पहिले इस बात की जांच आरम्भ की थी कि वह गोला-बारूद प्रयुक्त किया भी जा सकता है या नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार इन सभी सौदों की जांच कराए।

[श्री उ० च० पटनायक]

इसी प्रकार, इंगलैण्ड की एक फर्म से कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों के लिये कीड़े लगे कम्बल खरीदे गये थे। मज़ाक यह है कि ब्रिटिश सरकार हमें कम्बल देने को तैयार थी।

इसी प्रकार के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। इन सभी सौदों में बड़ी समानतायें हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम किसी व्यक्ति विशेष के आचरण के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जांच से वह व्यक्ति जितना सम्बन्धित है उसी की चर्चा हो सकती है।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं इस पर इसीलिये इतना ज़ोर दे रहा हूं कि यह सभी सौदे, जीवन बीमा निगम का यह सौदा भी, एक ही व्यक्ति ने किया है। सदा ही किसी अन्य अधिकारी पर सौदे का दायित्व डाल दिया जाता है। इस मामले में, सारा दायित्व मंत्री पर डाल दिया गया है।

इसी अधिकारी ने इसी प्रकार के कई सौदे किये हैं। इसलिये मूंदड़ा सौदे की और आगे जांच के समय सरकार को उससे सम्बन्धित अधिकारियों के पहले रिकार्ड की भी जांच करनी चाहिए। तभी उनकी पृष्ठ भूमि जानी जा सकेगी और उचित कार्यवाही करना सम्भव होगा।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट): मुझे खेद है कि आयोग की उपपत्तियों के फलस्वरूप हमारे वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा है।

जीवन बीमा निगम की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय संसद् को ही है। सरकार और वित्त मंत्री को भी जांच कराने का श्रेय मिलना चाहिए। मेरा विचार है कि आयोग के निर्देश-पद अधिक स्पष्ट होने चाहिए थे। आयोग को पूरे मामले की जांच करने का काम देना चाहिए था।

आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में भी त्रुटियां थीं। यदि वित्त मंत्री और प्रधान सचिव को दूसरी बार जिरह के लिये बुला लिया जाता तो, इतनी कठिनाई न पड़ती। आयोग ने दो प्रकार के निष्कर्ष निकाले हैं। पहली प्रकार के निष्कर्ष तो साक्ष्य पर आधारित हैं, जिनमें से कुछ पूरी तौर पर हमारी समझ में नहीं आये हैं। और दूसरी प्रकार के निष्कर्षों के सम्बन्ध में तो किसी को कोई भी मतभेद नहीं हो सकता।

इन महत्वपूर्ण मसलों पर संसद् को बड़ी सावधानी से विचार करना चाहिए। हमें उनसे सबक लेना चाहिए।

इन में सबसे महत्वपूर्ण मसला यह है कि निगमों की स्वायत्तता है क्या ? कहीं भी इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है। राज्य निगमों के कार्यों का प्रभाव सरकार की आर्थिक नीति पर पड़ता है और वे सरकारी धन का भी उपयोग करते हैं, इसलिये उनको पूर्णतः स्वायत्त तो नहीं बनाया जा सकता। हम उन्हें पूर्ण स्वायत्तता नहीं दे सकते।

इसलिये, स्वायत्तता का अर्थ यही है कि निगमों के नित्य-प्रति के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाये। लेकिन, निगम के संचालकों को सरकार की आर्थिक नीति का भी ज्ञान होना चाहिए। यह सारी गड़बड़ी इसीलिये हुई है कि राष्ट्रीयकरण करने के दो वर्ष बाद तक भी जीवन बीमा निगम द्वारा किये जाने वाले विनियोजनों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। ऐसी नीति के अभाव में ही, आयोग ने कहा है कि हमें पुराने बीमा अधिनियम की धारा २७क को लागू करना पड़ेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आयोग ने बताया है कि पुराने बीमा निगम की धारा २७क को निलम्बित करने के बाद भी उसके स्थान में अन्य नियम नहीं बनाये गये थे । इसीलिये, आयोग का सुझाव है कि भविष्य में निगमों के सम्बन्ध में धारा २७क को लागू करना चाहिए । लेकिन, यह उचित नहीं है । अब हमें इस धारा के सीमित रूप पर भी विचार कर लेना चाहिए । वह समवायों के लिये ही उचित थी, निगमों के लिये नहीं । अब बीमा निगम में राज्य के संसाधन भी लगे हैं ।

इसी प्रकार, जीवन बीमा निगम की विनियोजन सम्बन्धी नीति भी पुराने जीवन बीमा समवाय से भिन्न होनी चाहिये । अब निगम के विनियोजन इतने बड़े-बड़े होते हैं कि पूरे देश के बाजारों पर उसका प्रभाव पड़ता है । जीवन बीमा निगम २५० करोड़ से ३०० करोड़ रुपये तक का विनियोजन करता है ।

इससे यह भी स्पष्ट है कि जीवन बीमा निगम पर बाजार के मूल्यों में गिरावट और उठान पैदा करने का भी दायित्व है । इस पहलू पर कभी भी पूरी तौर से चर्चा नहीं की गई है ।

सच तो यह है कि जीवन बीमा निगम के विनियोजनों और पुराने बीमा समवायों के विनियोजनों में एक भारी गुणात्मक अन्तर है । निगम के विनियोजन अब बिल्कुल ही दूसरे प्रकार के होते हैं । उनका पूरे बाजार पर अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । वह बाजार के मूल्यों की प्रवृत्ति बना सकता है। इस वजह से और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि इस बीमा निधि को प्रयोग करने के सम्बन्ध में नीति बिलकुल स्पष्ट हो जानी चाहिए । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि बीमाधारियों के हितों को कोई हानि न पहुंचे । यह युक्ति बड़ी विचित्र है कि निगम का धन निजी क्षेत्रों में क्यों लगाया गया है । हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि निगम में आखिर निजी बचत का धन ही तो आता है । यदि बीमाधारियों के हित सुरक्षित हैं तो इसे कहीं भी लगाया जा सकता है । सरकारी और गैर-सरकारी के भेद-भाव का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

वास्तव में कठिनाई यह रही कि जिन लोगों को निगम के कार्य की नीति निर्धारित करनी थी, उन्हें भी इस मामले में स्पष्ट ज्ञान नहीं था कि निगम का कार्य किस प्रकार चलना चाहिए । अब जब कि हम छागला आयोग के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण कर रहे हैं, तो हमें इस अवसर का लाभ उठाकर इस महत्वपूर्ण बात का निर्णय करना चाहिए कि नीति क्या थी और उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिए था ।

कार्यकारिणी समिति और विनियोजन समिति के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया है । परन्तु वे कुछ भी नहीं कर सकती थीं, क्योंकि कोई निश्चित नीति ही निर्धारित नहीं थी । यदि नीति स्पष्ट होती तो जो संकट हमारे सामने आया है, वह कभी न आता । मेरा मत यह है कि गत दो वर्षों में हमने इतना भी नहीं समझा कि जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण का महत्व क्या है । हमारे हाथ में विशाल साधन थे, परन्तु हम उसे समुचित ढंग से प्रयोग ही नहीं कर पाये । हमारी उत्तरदायी सरकार पर यह बड़ा धब्बा है कि जो भी नीति अपनाई गई उसका सरकार को ज्ञान तक भी न था । यह भी है कि जीवन बीमा निगम की निधि के विनियोजन के महत्वपूर्ण मामले में संसद् का नियन्त्रण भी ढीला ही है । बात उस समय खुली, जबकि निकलने का कोई रास्ता ही न रहा ।

इस अनिश्चित नीति के कारण ही स्थायी असैनिक अधिकारियों तथा मंत्रियों के सम्बन्ध भी बिगड़े और इसी कारण मंत्री महोदय को भी अपना पद त्यागना पड़ा । इस बात से हमें शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए : हमने भारी भूल की और उसका मूल्य मंत्री महोदय को त्यागपत्र देकर चुकाना पड़ा । आशा करनी चाहिए कि आगे से निगम निधि की सभी आर्थिक सम्भाव्यताओं का ध्यान रख कर नीति का निर्धारण किया जायेगा । और यह जिम्मेदारी तो आखिरकार संसद् की ही है, बड़े-बड़े न्यायाधीश हमें सुझाव दे सकते

[डा० कृष्णस्वामी]

हैं, परन्तु अन्तिम निर्णय का अधिकार तो हमारा ही है। इसलिए जरूरी नहीं कि आयोग की ७ सिफारिशों को हम अवश्य स्वीकार करें। हमें सभी बातों का पूरा परीक्षण करके वैज्ञानिक नीति निर्धारित करनी चाहिए। क्योंकि हमारी नीति का आम मंडी पर भारी प्रभाव रहेगा। एक बार यदि नीति निश्चित हो जाये तो फिर कार्यकारिणी समिति अथवा विनियोजन समिति के लिए उस नीति को कार्यान्वित करना कोई कठिन काम नहीं होगा। यदि वे भूल करें भी तो हम, संसद् के रूप में उन पर पूरा नियन्त्रण रख सकते हैं।

मेरा मत तो केवल मात्र एक ही निगम को चलाये जाने के पक्ष में कभी नहीं रहा। पांच निगम काम करते तो मुकाबले में काम बहुत अधिक होता। परन्तु हम अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं इसलिए यह आवश्यक है कि विनियोग सम्बन्धी कोई निश्चित नीति निर्धारित कर ली जाये। इसके बाद यह निश्चय किया जा सकता है कि मन्त्रियों और स्थायी अधिकारियों के सम्बन्ध किस प्रकार ठीक रखे जा सकते हैं। मेरा मत है कि जो कुछ भी गड़बड़ हुई हैं, उसका मुख्य कारण इस सम्बन्ध में निश्चित नीति का अभाव ही था।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं भी उन्हीं दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन पर प्रातः साम्यवादी दल के नेता ने जोर दिया था। एक यह कि प्रधान मंत्री ने सितम्बर में आयोग की स्थापना से पूर्व फाइल पर जो टिप्पणी दी थी, उसके औचित्य के सम्बन्ध में उन्हें वक्तव्य देना चाहिए था। दूसरा यह कि प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि इन मामलों में वित्त मंत्री का उत्तरदायित्व बहुत थोड़ा है। एक बात तो स्पष्ट है कि यह सौदा उन लोगों द्वारा किया गया जिनको कि ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह बात सर्व विदित हो गई कि मुख्य वित्त सचिव ने यह सौदा किया। और इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि मुंदड़ा से तीन सौदे हुए। पहला मार्च, अप्रल १९५७ में हुआ, दूसरा जून में हुआ और तीसरा सितम्बर में हुआ। आश्चर्य की बात है कि तीनों की बातचीत एक ही व्यक्ति द्वारा की गई। तीसरे सौदे का कारण मुख्य वित्त सचिव ने यह बताया कि वह इन समवायों में कुछ अपने निदेशक नियुक्त करवाना चाहते थे और जिसके लिए श्री मुंदड़ा सहमत हो गये थे। इसका उल्लेख १६ जुलाई को श्री कामत द्वारा श्री कौल को लिखे पत्र में भी है। इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाया गया कि श्री कौल ने यह बात मंत्री महोदय को बता दी थी।

इस सौदे में एक अनुचित बात यह भी थी कि यह अंश खुले बाजार से दलालों के द्वारा नहीं खरीदे गये। इतनी मात्रा में अंश केवल एक निजी बातचीत द्वारा खरीद लेना और वह भी मनमाने दामों पर, आपत्तिजनक बात ही कही जायेगी। किसी ढंग से अंशों के दाम बढ़वा दिये गये और निगम को उसी दाम पर अंश खरीदने को बाध्य किया गया। अंशों के दाम बढ़ाने वाले दलाल मुंदड़ा के अपने आदमी थे। बाद में कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज को जब यह पता चला कि दाम जानबूझ कर बढ़ाये गये हैं तो उन्होंने यह दाम काट कर वही सामान्य मूल दाम ही रखे जो कि इन दामों से बहुत ही कम थे।

एक और मनोरंजक आधार पर इस सौदे को अनुचित कहा जा सकता है कि निगम उनसे कोई भी अंश खरीदने को तैयार था केवल राशि को पूरा रखने का प्रश्न था। निगम की विनियोजन समिति तथा निर्देशक बोर्ड से इस मामले में कोई परामर्श नहीं लिया गया। यह भी कहा गया कि इन अंशों को खरीदने में कोई हानि नहीं थी, क्योंकि श्री मुंदड़ा इन समवायों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। परन्तु किसी ने उनके समवायों की आर्थिक अवस्था का परीक्षण करने की जरूरत ही न समझी। इसलिए मेरा मत यह है कि सरकार का यह निर्णय कि आयोग के परिणामों को स्वीकार कर लिया जाय ठीक ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक इस कांड के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है। आयोग के समक्ष जो बातें आईं उन्हें पढ़ कर तो बहुत ही आश्चर्य होता है। एक ऐसा पत्र भी है जिसमें श्री मुंदड़ा ने श्री पटेल को लिखा कि उन्हें अपने पद का प्रयोग कर उन बैंकों से जिनसे कि श्री मुंदड़ा ने रुपया ले रखा था, कहना चाहिए कि वे अभी श्री मुंदड़ा से रुपया वापिस करने के लिए जोर न दें। क्या एक सरकार के मुख्य वित्त सचिव से एक व्यक्ति का इस प्रकार कहना आपत्ति-जनक नहीं? इससे स्पष्ट है कि इन लोगों की मैत्री गहरी थी और इन सम्बद्ध अधिकारियों से इस सम्बन्ध में पूछताछ की जानी चाहिए। प्रस्ताव के दूसरे अंश में यह ठीक ही कहा गया है इन अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी प्रकार श्री वैद्यनाथन की बात है, मुख्य सचिव अथवा मंत्री और अन्य लोगों के पश्चात् जिम्मे-दारी प्रबन्ध निदेशक की होती है। उन्होंने भी इस बात का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं समझी कि वास्तव में बाजार दाम क्या है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि पूरा पता लगाया जाय कि इतने असन्तोषजनक ढंग से इतनी बड़ी राशि का विनियोजन क्यों किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अंश उन समवायों के भी खरीदे गये जिनमें श्री मुंदड़ा का पूरा नियन्त्रण नहीं था, हालांकि सरकारी तौर पर यही बताया गया है कि उन्हीं समवायों के अंश खरीदे गये हैं जिन पर कि श्री मुंदड़ा का पूरा नियन्त्रण था। इन सब बातों का पता किया जाना चाहिए।

आयोग की सात सिफारिशों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि धारा २७क वाली, एक सिफारिश तो उसे मान ही लेनी चाहिए। इसके अभाव के कारण ही आज की सारी कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं। इसके साथ ही मैं गैर-सरकारी निदेशकों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह कहा गया कि निगम का प्रशासन वित्तीय और व्यापारिक योग्यता वाले गैर-सरकारी लोगों के हाथ रहना चाहिए। परन्तु १५ संचालकों में से ७ गैर-सरकारी थे और उन्हें सरकार अथवा किसी सरकारी अधिकारी का कोई भय नहीं था। परन्तु इन लोगों ने भी इस सौदे के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। पता नहीं उन्हें भी क्या हुआ। मेरे विचार में उन्हें भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्री महोदय त्यागपत्र दे गये, अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही हो रही है, परन्तु इन गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी। इनका भी तो उत्तरदायित्व है। उन्हें भी अपने उत्तरदायित्व का अनुभव कराया जाना चाहिए।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास—उत्तर): मैं तो श्री ति० त० कृष्णमाचारी के साथ-साथ इस कांड के लिए प्रधान मंत्री को भी जिम्मेदार समझता हूं। हमें केवल विधि का ध्यान ही नहीं रखना है, प्रत्युत इसके नैतिक अंग को भी लेना है। वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी का प्रश्न है। श्री फीरोज गांधी ने आयोग के समक्ष कहा, कि १९ सितम्बर को प्रधान मंत्री ने आदेश दिया था कि श्री मुंदड़ा के विरुद्ध कार्यवाही की जाये और इससे पूर्व जीवन बीमा निगम से परामर्श कर लिया जाये। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें भी इस सारे मामले का पता था, और उन्होंने श्री ति० त० कृष्णमाचारी का त्यागपत्र भी स्वीकार कर लिया है। मेरे विचार में उच्च संविधानिक परम्पराओं के अनुसार तो प्रधान मंत्री को भी राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र भेज देना चाहिए।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कल श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने रक्षित बैंक के गवेषणा विभाग के अधिकारी द्वारा वित्त मंत्रालय के अधिकारी को लिखे गये पत्र का उल्लेख किया है, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि प्रधान मंत्री को बातों का पता था। इसके साथ ही यह भी कितनी गलत बात थी कि जब कि आयोग मामले की जांच कर रहा था, प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य में कुछ विशेष व्यक्तियों की प्रशंसा कर दी और कह दिया

[श्री एन्थनी पिल्ले]

कि ब्रिटेन की परम्परायें कुछ भी हों, यह जरूरी नहीं कि हम उन्हें अवश्य मानें। मेरे विचार में यह छागला आयोग पर प्रभाव डालने वाली बात थी और सदन द्वारा इसकी निन्दा की जानी चाहिए। श्री छागला ने जिस प्रकार स्वतन्त्र और निष्पक्ष रह कर परिणाम निकाले हैं, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जांच की कार्यवाही से यही प्रतीत होता है कि सर्वश्री पटेल, भट्टाचार्य और आयंगर यही इस कांड के पात्र थे और उन्होंने यह सब सोचा समझा हुआ था। अतः पटेल को बलि का बकरा बनाया जाना था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री आयंगर का नाम कैसे, किस अवस्था में और किस समय आया। प्रतिवेदन में तो उनके नाम का कोई उल्लेख नहीं है। फिर माननीय सदस्य ने उनका नाम कैसे घुसेड़ दिया यदि इस पर प्रकाश डाला जाये तो मैं बहुत आभारी हूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री छागला ने स्वयं श्री आयंगर के नाम का उल्लेख नहीं किया है। गवाही में तो तरह-तरह की बातें कही जाती हैं जब तक स्पष्ट उल्लेख न हो किसी बड़े अधिकारी का नाम बेकार में नहीं लिया जाना चाहिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा अभिप्राय अकारण हस्तक्षेप करने का नहीं है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य भूल कर रहे हैं। कानूनी बात छोड़ कर मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सौदे में श्री आयंगर का क्या हाथ था। उनका कहना है कि वह प्रमुख पात्र थे, मेरा कहना है कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी उन्होंने किया वह मुझे बताया जाय।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : मैं प्रधान मंत्री को सूचित कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी कार्यवाही अखबारों में नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं श्री एन्थनी पिल्ले से जानकारी प्राप्त करने को तैयार हूं, परन्तु हरेक से नहीं।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : जैसा कि मैं कह रहा था कि इस कार्यवाही में श्री आयंगर बहुत महत्वपूर्ण गवाह थे। श्री पटेल ने कहा कि उनकी उपस्थिति में इस सम्बन्ध में बातचीत हुई। श्री पटेल की गवाही की छानबीन की जानी चाहिए। यह तो रेकार्ड से स्पष्ट है कि २१ जून को श्री पटेल को लिखे पत्र की प्रतिलिपि उन्हें २२ जून को मिल गई। इसके साथ ही रक्षित बैंक के गवर्नर होने के नाते उन्हें मूंदड़ा समवायों की आर्थिक स्थिति का भी पता था। क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह इस सौदे के बारे में सरकार को सचेत कर देते। क्या यह कहना अनुचित है कि उन्होंने अपने वैध कर्तव्य का भी पालन नहीं किया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह निष्कर्ष श्री पिल्ले द्वारा निकाला हुआ हो सकता है श्री छागला का नहीं। वह इस समय स्वयं को ही आयोग समझ रहे हैं।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : मुझे श्री छागला के शब्दों की व्याख्या नहीं करनी। क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि प्रतिवेदन में जो-जो बातें छूट गई हैं उनके बारे में सभा को बताऊं। और दूसरी बात यह है कि उत्तरदायित्व के बारे में कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया। श्री पटेल को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। श्री कामत और श्री वैद्यनाथन के उत्तरदायित्व के बारे में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। उनके कृत्यों से निगम और बीमाधारियों को ९ लाख की हानि हुई है परन्तु इस सम्बन्ध में उनके उत्तर-दायित्व का कोई निर्णय नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अब आप श्री पटेल के उत्तरदायित्व को ही ले लीजिए । इस बात पर प्रतिवेदन में कोई भी उल्लेख नहीं है कि क्या श्री पटेल मंत्री को ठीक सलाह दे रहे थे या नहीं । इस सम्बन्ध में छागला प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं कहा गया है ।

दूसरे साक्षियों की जिरह नहीं की गई । न्यायाधीश ने स्वतः एक रोक अपने ऊपर लगा ली थी । उन्होंने कहा कि यहां सब प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहे हैं अतः उन से वैसे ही प्रश्न नहीं पूछे जा सकते । परिणाम यह हुआ कि बातें तो कह दी गईं और जिरह न हुई । यह भी न्याय की बात न थी ।

श्री सीतलवाद ने आरम्भ में कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्य बैंक तथा श्री मूंदड़ा के सम्बन्ध थे । श्री वैद्यनाथन के एक पत्र में लिखा है कि वह मूंदड़ा को राज्य बैंक के परामर्श के बिना कुछ न दे किन्तु उन लोगों से जिरह करके यह तो पूछा नहीं गया । इसलिये यहां भी सन्देह रह ही गया है ।

श्री भट्टाचार्य की बात से कुछ थोड़ा पता चलता है किन्तु सन्देह तो बना ही रहता है । यह भी सम्भव है कि राज्य बैंक अधिक ऋण देता रहा हो । यह सन्देह सब लोगों को थे ।

इसलिये यह बात इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जिरह न की जाये यह सिद्ध करती है कि वास्तविक तथ्य का पता नहीं चला । यह सीतलवाद तथा श्री छागला का कर्तव्य था । अभी और जांच की आवश्यकता है । शायद यह भी खतरा हो कि कहीं और बड़े लोग न पकड़े जायें ।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : श्रीमान् हमने छागला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया है और हमें खेद है कि हमने एक योग्य वित्त मंत्री को गवां दिया है ।

माननीय वित्त मंत्री ने त्यागपत्र इसी कारण दे दिया है कि उनकी ईमानदारी पर थोड़ा सा सन्देह किया गया । जब ऐसे बड़े आदमी की ईमानदारी पर सन्देह हो तो भला कैसे वह इस काम पर रह सकते हैं । पहले तो प्रधान मंत्री भी उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर रहे थे । मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने इसी कारण त्यागपत्र दिया है कि उनकी ईमानदारी पर सन्देह किया गया, इसलिये नहीं कि आयोग ने उन पर कुछ आरोप लगाये हैं ।

प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री कृपालानी जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि वह वृद्ध हैं कहते हैं कि कांग्रेस को बड़े-बड़े लोग चुनाव आदि के लिये धन देते हैं । क्या धन उन्हें नहीं मिलता ? उन्हें भी तो मिलता है ।

यहां जो भी वित्त मंत्री आता है वह समाप्त हो जाता है । श्री कृष्णमाचारी को भी तो इसी प्रकार जाना पड़ा है । पहले श्री देशमुख आये उन्हें भी योंही निकलना पड़ा । वित्त मंत्री का पद ही खराब है । यहां जो भी आता है वही समाप्त हो जाता है ।

वास्तव में यह तो वैसी ही बात हुई जैसे एक कहानी में बताया गया है । एक बार एक आदमी बीमार हो गया और लोग उसकी खबर लेने आते रहे । उसका नौकर भी तंग आ गया । एक आदमी प्रातः आकर उसके नौकर से यह पूछ जाया करता था कि तुम्हारे मालिक का क्या हाल है । नौकर उससे बहुत तंग था आखिर नौकर ने उसको कहा कि तुम्हें क्या लेना है । उसने बताया कि मैं कफन बेचने वाला हूं इसीलिये हर रोज़ पूछता हूं ।

इसी प्रकार लोगों की इच्छा थी कि सारी सरकार को ही समाप्त कर दिया जाये । एक को तो कर दिया । श्री डांगे ने सरकार की समस्त नीति की ही आलोचना की । उधर गैर-सरकारी क्षेत्र वाले यह चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र को ही समाप्त कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री थानू पिल्ले]

हमारे प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा था कि सारा वातावरण ही खराब था। और तो और महान्यायवादी वित्त मंत्री पर आरोप लगाने लगे। उन्होंने सरकारी नीति की आलोचना की। क्या यह उचित था ? हमारे रक्षक ही घातक बन गए।

श्री कृष्णमाचारी से घोर अन्याय किया गया है। उन्हें बयान का अवसर न मिला। महान्यायवादी तक ने उन पर आरोप लगाये। महान्यायवादी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अतः उनके लिये यह सब कार्यवाही ठीक न थी। उन्होंने तो वित्त मंत्री को ही दोषी ठहराया। महान्यायवादी ने तो उन्हें पहले ही पद-च्युत कर दिया।

*** *** ***

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वह सारे मामले की छानबीन करवायेगी। यदि अभियुक्त की सुनवाई न हो और कुछ निहित स्वार्थों की न्यायाधीश तक पहुंच हो जाये, तो यह एक बहुत गलत बात होगी। [**अन्तर्बाधायें**]

†**श्री नाथ पाई :** माननीय सदस्य न्यायाधीश पर आरोप लगा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यहां प्रतिवेदन पर तो चर्चा हो ही रही है। अतः इसके बारे में कोई भी राय दी जा सकती है। इसका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कोई सम्बन्ध नहीं है। और फिर माननीय सदस्य ने केवल यही कहा है कि सारा साक्ष्य लिये बिना न्यायाधीश लोगों से मिलते रहे। इसका अभिप्राय यह नहीं कि न्यायाधीश पर आरोप लगाया जाये। अतः उन्हें बोलने दीजिये।

†**श्री थानू पिल्ले :** हमें वास्तव में सब परिस्थितियों पर विचार करना है जिनके अन्तर्गत यह प्रतिवेदन लिखा गया। वास्तव में जब दूसरे माननीय सदस्य इसी प्रतिवेदन के आधार पर सरकार की निन्दा कर सकते हैं तब हमें यह अधिकार क्यों नहीं है कि हम कहें कि नहीं सरकार अच्छी है और काम ठीक चल रहा है। लोगों को दुख क्यों हो रहा है। आज हम अपने देश की नयी आर्थिक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं अतः हमें स्वस्थ तरीके पर चलना चाहिए।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं आज पंडित नेहरू का समर्थन करूंगा किन्तु उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह हमारा संशोधन स्वीकार कर लें।

मुझे राजनैतिकता से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं नहीं समझता कि श्री डांगे का अहिंसात्मक गोली मारना क्या चीज़ है। मैं तो उसे सीखूंगा।

पहली बात तो यह है कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली में किसी न किसी को तो उत्तरदायी होना ही पड़ता है। वह जिम्मेदारी मंत्री की होती है। कल भूतपूर्व मंत्री यही कह रहे थे कि उन्हें इसका कुछ भी पता न था किन्तु मैं इस बात को मानता नहीं हूं।

यहां पर एक सरकारी कर्मचारी की बहुत आलोचना हुई है। मैं उस व्यक्ति को बचपन से जानता हूं। यहां तो उत्तरदायित्व का प्रश्न है। हमें आगे क्या करना है। लोगों को फांसी दे देने से तो कुछ न होगा।

***अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाला गया।

†मूल अंग्रेजी में।

श्री छागला के बारे में भी यहां कुछ अनुचित बातें कही गई। उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है। श्री जवाहरलाल जी ने भी उचित नहीं कहा। खैर, अब वह मान गये हैं।

जो लोग यहां न हों उन पर इस प्रकार आरोप लगाना बुरा है। खैर सच तो यही है कि मंत्री ही सब कामों का उत्तरदायी होता है। यह कहना गलत है कि "मुझे पता नहीं।"

हमें यहां प्रशासकों की व्यर्थ आलोचना नहीं करनी चाहिये। हमें फीरोज गांधी तथा डा० राम सुभग सिंह का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इस मामले को यहां छेड़ा। हमें सरकारी अधिकारियों से क्या काम। हमें तो मंत्रियों पर उत्तरदायित्व डालना चाहिए। चाहे उन्हें पता हो या न हो। उनका काम है ध्यान से चलना।

हमारा संशोधन अत्यन्त उचित है। सभा के नेता ने कहा है कि हमें इसमें धकेला गया है। यह कहना कि आयोग के निर्देश पद भी जो होने चाहिये थे वे नहीं रहे यह भी उचित सा प्रतीत नहीं होता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बात किसी ने कही नहीं है। मैं ने यह कहा था कि यदि पहले आरम्भिक जांच होती तो आयोग के लिये अच्छा होता। इंग्लैण्ड में ऐसी ही आरम्भिक जांच की गई थी और वह यहां भी सहायक रहती।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह तो ठीक है किन्तु निर्देश पद ही इतने व्यापक बनने चाहियें कि कभी भी आगे किसी प्रकार की शिकायत न रहे।

वास्तव में दुःख तो इसी बात का है कि सरकार अनुभव से भी कुछ नहीं सीखती।

मैं ने पहले भी इस प्रकार की बातों पर स्पष्ट स्थिति के निरूपन दिये हैं। भला एक आदमी दोहरे व्यक्तित्व से कैसे काम कर सकता है।

सरकार स्वायत्तता की बातें करती है किन्तु कहां है वह स्वायत्तता ? यहां भी वही बात है। जांच से पता चलता है कि हमें स्वायत्तता क शब्दार्थों का भी पता नहीं है। क्या दामोदर घाटी निगम के बारे में हमें पता नहीं लगा था ? वहां भी सचिव तथा सभापति में असहमति थी। किन्तु क्या सीखा ?

मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि सारे ढांचे में ही हलचल होनी चाहिए। हमें अपने ध्येय पर पहुंचने के लिये पर्याप्त प्रयास करने होंगे।

इस प्रकार कह देने से कोई लाभ नहीं है कि हम सब लोग गैर-जिम्मेदार हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जहां तक ज्ञान का प्रश्न है हमें भी उतना ही ज्ञान है। अतः सरकारी दल के लोगों को उदाहरण रखने चाहिएं।

हमें अब यह पता लग गया है कि हमारे यहां भी कई गलतियां हैं। हमें पूर्णतया सतर्कता से काम करना चाहिए।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : सब से पहले तो हमें श्री फीरोज गांधी तथा डा० राम सुभग सिंह का धन्यवाद करना चाहिये कि उन्होंने देश की महान सेवा का कार्य किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री खाडिलकर]

किन्तु सारे प्रतिवेदन को पढ़ कर भी यह पता नहीं चलता कि सचाई क्या है। यह पता ही नहीं लगा कि वास्तविक उत्तरदायित्व किस का है। यह मामला कोई कम महत्व का नहीं है। जीवन बीमा निगम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। इस प्रस्ताव पर संशोधन संख्या ५, ८, ९, १२, १४, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३ तथा २४ हैं जिन्हें, यदि वे अन्यथा ग्राह्य हुए, प्रस्तुत समझा जायेगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवल्ला) : मैं अपने संशोधन संख्या ८ तथा ९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १६ है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"यह सभा भारत के जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् सरकार की ओर से दिये गये वक्तव्य का अनुमोदन करती है कि :

(१) सरकार आयोग की इस उपपत्ति को स्वीकार करती है कि ६ समवायों के अंशों के खरीदने का जो सौदा किया गया था, वह व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं था और अन्य कई आधारों पर अनुपयुक्त भी था;

(२) आयोग की उपपत्तियों के आधार पर इस सौदे के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों के बारे में सरकार का उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है; और

(३) सरकार तथा निगम द्वारा अपनाये जाने के लिये आयोग ने जिन सिद्धांतों की सिफारिश की है सरकार उनका परीक्षण सावधानीपूर्वक कराना चाहती है।"

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मैं संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री महंती** (ढेंकानाल) : मैं संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री डांगे :** मैं संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** मैं संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री डांगे :** मैं संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २० फरवरी, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १९ फरवरी, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६६१—८५
तारांकित प्रश्न संख्या		
२८०	दिल्ली से कार्यालयों का बाहर भेजा जाना	६६१—६३
२८१	डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली	६६४
२८२	सूडान के साथ व्यापार	६६४-६५
२८३	औद्योगिक मजदूरों में तपेदिक ...	६६५—६७
२८४	ढलाई तापकुट्टन कारखाना	६६७-६८
२८५	दिल्ली में कोयले से गैस तैयार करने का कारखाना	६६८-६९
२८८	अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन ...	६६९—७१
२८९	सीमेंट का वितरण ...	६७१—७३
२९०	पाकिस्तान में धार्मिक पावनस्थान	६७३—७६
२९१	चाय के पौधों का पुनारोपण	६७६-७७
२९३	भारत जापान व्यापार करार ...	६७७—७९
२९५	पश्मीना उद्योग ...	६७९
२९६	सोला हैटों का निर्यात ...	६८०
२९७	नारियल-जटा के फर्श और पट्टियां	६८१-८२
२९८	ताड़-गुड़ ...	६८२
३१४	ताड़-गुड़	६८२—८४
२९९	कोरापट में रेडियो स्टेशन ...	६८४
३०१	सीमावर्ती घटनाएं ...	६८४-८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	६८५—७११
तारांकित प्रश्न संख्या		
२८६	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां ...	६८५
२९२	रायपुर में रेडियो स्टेशन ...	६८५
२९४	दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम ...	६८६
३००	कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों का केन्द्रीय बोर्ड	६८६
३०२	बारूद की फैक्टरियां	६८६-८७
३०३	अगरताला में दृष्टांक कार्यालय (बीसा आफिस) ...	६८७
३०४	अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना ...	६८७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या—(क्रमशः)		
३०५	सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर	६८८
३०६	जूट मिलें ...	६८८
३०७	खुला सामान्य लाइसेंस ...	६८८
३०८	आसाम की सीमा पर पाकिस्तानी सेना	६८६
३०९	विस्थापित व्यक्तियों को रियायतें ...	६८६
३१०	छोटे पैमाने के उद्योग ...	६८९-९०
३११	विजय चौक ...	६९०
३१२	सीमावर्ती घटनाएं ...	६९०
३१३	संयुक्त राष्ट्र मानचित्र	१९०-९१
३१५	कोयला खानों में औद्योगिक स्वास्थ्य रक्षा सर्वेक्षण	६९१
३१६	मीटर प्रणाली के बाट और पैमाने	६९१-९२
३१७	लंका में भारतीय	६९२
३१८	कराची में रोका गया भारतीय यात्री	६९२-९३
३१९	दिल्ली में खन्ना मार्केट	६९३
३२०	खान अधिनियम, १९५२ ...	१९३
३२१	भारत और इटली में व्यापारिक करार	६९४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५९	विदेशी उच्चपदधारियों की भारत यात्रा ...	६९४
३६०	काश्मीर का मामला	६९४-९५
३६१	कामगरों का शिक्षण	५९५-९६
३६२	गन्दी बस्तियों की सफाई	६९६
३६३	राष्ट्रीय इमारत संस्था ...	६९६-९७
३६४	बम्बई में सरकारी कार्यालयों के लिये स्थान ...	६९७-९८
३६५	फास्फोरस ...	६९८
३६६	विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान	६९८
३६७	सिलाई की मशीनें ...	६९८-९९
३६८	विस्थापित व्यक्तियों के दावे ...	६९९
३६९	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में सड़कें	६९९
३७०	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एकक	६९९-७००
३७१	गन्दी बस्तियों की सफाई	७००
३७२	काम दिलाऊ दफ्तर	७००-०१
३७३	हाथ करघा उद्योग ...	७०१-०२
३७४	पाकिस्तानी राष्ट्रजन द्वारा कत्ल	७०२
३७५	राजनयिक पारपत्र ...	७०२-०३
३७६	गृह-निर्माण योजना...	७०३
३७७	विदेशी पारितोषिक ..	७०३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या—(क्रमशः)

३७८	अम्बर चर्खा कार्यक्रम ...	७०३-०४
३७९	काम दिलाऊ दफ्तरों के निदेशालय	७०४-०५
३८०	हिमाचल प्रदेश में रेशम के केन्द्र	७०५-०६
३८१	विभिन्न उद्योगों के लिये न्यूनतम वेतन	७०६
३८२	पंजीबद्ध संयुक्त स्कन्ध समवाय	७०६
३८३	भारत के सड़क परिवहन कर्मचारियों का राष्ट्रीय फैडरेशन...	७०६-०७
३८४	द्वितीय पंचवर्षीय योजना, त्रिपुरा	७०७-०८
३८५	उद्योगों के लिए तालिकाएं	७०८
३८६	मट्टी हटाने वाली भारी मशीनों सम्बन्धी समिति	७०८—१०
३८७	पंजाब में गृह-निर्माण ...	७१०
३८८	मध्य प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति	७१०-११
३८९	प्रलेख चित्र व समाचार चित्र...	७११
३९०	प्याज़ ...	७११

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७११-१२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली छमाही में ऐसे मामलों के विवरण की, जिन में भारत भाण्डार विभाग, लन्दन द्वारा न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये, एक प्रति ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५६-५७ के लिये हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे सहित।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची के भाग १ में कुछ परिवर्तन करने वाली दिनांक ४ जनवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६ की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश ७१२

सचिव ने राज्य-सभा से यह सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य-सभा ने १० फरवरी, १९५८ की अपनी बैठक में, लोक-सभा द्वारा ११ फरवरी, १९५८ को पारित किये गये अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

श्री रघुनाथ सिंह ने काश्मीर स्थित उड़ी में पांच पाकिस्तानी विध्वंसकारियों की गिरफ्तारी की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय	पृष्ठ
विचाराधीन प्रस्ताव	७१३–४४

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने भारत के जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

२० फरवरी, १९५८ के लिये कार्यावलि

भारत के जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर चर्चा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अग्रेतर चर्चा।

M106LS—(SI)—160—19-5-58—GIPF.